



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार
वित्त मंत्रालय
2025 की प्रतिवेदन संख्या 16
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

**वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार के लेखों पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

**संघ सरकार
वित्त मंत्रालय
2025 की प्रतिवेदन संख्या 16
(वित्तीय लेखापरीक्षा)**

विषयसूची

शीर्षक	पृष्ठ
प्रस्तावना	iii
कार्यकारी सार	v
अध्याय 1: परिचय	1
अध्याय 2: संघ के वित्त का अवलोकन	3
अध्याय 3: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ	39
अध्याय 4: बजटीय प्रबंधन	65
अनुलग्नक	87

प्रस्तावना

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुए मामले शामिल हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई थी।



कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2023-24 सतत विकास का वर्ष था। जीडीपी के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्य पर जीडीपी (वास्तविक जीडीपी) में 9.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्तमान मूल्य (नाममात्र जीडीपी) में 12.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 13.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें गैर-कर राजस्व में 23.81 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2019-20 से सकल कर प्राप्तियां बढ़ रही हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों में निरंतर सकारात्मक वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष कर का हिस्सा बढ़कर 55.46 प्रतिशत हो गया और जीडीपी में प्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़कर 6.38 प्रतिशत हो गया। यह प्रगतिशील कर प्रणाली दर्शाता है।

प्रत्यक्ष करों में, आयकर से राजस्व में वर्ष दर वर्ष आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जीटीआर और जीडीपी में इसका योगदान क्रमशः 29.17 प्रतिशत और 3.36 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी के प्रतिशत (3.07 प्रतिशत से 3.02 प्रतिशत) और जीटीआर में योगदान (27.04 प्रतिशत से 26.29 प्रतिशत) के रूप में निगम कर वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से जीएसटी संग्रह में वृद्धि के साथ ही जीडीपी के प्रतिशत के रूप में योगदान में भी वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में गैर-कर राजस्व में 23.81 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप सकल राजस्व प्राप्ति में योगदान के मामले में वृद्धि हुई (16.59 प्रतिशत से 17.83 प्रतिशत)। गैर-कर राजस्व में यह वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में लाभांश और मुनाफे में 71 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

हालांकि सरकारी व्यय 2020-21 में ₹39,07,647 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹48,52,572 करोड़ हो गया, लेकिन यह इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 19.68 प्रतिशत से 16.11 प्रतिशत तक कम हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है (वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.73 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.68 प्रतिशत), जो एक सकारात्मक संकेत है। भारत की संचित निधि से सबसे बड़ा आहरण ऋण की अदायगी हेतु था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय का 60.60 प्रतिशत था।

यह देखा गया है कि कुल राजस्व व्यय के हिस्से के रूप में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय का निश्चित घटक वित्तीय वर्ष 2022-23 में 38.93 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 42.37 प्रतिशत हो गया है। राजस्व व्यय की निश्चित प्रतिबद्धताओं पर वर्ष दर वर्ष वृद्धि में मुख्य रूप से ब्याज के भुगतान का योगदान रहा, जिसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में, पूंजीगत व्यय में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, साथ ही सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मामूली वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में, यातायात क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 269.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लोक ऋण में वृद्धि के कारण संघ सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंतरिक ऋण में 12.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की उच्च दर के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजकोषीय मापदंडों में सुधार हुआ। वर्ष दर वर्ष आधार पर राजस्व प्राप्ति में 13.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 1.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व और राजकोषीय घाटा दोनों विगत वर्ष की तुलना में कम थे, जो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में राजस्व घाटे में 28.45 प्रतिशत की कमी आई, जो राजस्व व्यय पर नियंत्रण और राजस्व प्राप्तियों में सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

संघ सरकार वित्त लेखों (यूजीएफए) में 16 विवरण शामिल हैं जो वर्ष के लिए संघ के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते हैं। संघ सरकार वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (यूजीएफएआर) का अध्याय 3 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों पर केंद्रित है।

1.44% मुद्रास्फीति सूचकांक जी.एस. 2023 के निर्वहन के लिए गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण को ₹372.64 करोड़ कम करके दिखाया गया (पैरा 3.1.1)। प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क राज्य कैम्पा प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया जाना था और राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच 90:10 के अनुपात में उनसे संबंधित आरक्षित निधियों में जमा किया जाना था। हालांकि, हमने देखा कि राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में आगे वितरण के लिए धन को भारत के लोक लेखों में अंतरण कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कोष में वितरण के लिए ₹15,103 करोड़ लंबित थे। लोक लेखों में दर्शाई गई शेष राशि

राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखों की पुस्तकों में संबंधित आंकड़ों से कम थी, जिसके कारण लोक लेखों में ₹866.41 करोड़ की संभावित कमी आई (पैरा 3.1.2)।

यूजीएफए का विवरण 13 केवल उचंत शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष राशि दर्शाता है, इस प्रकार निपटान के लिए लंबित वास्तविक शेष राशि को कम करके दिखाया गया है, उचंत लेखों (सिविल) में यह कम करके 68.01 प्रतिशत और रिजर्व बैंक उचंत केंद्रीय लेखा कार्यालय में 54.89 प्रतिशत है (पैरा 3.2.1 सी)। इसी तरह, नकदी शेष की नेटिंग करने के परिणामस्वरूप आरबीआई के साथ समन्वय के लिए लंबित नकदी शेष को कम दिखाया गया, राशि को कम करके दिखाया गया, समन्वय के लिए कुल नकद शेष ₹3,793.74 करोड़ था (पैरा 3.4.3)।

'विभागीय चेक' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹441.02 करोड़ (डेबिट) से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹3,796.87 करोड़ (क्रेडिट) तक की वृद्धि देखी गई (पैरा 3.2.1 बी)। विभिन्न निधियों और जमाराशियों में प्रतिकूल शेष के 53 मामले थे, जिनमें से 43 पांच वर्षों से अधिक समय से अनसुलझे रहे (पैरा 3.2.2)। अंतिम वर्गीकरण और निकासी की प्रतीक्षा में उचंत और विविध शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण शेष का बने रहना; ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष और प्रतिकूल शेष की नेटिंग, एक साथ लेखों की सटीकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है (पैरा 3.2)।

आरक्षित निधि भारत के लोक लेखों का हिस्सा है। इन निधियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अलग रखा जाता है और आमतौर पर उपकर या उगाही के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसे संग्रह करने पर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और संसद की मंजूरी के साथ विशेष आरक्षित निधि में अंतरण कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपकर/प्रभार/उगाही के रूप में ₹3,79,598 करोड़ की राशि एकत्र की गई, जो संघ सरकार के सकल कर राजस्व का 10.95 प्रतिशत था। अभिलेखों की नमूना जांच से 31 मार्च 2024 तक लोक लेखों में निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में ₹3,69,307 करोड़ के अल्प अंतरण का पता चला (पैरा 3.3.1)। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय आरक्षित निधि और जमाराशियों के साथ ही ₹834.37 करोड़ के संचित निवल ऋण शेष का पड़ा रहना यह दर्शाता है कि वे अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं और उनकी समीक्षा की जानी चाहिए (पैरा 3.3.2)।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय और प्राप्तियां क्रमशः ₹6,024.15 करोड़ और ₹2,231.42 करोड़ को कई विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बहुप्रयोजन 'लघु

शीर्ष 800-अन्य व्यय' और 'लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिससे लेखों में पारदर्शिता से समझौता हुआ (पैरा 3.3.3)।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अन्य संस्थाओं से वसूली के लिए ₹9,41,560 करोड़ के ऋण और अग्रिम बकाया थे, जिनमें से वसूली के एरियर (मूलधन और ब्याज) ₹86,174 करोड़ थे (पैरा 3.2.3)। हमने ₹178.81 करोड़ के गारंटी शुल्क की कम वसूली देखी (पैरा 3.4.2)।

हमने लेखांकन में ₹4,214.07 करोड़ की राशि के गलत वर्गीकरण के मामले भी देखे। इनमें से ₹3,283.50 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे और शेष गलत वर्गीकरण कुल ₹930.57 करोड़ व्यय से संबंधित थे और मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में और इसके विपरीत राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने से संबंधित थे (₹654.88 करोड़) (पैरा 3.5)।

यूजीएफ में ₹16,133 करोड़ (मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड) के इक्विटी शेयरों का लेखांकन नहीं था, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा प्राप्त 'लाभांश और मुनाफे' के संबंध में यूजीएफ के दो विवरणों (8 और 11) के बीच ₹2.30 करोड़ का अंतर था और यूजीएफ और पीएसयू लेखों के बीच जानकारी में असंगतता थी। (पैरा 3.4.1)।

मार्च 2024 के अंत में 'सेबी सामान्य निधि' के अंतर्गत ₹5,573 करोड़ का अधिशेष शेष सरकारी लेखों में नहीं दर्शाया गया (पैरा 3.3.4)। डाक जीवन बीमा निधि के निवेश से आय (पीएलआईएफ) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि (आरपीएलआईएफ) दिनांकित प्रतिभूतियों में ₹941.91 करोड़ (पीएलआईएफ - ₹502.05 करोड़¹ और आरपीएलआईएफ - ₹439.86 करोड़²) की राशि यूजीएफ में अतिरिक्त दर्ज की गई थी (पैरा 3.3.5)। दूरसंचार विभाग ने नियमित पेंशन भुगतान के ₹3,443.08 करोड़ को "वृद्धिशील पेंशन भुगतान" के रूप में गलत वर्गीकृत किया (पैरा 3.5.2.1)।

संघ सरकार के विनियोग लेखों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 102 अनुदान/विनियोग शामिल हैं। संसद ने ₹1,47,56,796.55 करोड़ के विनियोग को मंजूरी दी, जिसके प्रति सरकार ने ₹1,29,74,923.11 करोड़ खर्च किए, जिससे कुल ₹17,81,873.44 करोड़ की बचत हुई (पैरा 4.1.1)।

¹ पीएलआईएफ (यूजीएफ- ₹1391.42 करोड़, राजस्व लेखा - ₹889.37 करोड़)

² आरपीएलआईएफ (यूजीएफ- ₹768.15 करोड़, राजस्व लेखा - ₹328.29 करोड़)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संचित निधि से कुल प्रभारित (संसद द्वारा वोटिंग की आवश्यकता नहीं) प्रावधान ₹1,02,66,792.77 करोड़ (69.57 प्रतिशत) था, जिसके प्रति व्यय ₹87,53,015.54 करोड़ (67.46 प्रतिशत) था। कुल दत्तमत प्रावधान ₹44,90,003.78 करोड़ (30.43 प्रतिशत) था और वास्तविक व्यय ₹42,21,907.57 करोड़ (32.54 प्रतिशत) था, जिसमें ₹2,68,096.21 करोड़ (15.05 प्रतिशत) की बचत हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मामूली कमी दर्शाने के बाद प्रभारित व्यय में वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में वृद्धि हुई, जबकि दत्तमत व्यय में वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2023-24 में मामूली कमी दर्शाई गई (पैरा 4.1.2)।

सिविल मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, मुख्य प्रभारित संवितरण में दो विनियोग अर्थात् 'ऋण की अदायगी' और 'ब्याज भुगतान', शामिल हैं तथा मुख्य दत्तमत मांग राज्यों को अंतरण है (पैरा 4.1.2)। 'राज्यों को अंतरण (पूँजीगत प्रभारित)' के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹31,308.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। विनियोग से अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के तहत नियमित किया जाना आवश्यक है (पैरा 4.2.1.1)।

लघु/उप शीर्ष स्तर पर, हमने निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण 9 अनुदानों/विनियोगों के 14 लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय देखा (पैरा 4.2.1.2)। हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 14 अनुदानों/विनियोगों में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत भी देखी, जिसके प्रति छह अनुदानों/विनियोगों में वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी लगातार बचत हुई (पैरा 4.2.2.1)। इसके अलावा, 70 अनुदानों/विनियोगों के 95 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई (पैरा 4.2.2.2)।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 16 अनुदानों के अंतर्गत 28 लघु/उप शीर्षों के संबंध में अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक पाए गए क्योंकि अंतिम व्यय संबंधित लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधानों से कम था (पैरा 4.3.1)। पुनर्विनियोग के संबंध में, हमने देखा कि 14 अनुदानों/विनियोगों में 20 लघु/उप शीर्षों में प्रत्येक में ₹10 करोड़ से अधिक का पुनर्विनियोग अनुचित रूप से किया गया था, क्योंकि जिन लघु/उप शीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से वृद्धि की गई थी, उनके अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान पर्याप्त थे और पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार, चार अनुदानों में 12 लघु/उप

शीर्षों से अनुचित रूप से पुनर्विनियोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन लघु/उप शीर्षों में परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ (पैरा 4.4.1)।

हमने यह भी देखा कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी बजट प्रावधान के 18 अनुदानों/विनियोगों में 34 लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹66,507.20 करोड़ की राशि खर्च की गई, जिनमें से प्रत्येक पर ₹ एक करोड़ से अधिक का व्यय हुआ (पैरा 4.5.2)।

22 विभागों/मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी से, हमने पाया कि 31 मार्च, 2024 तक ₹72,764.09 करोड़ के 37,986 यूसी बकाया थे, जिनमें से ₹62,199.11 करोड़ के 16,596 यूसी विगत तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) से संबंधित हैं और स्वीकृत अनुदानों की सबसे प्रारंभिक अवधि जिसके लिए यूसी बकाया थे, वर्ष 1977-78 से संबंधित है। इससे जीएफआर 2017 के नियम 238 (1) और (2) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है (पैरा 4.7)।

અધ્યાય

1

પરિચય

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 112: राष्ट्रपति **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

अनुच्छेद 113: अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण **अनुदानों/विनियोगों की मांगों** के रूप में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

अनुच्छेद 114: अनुच्छेद 113 के अंतर्गत इन विवरणों के अनुमोदन के पश्चात, भारत की संचित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग हेतु संसद में **विनियोग विधेयक** प्रस्तुत किया जाता है।

अनुच्छेद 115: वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसी विशेष सेवा पर अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है, तो अनुच्छेद 115(1)(क) के तहत संसद द्वारा प्राधिकरण के लिए **पूरक मांगे** उठाई जा सकती है।

1.1 संघ सरकार के वार्षिक लेखे

संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं।

संघ सरकार के वित्त को तीन भागों में रखा जाता है:

- क. भारत की संचित निधि:** इसमें भारत सरकार द्वारा ऋण के माध्यम से प्राप्त राजस्व सहित सभी आय शामिल होती हैं, जिससे सरकार पूंजीगत और राजस्व लेखा शीर्षों के अंतर्गत अपने व्यय को पूरा करती है।
- ख. भारत की आकस्मिक निधि:** यह संसद द्वारा अधिकृत किये जाने तक, तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए एक अग्रिम राशि है।
- ग. लोक लेखा:** संचित निधि में जमा राशि के अलावा भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन को लोक लेखा में जमा किया जाता है।

वित्त लेखे

संघ सरकार के वित्त लेखे संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाते हैं। वित्त लेखों में दो भाग होते हैं - भाग I और भाग II, भाग I में राजस्व, पूंजीगत, गारंटी, ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण लेनदेन और आकस्मिक निधि के संबंध में पाँच संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि भाग II में अन्य संबंधित विवरणों के साथ-साथ उपरोक्त लेनदेन के संबंध में 11 विस्तृत विवरण शामिल हैं। ये लेखे नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं, अर्थात् वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी लेखों में लेनदेन, वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाते हैं।

विनियोग लेखे

विनियोग लेखे संसद द्वारा प्राधिकृत अनुदानों के प्रति व्यय की तुलना करते हैं तथा दोनों के बीच निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। चार विनियोग लेखे होते हैं - सिविल मंत्रालय, रक्षा, रेलवे और डाक सेवाएं। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) सिविल मंत्रालयों के 98 अनुदानों के लिए विनियोग लेखे तैयार करता है, जबकि रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने-अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

1.2 संघ सरकार के लेखों की लेखापरीक्षा

संघ सरकार के वित्त और विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों और वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। सीएजी ने 10 दिसंबर 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार के वित्त और विनियोग लेखों (सिविल) को प्रमाणित किया।

यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में व्यवस्थित है। इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में संघ सरकार के लेखों और लेखापरीक्षा प्रक्रिया का परिचय दिया गया है; **अध्याय 2** संघ के वित्त का अवलोकन प्रदान करता है; **अध्याय 3** में लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं; और **अध्याय 4** में बजटीय प्रबंधन पर टिप्पणियाँ हैं।

1.3 सरकार की प्रतिक्रिया

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से उनसे संबंधित मुद्दों के संबंध में प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तर (मार्च 2025 तक) को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

संघ के वित्त का अवलोकन

संघ के वित्त का अवलोकन

2.1 भारत का सकल घरेलू उत्पाद

जीडीपी(जीडीपी) किसी निश्चित अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। जीडीपी की वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक अवधि में देश के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। पिछले पाँच वर्षों में भारत की जीडीपी का रुझान चित्र 2.1 में दिया गया है।

चित्र 2.1: स्थिर एवं वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्थिर मूल्यों पर (वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद)	1,45,34,641	1,36,94,869	1,50,21,846	1,61,64,913	1,76,50,591
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	3.87	-5.78	9.69	7.61	9.19
वर्तमान मूल्यों पर (नाममात्र जीडीपी)	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,68,90,473	3,01,22,956
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	6.37	-1.24	18.85	13.96	12.02

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28 फरवरी 2025

इस प्रतिवेदन में प्रतिशतता और अनुपात निकालने के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी पर विचार किया गया है।

2.2 संघ के वित्त का स्नैपशॉट

चित्र 2.2: संघ के वित्त का स्नैपशॉट - वित्तीय वर्ष 2022-23 के साथ तुलना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान (बीई) ^क 2023-24	संसोधित अनुमान (आरई) 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े	वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों में बदलाव		
						वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीई से	वित्तीय वर्ष 2023-24 के आरई से	वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक से
1	राजस्व प्राप्तियां	27,13,267	29,80,001	30,58,986	30,88,175	3.63%	0.95%	13.82%
	कर राजस्व ^ख	21,05,786	23,39,411	23,32,718	23,36,025	-0.14%	0.14%	10.93%
	गैर-कर राजस्व ^ग	6,07,481	6,40,590	7,26,268	7,52,150	17.42%	3.56%	23.81%
2	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	46,035	61,000	42,158	45,281	-25.77%	7.41%	-1.64%
3	ऋण एवं अग्रिम राशि की वसूली ³	36,272	48,250	51,250	1,16,973	142.43%	128.24%	222.49%
4	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (1+2+3)	27,95,574	30,89,251	31,52,394	32,50,429	5.22%	3.11%	16.27%
5	लोक ऋण की प्राप्ति	88,64,893	106,10,992	92,39,802	91,60,050	-13.67%	-0.86%	3.33%
6	सीएफआई में कुल प्राप्तियां (4+5)	116,60,467	137,00,243	123,92,196	124,10,479	-9.41%	0.15%	6.43%
7	लोक लेखा प्राप्तियां ^घ	29,21,888	26,50,463	30,52,067	39,12,486	47.62%	28.19%	33.90%
8	कुल प्राप्तियां (6+7)	145,82,355	163,50,706	154,44,263	163,22,965	-0.17%	5.69%	11.94%
9	राजस्व व्यय	37,83,698	38,50,444	39,00,204	38,54,082	0.09%	-1.18%	1.86%
10	पूंजीगत व्यय	6,24,757	8,38,127	8,26,132	8,07,180	-3.69%	-2.29%	29.20%
11	ऋण और अग्रिम	1,42,059	2,06,253	1,87,939	1,91,310	-7.24%	1.79%	34.67%
12	कुल व्यय (9+10+11)	45,50,514	48,94,824	49,14,275	48,52,572	-0.86%	-1.26%	6.64%
13	लोक ऋण की अदायगी	71,99,701	88,70,349	75,29,061	74,62,493	-15.87%	-0.88%	3.65%

³ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ऋण और अग्रिमों की वसूली में जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में विधान सभा वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए बैंक-टू-बैंक ऋणों के अदायगी के संबंध में ₹78,104 करोड़ की राशि भी शामिल है (पैरा 2.6.1 देखें)।

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान (बीई)* 2023-24	संसोधित अनुमान (आरई) 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े	वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों में बदलाव		
						वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीई से	वित्तीय वर्ष 2023-24 के आरई से	वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक से
14	सीएफआई से कुल संवितरण (12+13)	117,50,215	137,65,172	124,43,336	123,15,065	-10.53%	-1.03%	4.81%
15	लोक लेखा संवितरण	28,30,518	25,73,747	29,74,275	40,08,694	55.75%	34.78%	41.62%
16	कुल संवितरण (14+15)	145,80,733	163,38,919	154,17,612	163,23,759	-0.09%	5.88%	11.95%
क	बीई और आरई के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण (एफएस) से लिए गए हैं।							
ख	इसमें संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों को सौंपे गए ₹11,29,494 करोड़ (सकल कर प्राप्तियां- ₹34,65,519 करोड़) के कर और शुल्क शामिल नहीं हैं।							
ग	इसमें ₹1,013 करोड़ का सहायता अनुदान एवं अंशदान शामिल है।							
घ	उच्चतम एवं विविध तथा धन प्रेषण के संबंध में, एफएस में कोई बीई/आरई आंकड़ा नहीं दर्शाया गया है।							

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

चित्र 2.2 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में संग्रह वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में अधिक रहा, गैर-कर राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 23.81 प्रतिशत बढ़ा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में संघ का कुल व्यय ₹48,52,572 करोड़ रहा, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 6.64 प्रतिशत अधिक है। यह पूंजीगत व्यय एवं ऋण और अग्रिम के तहत महत्वपूर्ण वृद्धि से प्रेरित है, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 29.20 प्रतिशत और 34.67 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

2.3 निधियों के स्रोत और उपयोग⁴

संघ सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन तीन श्रेणियों में आते हैं - ऋण प्राप्तियां, गैर-ऋण प्राप्तियां और लोक लेखा में प्राप्तियां। इनमें से ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियां भारत के संचित निधि (सीएफआई) में जाती हैं। गैर-ऋण प्राप्तियों को आगे राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और बाहरी एजेंसियों से सहायता अनुदान शामिल हैं, जबकि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आय और ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल है। जुटाए गए संसाधनों का उपयोग ऋण की अदायगी, सरकार के व्यय, लोक लेखा पर देनदारियों के निर्वहन और आकस्मिक निधि में अंतरण के लिए किया जाता है।

⁴ इस खंड में प्रयुक्त आंकड़े सकल राशियाँ हैं, जो चित्र 2.2 में दी गई राशियों से भिन्न हो सकती हैं, जो निवल आंकड़ों पर आधारित हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, संघ सरकार के पास कुल ₹1,74,56,485 करोड़ के संसाधन थे और जिसमें से ₹1,74,53,253 करोड़ का उपयोग किया गया, जिसे निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए लागू किया गया, जिससे अंत नकद शेष ₹3,232 करोड़ रह गया।

चित्र 2.3: वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधियों का स्रोत

(₹ करोड़ में)

1	अथ नकद शेष	4,026
2	ऋण प्राप्तियां	91,60,050
3	सकल गैर-ऋण प्राप्तियां	43,79,923
	क) सकल राजस्व प्राप्तियां	42,17,669
	ख) पूंजीगत प्राप्तियां	45,281
	ग) ऋण एवं अग्रिम राशि की वसूली	1,16,973
4	लोक लेखा में सकल प्राप्तियां	39,12,486
कुल		1,74,56,485

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संघ सरकार की ऋण प्राप्तियां ₹91,60,050 करोड़ थीं और वर्ष के दौरान ऋण अदायगी ₹74,62,493 करोड़ थी। वर्ष के दौरान संघ सरकार की निवल ऋण प्राप्तियां ₹16,97,557 करोड़ थीं।

चित्र 2.4: वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना (प्राप्तियां)

राजस्व प्राप्तियां	✓ सकल कर प्राप्तियों में 13.47 प्रतिशत की वृद्धि थी, जबकि निवल कर प्राप्तियों (राज्यों को अंतरित करों को छोड़कर निवल कर प्राप्तियां) में 10.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ✓ सकल कर प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से आयकर, जीएसटी, निगम कर के कारण हुई।
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	✓ गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 97.13 प्रतिशत की वृद्धि थी, जिसका मुख्य कारण ऋण और अग्रिम की वसूली में तीन गुना से अधिक की वृद्धि है⁵, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹36,272 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,16,973 करोड़ हो गई।
ऋण प्राप्तियां	✓ मुख्य रूप से बाजार ऋण के माध्यम से वित्तपोषित ऋण प्राप्तियों में 3.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
लोक लेखा प्राप्तियां	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 33.90 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण जमा और अग्रिम में 148.77 प्रतिशत की वृद्धि थी।

⁵ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ऋण और अग्रिमों की वसूली में जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में राज्यों/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए बैंक-टू-बैंक ऋणों के अदायगी के संबंध में ₹78,104 करोड़ की राशि भी शामिल है (पैरा 2.6.1 देखें)।

चित्र 2.5: वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

1	ऋण की अदायगी	74,62,493
2	लोक लेखा पर देयताओं का निर्वहन	40,08,694
3	वास्तविक व्यय	48,52,572
	क) राजस्व व्यय	38,54,082
	ख) पूंजीगत व्यय	8,07,180
	ग) ऋण एवं अग्रिम	1,91,310
4	संघीय करों में राज्यों का हिस्सा	11,29,494
5	अंत नकद शेष	3,232
निधियों का कुल उपयोग		1,74,56,485

चित्र 2.6: वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना (संवितरण)

राजस्व व्यय	✓ सामाजिक सेवाओं में राजस्व व्यय में 18.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।			
	सामान्य सेवाएँ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएँ	अनुदान सहायता
	11.89 प्रतिशत ↑	18.50 प्रतिशत ↑	10.38 प्रतिशत ↓	6.22 प्रतिशत ↓
पूंजीगत व्यय	✓ आर्थिक सेवाओं, मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे में पूंजीगत व्यय में 37.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई।			
	सामान्य सेवाएँ		सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएँ
	10.08 प्रतिशत ↑		27.63 प्रतिशत ↓	37.65 प्रतिशत ↑
ऋण की अदायगी	✓ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण की अदायगी 8.34 प्रतिशत की तुलना में 3.65 प्रतिशत बढ़ी।			
लोक लेखा संवितरण	✓ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लोक लेखा संवितरण में 8.13 प्रतिशत की कमी की तुलना में 41.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें जमा और अग्रिम में 178.70 प्रतिशत की वृद्धि थी। वृद्धि का मुख्य घटक ब्याज रहित जमा के कारण था।			

उपरोक्त घटकों का विस्तृत विश्लेषण बाद के पैराग्राफों में किया गया है तथा बजटीय अनुमानों में भिन्नता को इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में प्रस्तुत किया गया है।

2.4 संसाधन अर्जन की प्रवृत्ति

केंद्र सरकार की सकल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ (कर और गैर-कर), गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री और ऋण और अग्रिम की वसूली से), लोक लेखा में उधार और प्राप्तियाँ (भविष्य निधि, लघु बचत

आदि के रूप में जो सरकार एक ट्रस्टी के रूप में प्राप्त करती है) शामिल हैं। चित्र 2.7 वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में संसाधन अर्जन और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

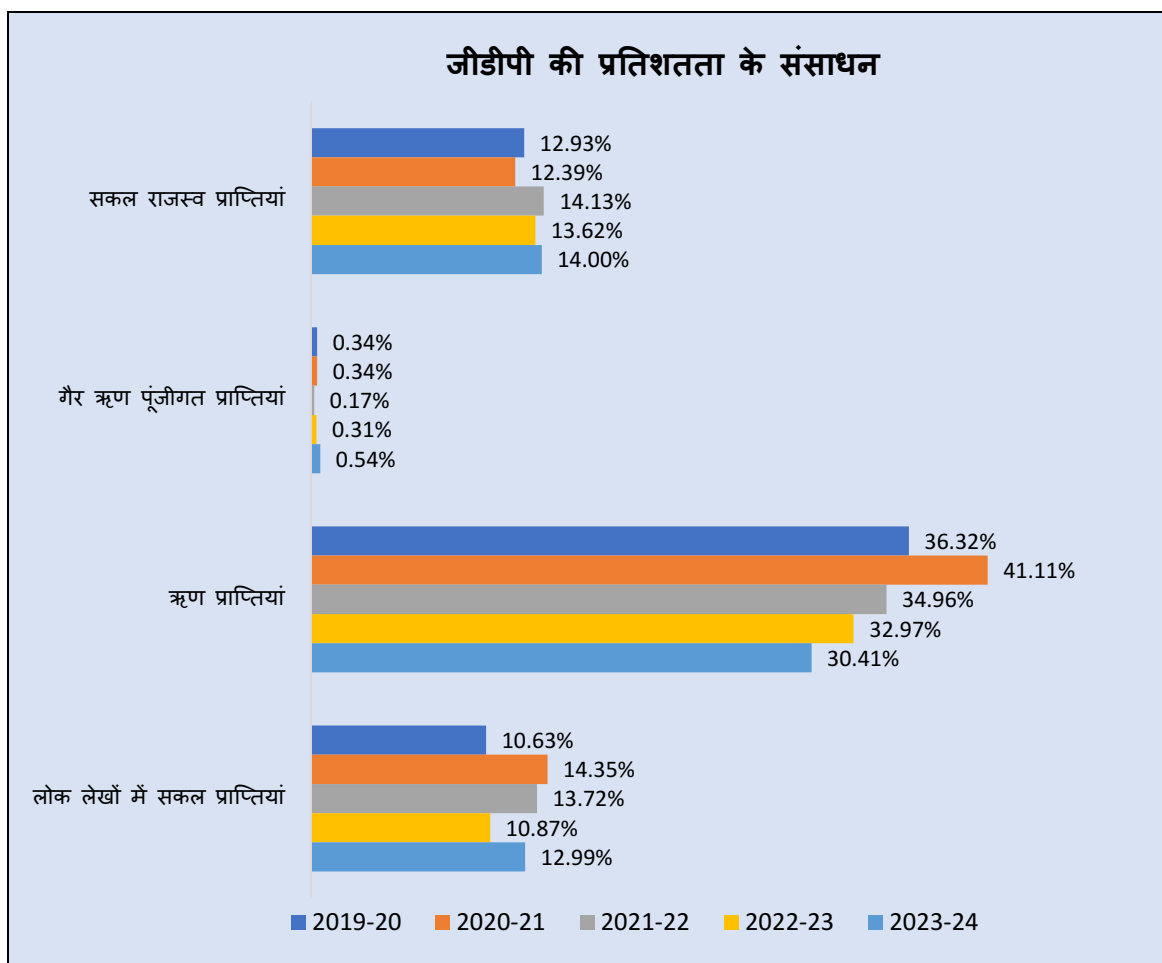
चित्र 2.7: संसाधन अर्जन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल गैर-ऋण प्राप्तियां		ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में सकल प्राप्तियां
	सकल राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां		
2019-20	25,98,760	68,996	73,01,387	21,36,115
	21.47%	0.57%	60.32%	17.64%
2020-21	24,59,510	67,820	81,62,910	28,48,879
	18.17%	0.50%	60.29%	21.04%
2021-22	33,34,813	39,586	82,49,152	32,37,452
	22.40%	0.27%	55.39%	21.74%
2022-23	36,61,673	82,307	88,64,893	29,21,888
	23.58%	0.53%	57.08%	18.81%
2023-24	42,17,669	1,62,254	91,60,050	39,12,486
	24.17%	0.93%	52.48%	22.42%

नोट: आंकड़े प्रतिशत में सकल प्राप्तियों (सकल गैर-ऋण प्राप्तियां + ऋण प्राप्तियां + लोक लेखा में सकल प्राप्तियां) के अनुपात के रूप में दिखाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल प्राप्तियों में आकस्मिक निधि में अंतरित ₹29,500 करोड़ (सकल प्राप्तियों का 0.20 प्रतिशत) भी शामिल हैं।

* इसमें राज्यों को सौंपे गए करों और शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं (चालू वर्ष के लिए ₹11,29,494 करोड़)। चालू वर्ष में केंद्र को निवल राजस्व प्राप्तियां ₹30,88,175 करोड़ थीं, जैसा कि चित्र 2.2 में दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राजस्व प्राप्तियां जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में 14 प्रतिशत रहीं, जबकि जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में ऋण प्राप्तियां पांच वर्ष की अवधि के दौरान उसी वर्ष सबसे कम रहीं। यह एक उत्साहजनक संकेत है।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में ऋण प्राप्तियां सीमित रही हैं, महामारी वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21) को छोड़कर, जब जीडीपी में ही संकुचन हुआ था। पिछले पांच वर्षों के दौरान जीडीपी अनुपात में सकल राजस्व प्राप्तियाँ बहुत ही कम रही हैं, यह औसतन 13.46 प्रतिशत रहा है, जबकि गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ज्यादातर विनिवेश आय में भिन्नता के कारण उतार-चढ़ाव रहा है।

2.5 राजस्व प्राप्तियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सकल राजस्व प्राप्तियों में सकल कर राजस्व का योगदान 82.17 प्रतिशत था। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राजस्व प्राप्तियों का औसतन 81.32 प्रतिशत सकल कर राजस्व से आया। गैर-कर राजस्व का योगदान औसतन 18.68 प्रतिशत था।

चित्र 2.8 सकल एवं निवल दोनों राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संघ सरकार के वित्त का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

चित्र 2.8: राजस्व प्राप्ति: सकल और निवल

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	राज्यों का हिस्सा	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व#	निवल राजस्व प्राप्ति	सकल राजस्व प्राप्ति
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)= (2)+(5)
2019-20	20,10,059	6,50,677	13,59,382	5,88,701	19,48,083	25,98,760
	77.35%			22.65%		
2020-21	20,27,104	5,94,997	14,32,107	4,32,406	18,64,513	24,59,510
	82.42%			17.58%		
2021-22	27,09,315	8,98,392	18,10,923	6,25,498	24,36,421	33,34,813
	81.24%			18.76%		
2022-23	30,54,192	9,48,406	21,05,786	6,07,481	27,13,267	36,61,673
	83.41%			16.59%		
2023-24	34,65,519	11,29,494	23,36,025	7,52,150	30,88,175	42,17,669
	82.17%			17.83%		

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

नोट: आंकड़े सकल राजस्व प्राप्ति के अनुपात के रूप में आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

इसमें बाहरी एजेंसियों से सहायता अनुदान और योगदान शामिल हैं।

2.5.1 कर राजस्व

कर राजस्व के दो घटक हैं- प्रत्यक्ष (आय, लाभ और परिसंपत्ति) और अप्रत्यक्ष (वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन पर)। सरकार के लिए संसाधन जुटाने के अलावा, कर समाज के बेहतर वर्गों से वंचितों तक धन/आय के पुनर्वितरण का एक साधन भी हैं।

चित्र 2.9 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व के घटकों को दर्शाता है।

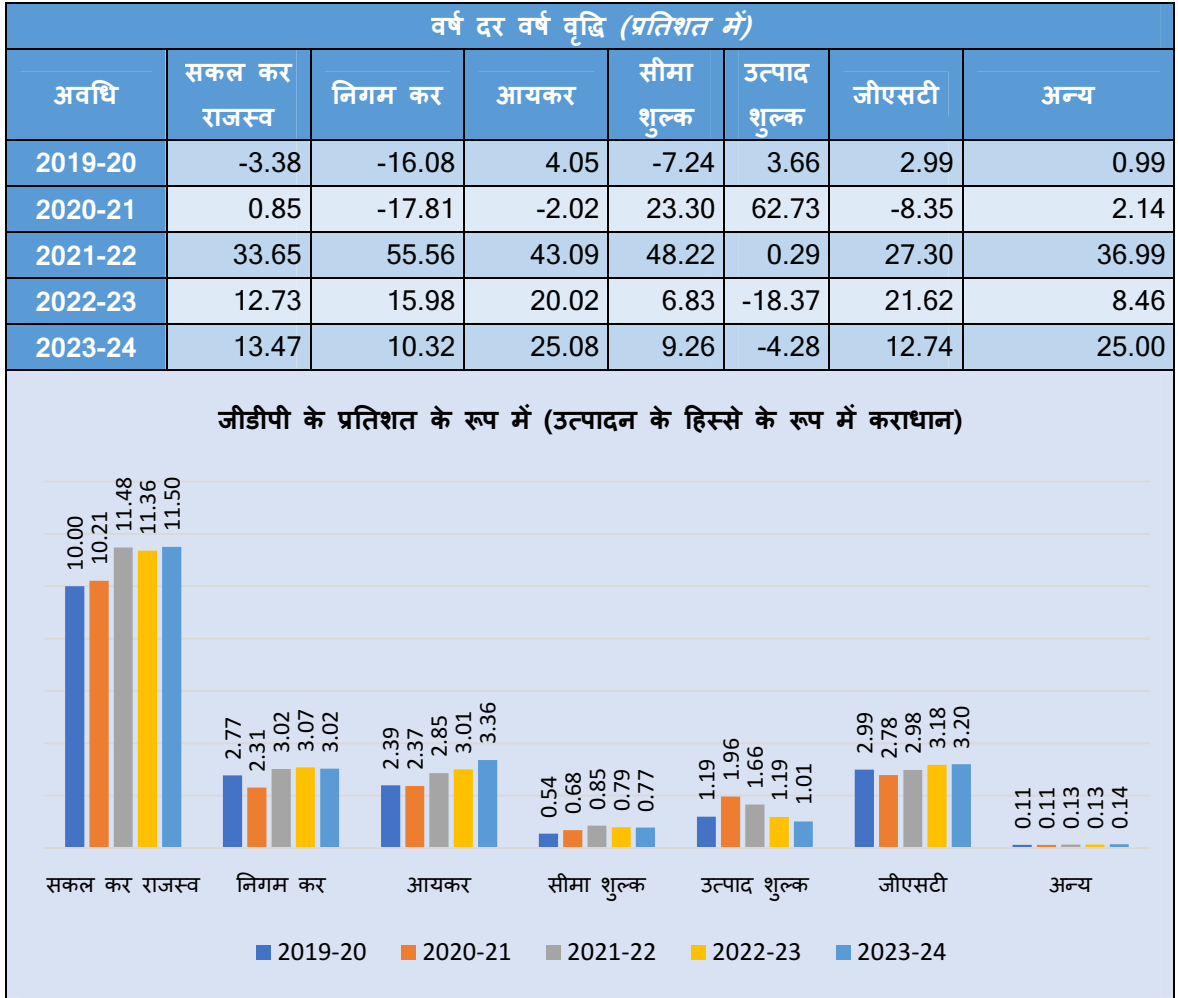
चित्र 2.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	जीएसटी*	अन्य
2019-20	20,10,059	5,56,876	4,80,348	1,09,283	2,39,452	6,01,784	22,316
2020-21	20,27,104	4,57,719	4,70,633	1,34,750	3,89,667	5,51,542	22,793
2021-22	27,09,315	7,12,037	6,73,414	1,99,728	3,90,808	7,02,105	31,223
2022-23	30,54,192	8,25,834	8,08,221	2,13,371	3,19,000	8,53,901	33,865
2023-24	34,65,519	9,11,055	10,10,948	2,33,119	3,05,362	9,62,705	42,330

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

*जीएसटी आंकड़े में सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।



जीडीपी अनुपात में सकल कर राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले पांच वर्षों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह सबसे अधिक (11.50 प्रतिशत) है। यह वृद्धि मुख्य रूप से आयकर संग्रह में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि और वर्ष के दौरान जीएसटी में 12.74 प्रतिशत की वृद्धि के कारण है। अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर के लिए प्रतिशतता की दृष्टि से वृद्धि काफी अधिक रही है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, आर्थिक मंदी और महामारी के कारण जीडीपी अनुपात में कर का, औसतन ज्यादातर 10.91 प्रतिशत रहा है।

कोविड वर्ष (2020-21) (45.80 प्रतिशत) को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष करों ने सकल करों में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद सकल करों में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी बढ़ रही है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 55.46 प्रतिशत रही, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 53.50 प्रतिशत से अधिक है। यह सुधार संघ सरकार के लिए एक अच्छा राजकोषीय सुरक्षा कवच है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रत्यक्ष करों का जीडीपी अनुपात बढ़ रहा है और पिछले पांच वर्षों के

दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रत्यक्ष करों का जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.08 प्रतिशत की तुलना में 6.38 प्रतिशत था।

सकल कर राजस्व और जीडीपी दोनों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयकर से प्राप्त राजस्व के संदर्भ में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आयकर ने प्रत्यक्ष करों में 52.60 प्रतिशत का योगदान दिया, जो कि निगम कर से लगभग ढाई गुना अधिक था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निगम कर प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.98 प्रतिशत की तुलना में 10.32 प्रतिशत बढ़ीं। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, निगम कर तीन वर्ष की अवधि 2021-24 के दौरान लगभग तीन प्रतिशत रहा है।

कोविड वर्ष (2020-21) को छोड़कर पिछले पांच वर्षों में पहली बार आयकर से संग्रहीत सकल कर निगम करों से अधिक है।

जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था और इसमें केंद्र और राज्यों के स्तर पर कई कर समाहित हो गए थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 से जीएसटी से राजस्व जीडीपी के औसतन लगभग तीन प्रतिशत पर स्थिर रहा, सिवाय वित्तीय वर्ष 2020-21 के जब यह घटकर 2.78 प्रतिशत रह गया। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, जीएसटी संग्रह वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक रहा है।

2.5.1.1 उपकर और अधिभार के माध्यम से अर्जित राजस्व

शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिभार सहित कर देयता पर उपकर लगाया जाता है। अधिभार भी कर पर कर है, लेकिन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं है। संविधान के अनुसार, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को देय जीएसटी मुआवजा उपकर को छोड़कर, ये राजस्व धाराएँ राज्यों के साथ विभाजित नहीं हैं।

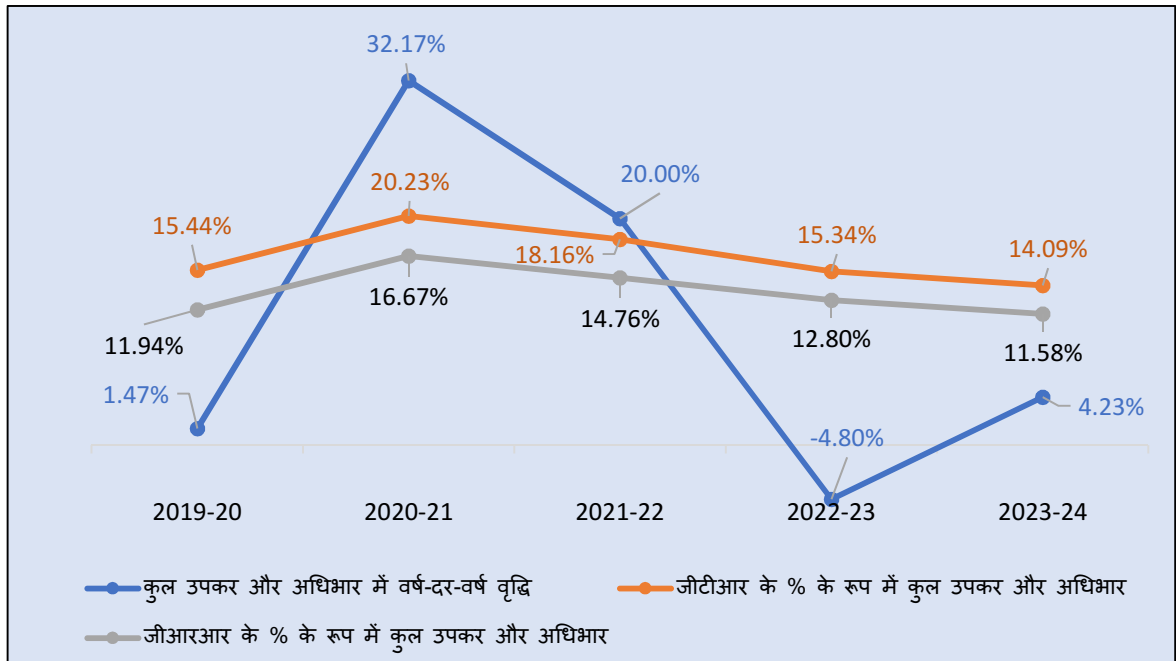
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उपकर और अधिभार के तहत कुल संग्रह ₹4,88,316 करोड़ था। यह सकल कर प्राप्ति का 14.09 प्रतिशत था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने चरम से यह उल्लेखनीय कमी थी, जब यह 20.23 प्रतिशत था (चित्र 2.10)। उपकर संग्रह ₹3,56,876 करोड़ रहा, जो सकल कर राजस्व का 10.30 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 3.95 प्रतिशत बढ़ा है। सड़क और अवसंरचना उपकर (कम

संग्रह के कारण पिछले पांच वर्षों में सबसे कम) और कच्चे तेल पर उपकर को छोड़कर, प्रमुख उपकर के अधिकांश घटकों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

चित्र 2.10: उपकर और अधिभार का संग्रह

(₹ करोड़ में)

अवधि	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	कच्चे तेल पर उपकर	सड़क एवं अवसंरचना उपकर	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	अन्य	कुल उपकर संग्रह	कुल अधिभार संग्रह	कुल उपकर एवं अधिभार
2019-20	95,553	39,241	14,062	1,22,440	-	5,901	2,77,197	33,087	3,10,284
2020-21	85,192	35,895	10,894	2,35,783	-	9,267	3,77,031	33,064	4,10,095
2021-22	1,04,769	52,750	19,354	1,95,987	76,951	1,548	4,51,359	40,758	4,92,117
2022-23	1,25,862	61,814	21,497	59,235	74,142	769	3,43,319	1,25,197	4,68,516
2023-24	1,41,436	71,159	18,803	44,553	80,924	1	3,56,876	1,31,440	4,88,316



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए की विवरण संख्या 8।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कुल संग्रह में 28.96 प्रतिशत का योगदान देता है और इसके 2026 तक समाप्त होने की उम्मीद है (उपकर लगाने और संग्रह करने की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई थी)। शेष संग्रह मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क (23.98 प्रतिशत), निगम कर (19.27 प्रतिशत) और आयकर (18.89 प्रतिशत) पर किए जाते हैं। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से कृषि अवसंरचना और विकास उपकर नामक एक नया उपकर आरम्भ किया, जो पेट्रोल और डीजल संग्रह पर लगाया जाएगा, जिसका उपयोग शीत भंडारण सुविधाओं, गोदामों आदि जैसे कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए किया जाएगा। जीएसटी

क्षतिपूर्ति उपकर के चरणबद्ध रूप से समाप्त होने के बाद, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर संघ सरकार द्वारा एकत्र कुल उपकर का सबसे बड़ा घटक होगा।

2.5.2 गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ, न्यायपालिका, पुलिस से आय, रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों और अन्य द्वारा एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल गैर-कर राजस्व में 23.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-कर राजस्व की संरचना चित्र 2.11 में दी गई है।

चित्र 2.11: गैर-कर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व	कुल एनटीआर (जीआरआर का %)	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश और लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएँ	अन्य
2019-20	5,88,701	22.65%	56,964	1,86,142	3,507	2,94,717	47,371
2020-21	4,32,406	17.58%	59,540	96,889	3,878	2,29,491	42,608
2021-22	6,25,498	18.76%	46,178	1,60,653	4,901	3,46,372	67,394
2022-23	6,07,481	16.59%	59,564	99,922	7,032	3,81,472	59,491
2023-24	7,52,150	17.83%	78,674	1,70,891	7,825	4,28,371	66,389

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

नोट 1: कुल गैर-कर राजस्व में सहायता अनुदान और बाहरी एजेंसियों से प्राप्त अंशदान शामिल हैं।

नोट 2: अन्य में शामिल हैं राजकोषीय सेवाएँ (₹1,858 करोड़), सामान्य सेवाएँ (₹63,518 करोड़) और सहायता-अनुदान एवं अंशदान (₹1,013 करोड़)।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-कर प्राप्तियों में वृद्धि लाभांश और मुनाफे में उल्लेखनीय उछाल के कारण हुई, जो मुख्य रूप से आरबीआई से अधिशेष लाभ की अधिक प्राप्ति के कारण हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-कर राजस्व में आर्थिक सेवाओं का बड़ा हिस्सा भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों⁶, अन्य संचार सेवाओं⁷ और सड़कों और पुलों के अंतर्गत रहा है।

⁶ भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों से होने वाली आय में मुख्य रूप से कोचिंग आय (₹77,282 करोड़) और माल आय (₹1,68,191 करोड़) शामिल हैं। कोचिंग यातायात से होने वाली आय में टिकट किराया, आरक्षण शुल्क, सामान शुल्क, पार्सल, डाकघर मेल का परिवहन और अन्य विविध शुल्क शामिल हैं। माल यातायात से होने वाली आय में ईंधन, सामान्य माल, सैन्य यातायात, पशुधन, सड़क सेवाओं से सकल आय और विविध माल आय शामिल हैं।

⁷ अन्य संचार सेवाओं से प्राप्तियों में मुख्य रूप से वायरलेस योजना एवं समन्वय संगठन, दूरसंचार लाइसेंस शुल्क, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी आदि से प्राप्तियां शामिल हैं।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, संघ सरकार को 103 संस्थाओं से ₹1,70,891 करोड़ का लाभांश/अधिशेष प्राप्त हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 105 संस्थाओं से ₹99,922 करोड़ प्राप्त हुए, जैसा कि चित्र 2.12 में दिखाया गया है।

चित्र 2.12: लाभांश और लाभ की संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	आरबीआई से अधिशेष लाभ का हिस्सा	सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का हिस्सा	अन्यों से लाभांश*	कुल लाभांश और लाभ
2019-20	1,47,988	35,509	0	2,645	1,86,142
2020-21	57,128	39,497	0	264	96,889
2021-22	99,122	59,120	2,231	180	1,60,653
2022-23	30,307	59,735	8,738	1,142	99,922
2023-24	87,416	63,827	13,807	5,841	1,70,891

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

* अन्य से प्राप्त लाभांश में एलआईसी से लाभ के हिस्से से ₹4,273 करोड़, आईडीबीआई से अधिशेष लाभ के हिस्से से ₹489 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अन्य निवेशों से लाभांश से ₹1,079 करोड़ शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त लाभांश और मुनाफे में से केवल आरबीआई से प्राप्त अधिशेष (₹87,416 करोड़) का हिस्सा इस शीर्ष के तहत कुल प्राप्तियों का 51.15 प्रतिशत था। लाभांश देने वाली अन्य प्रमुख संस्थाएं राष्ट्रीयकृत बैंक (₹13,804 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹9,532 करोड़), तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (₹7,594 करोड़), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹5,818 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹5,760 करोड़), एलआईसी (₹4,273 करोड़), आदि थीं। गैर-कर राजस्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.83 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.49 प्रतिशत हो गया, हालांकि, यह निरपेक्ष रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹59,735 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹63,827 करोड़ हो गया।

2.6 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री तथा ऋणों और अग्रिमों की वसूली से प्राप्त आय शामिल होती है।

चित्र 2.13: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

अवधि	ऋण और अग्रिम राशि की वसूली	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		कुल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां
		विनिवेश से प्राप्तियां	अन्य	
2019-20	18,647	48,234	2,115	68,996
2020-21	29,923	29,720	8,177	67,820
2021-22	24,948	8,432	6,206	39,586
2022-23	36,272	30,184	15,851	82,307
2023-24	1,16,973	15,220	30,061	1,62,254

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

वर्ष के दौरान, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में अपनी इक्विटी के विनिवेश से ₹15,220 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह ₹30,184 करोड़ था। ये प्राप्तियां मुख्य रूप से कोल इंडिया लिमिटेड (₹4,186 करोड़), एनएचपीसी लिमिटेड (₹2,488 करोड़), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (₹2,129 करोड़), रेल विकास निगम लिमिटेड (₹1,366 करोड़) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹1,349 करोड़) से आईं।

2.6.1 ऋण और अग्रिम की वसूली

राज्यों को भुगतान किए जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक विशेष उधार व्यवस्था की स्थापना की थी। राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार द्वारा इस व्यवस्था के माध्यम से बाजार से ₹2,69,208 (₹1,10,208 + ₹1,59,000) करोड़ की राशि उधार ली गई और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बैंक-टू-बैंक आधार पर ऋण के रूप में दी गई, ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा निधि में अपर्याप्त शेष राशि के कारण मुआवजा जारी न करने के कारण संसाधन की कमी को पूरा करने में मदद मिल सके। उपरोक्त ऋण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रमुख शीर्ष 7601/7602 (ऋण और अग्रिम) के माध्यम से दिए गए, जो दर्शाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से ऋण वसूली योग्य थे। हालाँकि, इन ऋणों का भुगतान जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से किया जाना था, न कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से।

कुल ₹2,69,208 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण में से, ₹78,104 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान चुकाई जानी थी। ऋण की अदायगी वास्तव में संघ सरकार द्वारा

जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से की गई थी। हालांकि, लेखों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से वसूली योग्य दिखाए गए ऋणों को कम करने के लिए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से वसूली योग्य ऋणों को कम करने के लिए, ₹78,104 करोड़ की राशि को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से वसूला हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार, ₹78,104 करोड़ की राशि वास्तव में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वसूल नहीं की गई थी, बल्कि केवल एक समायोजन प्रविष्टि थी।

उपरोक्त लेखांकन उपचार (विचार-विमर्श)के कारण, वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण और अग्रिम की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में 222.49 प्रतिशत बढ़ी। यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण और अग्रिम की कुल वसूली से ₹78,104 करोड़ को बाहर रखा जाता है, तो वास्तविक वसूली ₹38,869 करोड़ होगी जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाएगी।

2.6.2 विनिवेश - लक्ष्यों के साथ तुलना

नीचे दिया गया आंकड़ा लक्ष्यों के विरुद्ध विनिवेश उपलब्धियों की तुलना करता है।

चित्र 2.14: विनिवेश लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

अवधि	बीई	आरई	वित्त मंत्रालय के अनुसार वास्तविक	वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक
2019-20	1,05,000	65,000	50,300	48,234
2020-21	2,10,000	32,000	32,885	29,720
2021-22	1,75,000	78,000	13,534	8,432
2022-23	65,000	50,000	35,294	30,184
2023-24	51,000	30,000	16,507	15,220

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय की वार्षिक प्रतिवेदन, वित्त मंत्रालय के अनुसार बीई, आरई और वास्तविक तथा वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय के यूजीएफए के अनुसार वास्तविक।

नोट: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, विविध पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान ₹61,000 करोड़ लगाया गया था - विनिवेश के लिए ₹51,000 करोड़ और अन्य के लिए ₹10,000 करोड़ - बीई चरण में। हालांकि, आरई चरण में इन विविध पूंजीगत प्राप्तियों को दोनों घटकों के लिए ब्रेकअप प्रदान किए बिना संशोधित करके ₹30,000 करोड़ कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आरई के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीई में विनिवेश प्राप्तियों को विविध पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बीई तक, विनिवेश प्राप्तियों (विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत) के लिए 'अन्य' के साथ-साथ अलग-अलग अनुमान/लक्ष्य थे। 2023-24 के आरई और 2024-25 के बीई में, विविध पूंजीगत प्राप्तियों में केवल एक समेकित राशि का उल्लेख

किया गया है, जिसमें परिवर्तन को सूचीबद्ध नहीं किया गया है या घटकों को नहीं बताया गया है। 2023-24 के आरई में विनिवेश के लिए कोई विशिष्ट अनुमान नहीं है।

वित्त मंत्रालय और यूजीएफए के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक आंकड़ों में भी भिन्नता है। वार्षिक लक्ष्यों को आरई चरण में कम कर दिया गया है जबकि यूजीएफए के अनुसार वास्तविक प्राप्तियां संशोधित प्रक्षेपण से बहुत कम रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, उच्च लाभांश ने विनिवेश प्राप्तियों में कमी की भरपाई कर दी है।

फरवरी 2021 में सरकार ने नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति जारी की। नीति में रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखने और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में उद्यमों को पूरी तरह से निजीकरण और बंद करने की परिकल्पना की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश (₹63,827 करोड़) कुल लाभांश और मुनाफे का 37.35 प्रतिशत रहा।

2.7 व्यय

2.7.1 प्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संचित निधि से संवितरण⁸ में 4.81 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। ₹1,63,23,759 करोड़ के कुल संवितरण में से 75.44 प्रतिशत भारत की संचित निधि से और शेष 24.56 प्रतिशत लोक लेखा⁹ से था।

चित्र 2.15: संवितरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व व्यय (आरई)	26,15,320 (27.90)	33,14,852 (32.85)	34,68,189 (31.78)	37,83,698 (32.20)	38,54,082 (31.30)
पूंजीगत व्यय (सीई)	3,87,744 (4.14)	3,42,949 (3.40)	5,38,140 (4.93)	6,24,757 (5.32)	8,07,180 (6.55)
ऋण और अग्रिम (एलए)	45,141 (0.48)	2,49,846 (2.47)	2,32,205 (2.13)	1,42,059 (1.21)	1,91,310 (1.55)

⁸ संवितरण का तात्पर्य लेखे से होने वाले बहिर्गमन से है, जबकि व्यय, वसूलियों आदि को घटाकर प्राप्त राशि है। आगे दिए गए विश्लेषण में, पढ़ने में आसानी के लिए तथा मामूली अंतर को देखते हुए, दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया गया है।

⁹ सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अलावा, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन भारत के लोक लेखे में जमा किए जाएंगे। प्राप्तियां और व्यय जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें लोक लेखे में शामिल किया जाता है।

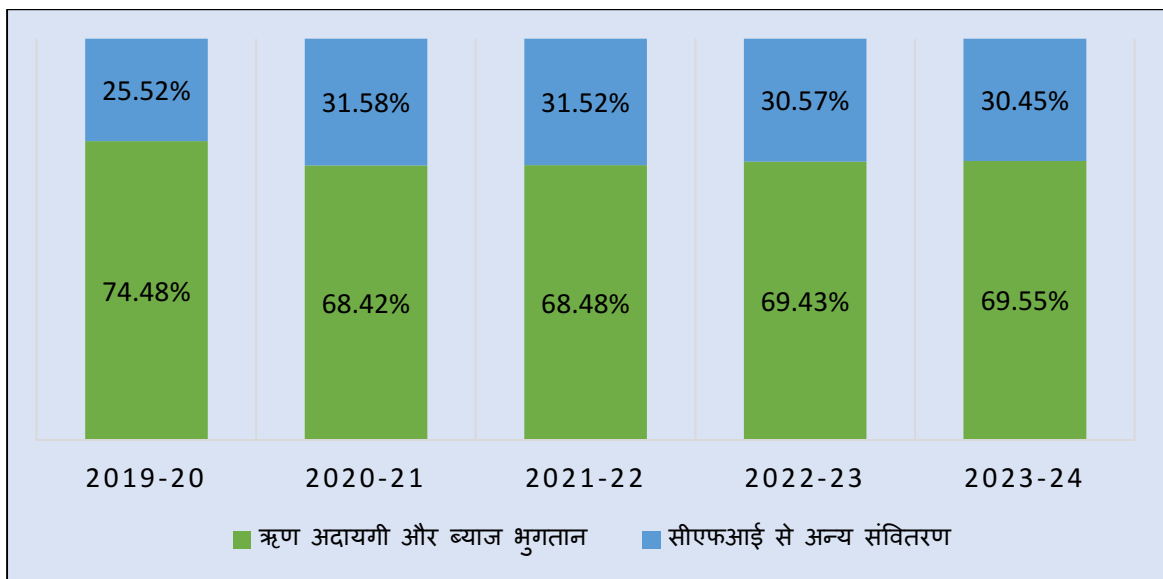
विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (आरई+सीई+एलए)	30,48,205	39,07,647	42,38,534	45,50,514	48,52,572
लोक ऋण की अदायगी	63,26,549 (67.48)	61,84,635 (61.28)	66,45,468 (60.89)	71,99,701 (61.27)	74,62,493 (60.60)
आकस्मिक निधि में अंतरण	-	-	29,500 (0.27)	-	-
सीएफआई से संवितरण	93,74,754	1,00,92,282	1,09,13,502	1,17,50,215	1,23,15,065
लोक लेखा से संवितरण	20,84,799	28,44,653	30,81,152	28,30,518	40,08,694
कुल संवितरण	1,14,59,553	1,29,36,935	1,39,94,654	1,45,80,733	1,63,23,759

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीएफआई से प्राप्त राशि के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

चित्र 2.15 दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में, राजस्व व्यय में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रही है और पूंजीगत व्यय और लोक ऋण की अदायगी भी वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक बढ़ रही है।

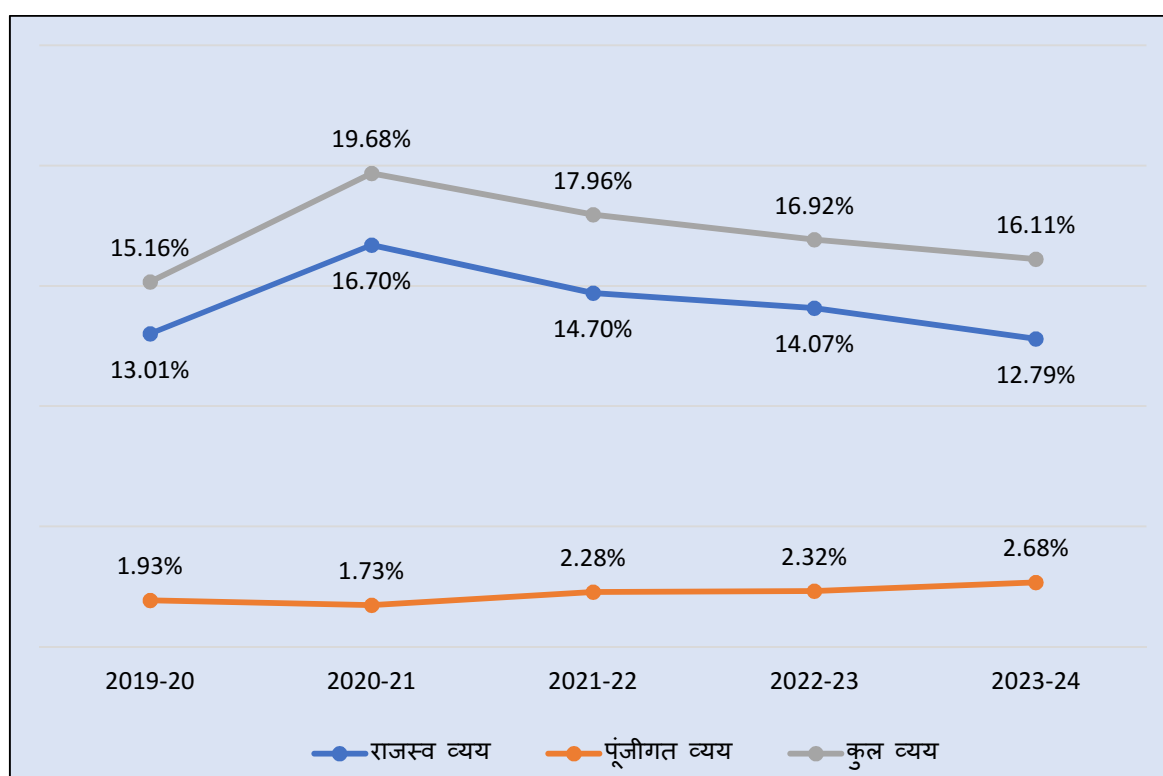
हमने महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में सीएफआई (चित्र 2.16) से कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान की घटती हिस्सेदारी देखी है, जो एक सकारात्मक विकास है। इसके अलावा, लोक ऋण की अदायगी की कुल राशि का 85.90 प्रतिशत (₹64,10,029 करोड़) टी-बिलों के कारण था, जो एक अल्पकालिक माध्यम है, जिसे एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाया जाता है।

चित्र 2.16: सीएफआई संवितरण में लोक ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान का हिस्सा



जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी खर्च (चित्र 2.17) 2020-2021 (कोविड वर्ष) से लगातार कम हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 2020-2021 के बाद सबसे कम था। वित्तीय वर्ष 2020-21¹⁰ में यह चरम पर पहुंच गया और उसके बाद लगातार गिरावट आई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में गिरावट राजस्व व्यय में इसी प्रवृत्ति में दिखाई दी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय 1.73 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी का 2.68 प्रतिशत हो गया है।

चित्र 2.17: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में व्यय



2.7.2 क्षेत्रीय व्यय

चित्र 2.18 क्षेत्रीय व्यय (राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों) का विवरण प्रस्तुत करता है। जबकि आर्थिक सेवाओं पर व्यय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.34 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सहायता-अनुदान और अंशदान में 6.22 प्रतिशत की गिरावट से इसकी भरपाई हो गई, जिसका मुख्य कारण राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान में कमी थी। आर्थिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के कारण थी।

¹⁰ वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय में वृद्धि कई कारणों से हुई, जिसमें पहले के बकाये (खाद्य और उर्वरक सब्सिडी) का भुगतान भी शामिल है। हिस्सेदारी में भारी उछाल (वित्तीय वर्ष 2020-21) के पीछे दूसरा कारक यह है कि जीडीपी का निरपेक्ष मूल्य खुद गिर गया था, इसलिए व्यय में किसी भी वृद्धि का जीडीपी में कुल व्यय के हिस्से को बढ़ाने का प्रभाव था।

चित्र 2.18: केंद्र संघ सरकार का क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रीय व्यय		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएँ	राजस्व व्यय	12,12,505	12,96,967	14,82,119	16,79,263	18,78,933
	पूँजीगत व्यय	1,24,994	1,42,949	1,54,053	1,61,551	1,77,839
	ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0
	उप योग	13,37,499	14,39,916	16,36,172	18,40,814	20,56,772
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	10.07	7.66	13.63	12.51	11.73
	जीडीपी के % के रूप में	6.65	7.25	6.93	6.85	6.83
सामाजिक सेवाएँ	राजस्व व्यय	1,35,769	1,71,271	2,66,367	2,13,780	2,53,336
	पूँजीगत व्यय	9,899	7,611	10,099	12,676	9,173
	ऋण एवं अग्रिम	14,449	6,992	18,942	16,654	18,530
	उप योग	1,60,117	1,85,874	2,95,408	2,43,110	2,81,039
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	23.97	16.09	58.93	-17.70	15.60
	जीडीपी के % के रूप में	0.80	0.94	1.25	0.90	0.93
आर्थिक सेवाएँ	राजस्व व्यय	7,36,314	12,61,988	10,97,901	12,32,621	11,04,681
	पूँजीगत व्यय	2,52,851	1,92,388	3,73,988	4,50,530	6,20,168
	ऋण एवं अग्रिम	4,839	93,364	16,381	15,155	30,126
	उप योग	9,94,004	15,47,740	14,88,270	16,98,306	17,54,975
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	3.09	55.71	-3.84	14.11	3.34
	जीडीपी के % के रूप में	4.94	7.80	6.31	6.32	5.83
सहायता अनुदान और अंशदान	राजस्व व्यय	5,30,731	5,84,627	6,21,802	6,58,035	6,17,132
	उप योग	5,30,731	5,84,627	6,21,802	6,58,035	6,17,132
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	38.68	10.16	6.36	5.83	-6.22
	जीडीपी के % के रूप में	2.64	2.94	2.64	2.45	2.05
कुल योग		30,22,351	37,58,157	40,41,652	44,40,265	47,09,918
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)		12.31	24.35	7.54	9.86	6.07
जीडीपी के % के रूप में		15.03	18.93	17.13	16.52	15.64

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

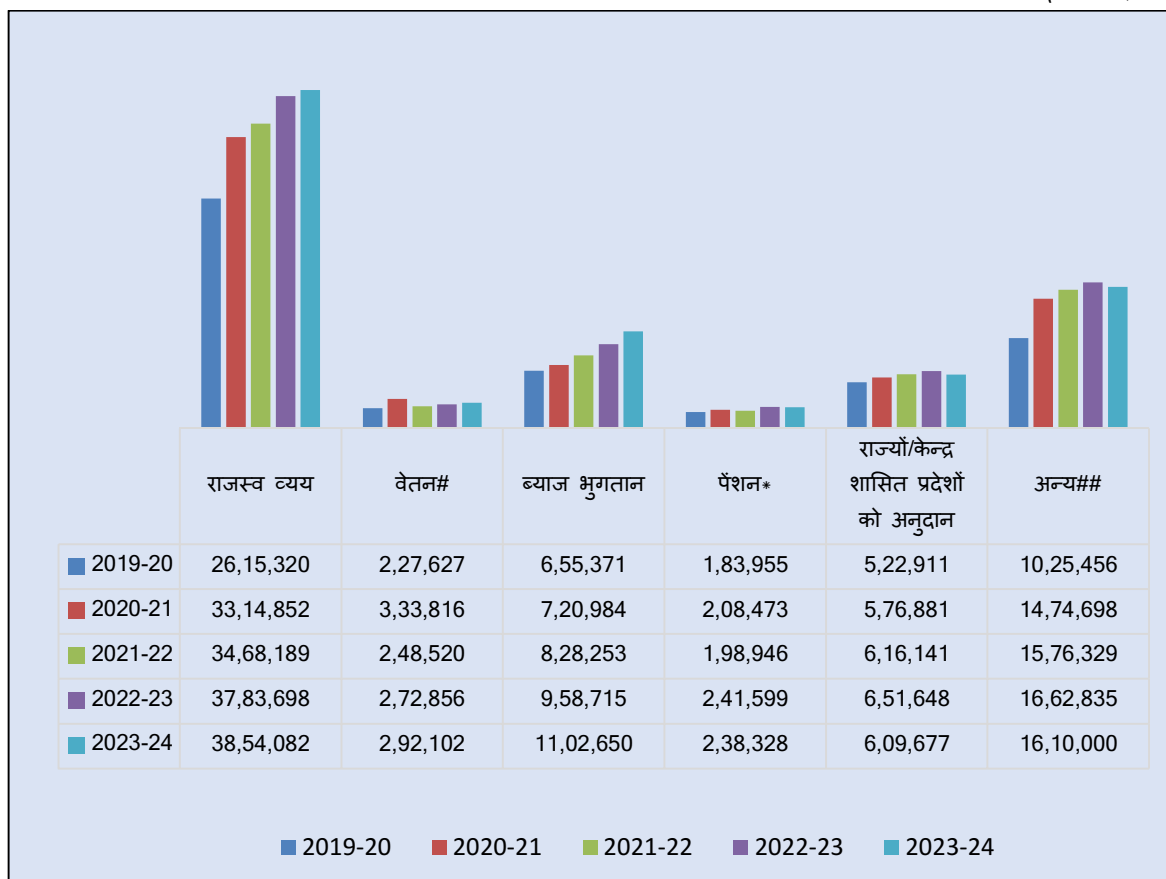
नोट: क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों (₹1,612 करोड़), राज्य सरकारों (₹1,40,863 करोड़) और सरकारी कर्मचारियों (₹178 करोड़) को दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

2.7.3 राजस्व व्यय

सरकार, सरकारी विभागों के सामान्य दैनिक कामकाज, विभिन्न सेवाओं, वेतन, अपने द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि के लिए राजस्व व्यय करती है। संघ सरकार के लिए राज्य सरकारों और अन्य को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं क्योंकि परिसंपत्तियां उसके स्वामित्व में नहीं होती हैं। संघ सरकार द्वारा राजस्व व्यय से उसकी परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है।

चित्र 2.19: राजस्व व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)



स्रोत: # वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय प्रोफाइल का विवरण 22; * इसमें एमएच-2071 के तहत सिविल और रक्षा पेंशन शामिल हैं और पोस्ट और रेलवे पेंशन शामिल नहीं हैं; ## अन्य में रक्षा, रेलवे, विविध सामान्य सेवाएं आदि पर व्यय शामिल हैं।

राजस्व व्यय के तीन घटक अर्थात् ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन भुगतान प्रतिबद्ध व्यय का गठन करते हैं। प्रतिबद्ध व्यय श्रेणी के अंतर्गत ब्याज भुगतान सबसे बड़ा आकर्षण है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय का औसतन 24.93 प्रतिशत रहा है। जो इसके बाद वेतन और पेंशन का स्थान आता है। अन्य श्रेणी के अंतर्गत राजस्व व्यय में रेलवे और रक्षा का बड़ा हिस्सा शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 से बढ़ गया है, जिससे विवेकाधीन व्यय की सम्भावना कम रहती है।

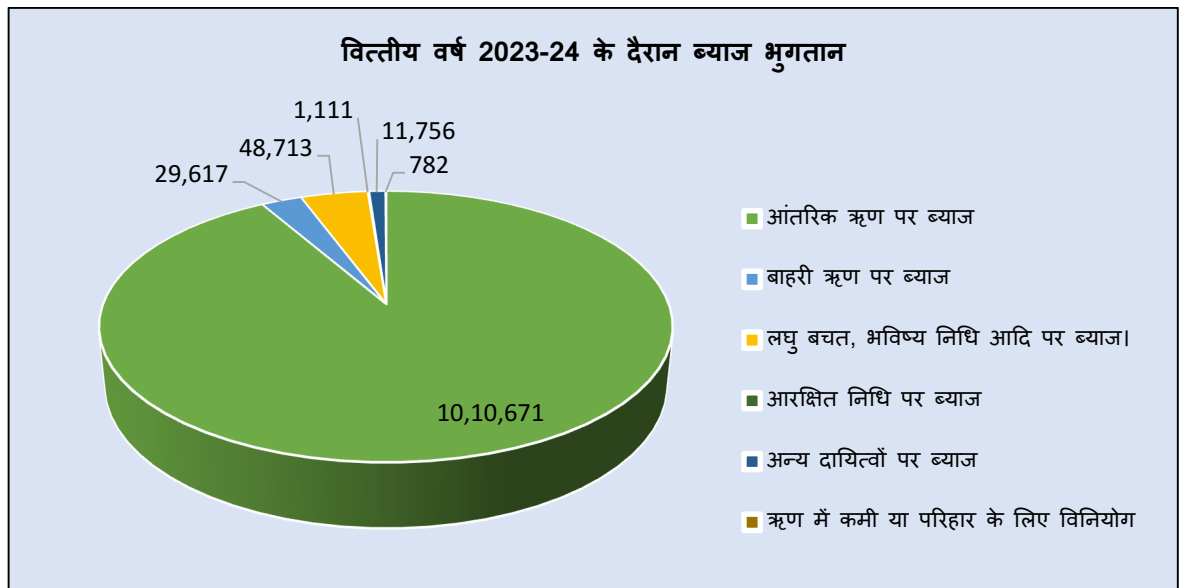
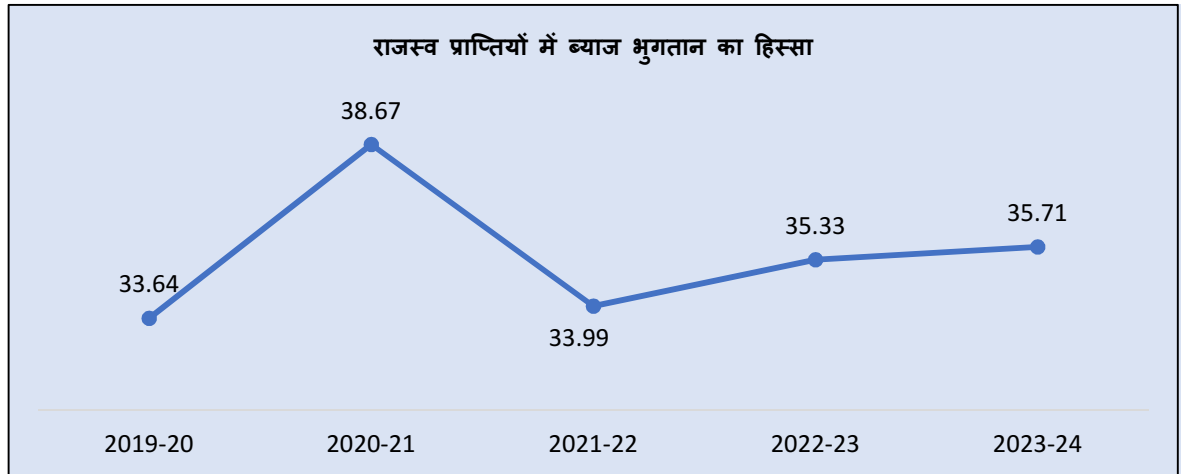
2.7.3.1 प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

(क) ब्याज भुगतान

चित्र 2.20: राजस्व व्यय और प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

अवधि	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्ति (आरआर)	राजस्व व्यय (आरई)	कुल व्यय (टीई)	आईपी का विकास	आरआर में आईपी का हिस्सा	आईपी का आरई में हिस्सा	टीई में आईपी का हिस्सा
	(₹ करोड़ में)				(प्रतिशत में)			
2019-20	6,55,371	19,48,083	26,15,320	30,48,205	10.04	33.64	25.06	21.50
2020-21	7,20,984	18,64,513	33,14,852	39,07,647	10.01	38.67	21.75	18.45
2021-22	8,28,253	24,36,421	34,68,189	42,38,534	14.88	33.99	23.88	19.54
2022-23	9,58,715	27,13,267	37,83,698	45,50,514	15.75	35.33	25.34	21.07
2023-24	11,02,650	30,88,175	38,54,082	48,52,572	15.01	35.71	28.61	22.72



वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आंतरिक ऋण पर ब्याज में 14.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹8,84,099 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹10,10,671 करोड़ तक), बाह्य ऋण पर ब्याज वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹12,667 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹29,617 करोड़ हो गया (आंतरिक ऋण का आगे का विश्लेषण इस अध्याय में पैरा 2.10.1 में है)। लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹47,039 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹48,713 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आरक्षित निधि पर ब्याज ₹929 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,111 करोड़ हो गया।

(ख) पेंशन भुगतान

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर किया गया कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹3,07,704 करोड़ से 0.11 प्रतिशत बढ़कर ₹3,08,040 करोड़ हो गया, जैसा कि चित्र 2.21 में दिखाया गया है। रक्षा पेंशन संघ सरकार के कुल पेंशन व्यय का 46 प्रतिशत से अधिक है।

चित्र 2.21: पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

अवधि	रक्षा	नागरिक	रेलवे	डाक	कुल
2019-20	1,17,810	66,144	49,188	9,419	2,42,561
2020-21	1,28,066	80,407	48,435	9,760	2,66,668
2021-22	1,16,800	82,146	51,935	10,561	2,61,442
2022-23	1,53,407	88,192	55,034	11,071	3,07,704
2023-24	1,42,093	96,235	58,038	11,674	3,08,040

स्रोत: सिविल और रक्षा पेंशन के लिए आंकड़े वित्त लेखों (मुख्य शीर्ष 2071) से हैं। रेलवे और डाक के लिए आंकड़े उनके विनियोग लेखों से हैं।

(ग) सब्सिडी

संघ सरकार की प्रमुख सब्सिडी खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम (एलपीजी) पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज/अन्य सब्सिडी पर कुल संवितरण वित्तीय वर्ष 2022-23 की वास्तविक तुलना में 23.69 प्रतिशत कम है।

चित्र 2.22: संघ सरकार के बजट में सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक* (यूरिया)	उर्वरक # (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम सब्सिडी	अन्य **	कुल सब्सिडी
2019-20	1,08,688	54,755	26,369	38,529	33,963	2,62,304
2020-21	5,41,330	90,549	37,372	36,755	48,930	7,54,936
2021-22	2,88,969	1,00,988	52,770	3,421	56,078	5,02,226
2022-23	2,72,802	1,65,217	86,122	6,817	38,957	5,69,915
2023-24	2,11,814	1,23,092	65,199	12,240	22,552	4,34,897

स्रोत: सीजीए कार्यालय से प्राप्त सब्सिडी विवरण।

*स्वदेशी और आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी जाने वाली सब्सिडी को दर्शाता है।

नियंत्रण मुक्त उर्वरकों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को दर्शाता है। 01 अप्रैल 2010 से यह पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है।

**अन्य में संशोधित ब्याज अनुदान योजना, ब्याज समकरण योजना, ऋण सहायता कार्यक्रम, कृषि अवसंरचना निधि, राष्ट्रीय विद्युत निधि पर ब्याज अनुदान आदि जैसी ब्याज सब्सिडी और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि और संवर्धन के लिए चीनी को वित्तीय सहायता देने की योजना आदि जैसी अन्य सब्सिडी शामिल हैं।

खाद्य सब्सिडी में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए आवंटन (66 प्रतिशत) शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एफसीआई को खाद्य सब्सिडी में ₹60,558 करोड़¹¹ की कमी आई (वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹2,00,219 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,39,661 करोड़ तक)। इसी तरह, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी में भी ₹549 करोड़ की कमी आई (वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹72,282 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹71,733 करोड़ तक)।

उर्वरक सब्सिडी का भुगतान उन निर्माताओं और आयातकों को किया जाता है जो किसानों को बाजार मूल्य से कम पर उर्वरक बेचते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उर्वरकों पर सब्सिडी ₹63,048 करोड़ कम हो गई (वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹2,51,339 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1,88,291 करोड़)।

¹¹ वित्तीय वर्ष 2023-24 में खाद्य सब्सिडी में कमी, अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ पीडीएस लाभार्थियों को दिए जाने वाले मुफ्त अतिरिक्त 5 किलो अनाज आवंटन को बंद करने के कारण हुई, जो महामारी और लॉकडाउन के अभूतपूर्व प्रकोप के दौरान प्रदान किया गया था।

2.7.3.2 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

चित्र 2.23: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

अवधि	राज्यों को सहायता अनुदान				विधानमंडल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए जीआईए		
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	वित्त आयोग अनुदान	अन्य	राज्यों को कुल जीआईए	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	अन्य	कुल जीआईए से यूटी को
2019-20	2,08,543	1,23,710	1,62,722	4,94,975	3,577	24,359	27,936
2020-21	2,08,395	1,84,062	1,33,757	5,26,214	7,886	42,781	50,667
2021-22	2,40,383	2,07,435	1,17,195	5,65,013	5,724	45,404	51,128
2022-23	2,47,748	1,72,760	1,59,735	5,80,243	7,051	64,354	71,405
2023-24	2,38,796	1,48,522	1,52,646	5,39,964	9,001	60,712	69,713

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसएस पर भारत सरकार का कुल व्यय, जैसा कि व्यय प्रोफाइल 2025-26 के विवरण 4ए में दर्शाया गया है, ₹4,44,547 करोड़ था, जो सीएसएस के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता-अनुदान (एमएच 3601/3602) (₹2,47,797 करोड़) के अनुरूप है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीएसएस के तहत अंतरण न केवल एमएच 3601/3602 के माध्यम से बल्कि विभिन्न कार्यात्मक प्रमुख शीर्षों (एमएच) के माध्यम से भी किया जाता है। हमने एमजीएनआरईजीएस के लिए ऐसे अंतरण के लेखांकन का विश्लेषण किया। भारत सरकार द्वारा एमजीएनआरईजीएस पर कुल व्यय ₹89,263 करोड़ में से ₹88,751 करोड़ का अंतरण था। ₹65,260 करोड़ (अर्थात् 73.11 प्रतिशत) का अंतरण कार्यात्मक एमएच 2505 (ग्रामीण रोजगार) उप एमएच 02 (ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के माध्यम से किया गया। केवल शेष अर्थात् 26.89 प्रतिशत एमएच 3601/3602 के माध्यम से किया गया। वित्त लेखों में विभिन्न स्थानों पर सीएसएस के तहत अंतरण¹² का यह विस्तार वित्त लेखों में एक स्थान पर एक संचयन की स्थिति को रोकता है।

वित्त मंत्रालय ने 23 मार्च 2021 के पत्र के माध्यम से सीएसएस निधि के अंतरण की संशोधित प्रक्रिया के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियों का अंतरण पहले चरण में राज्य की संचित निधि में किया

¹² राज्य सरकारों को किए गए अंतरण एमएच 3601/3602 के अंतर्गत दर्ज किए गए तथा अन्य संस्थाओं (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी आदि) को किए गए अंतरण एमएच 2505 के अंतर्गत दर्ज किए गए।

जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट परिपत्र में दोहराया गया है कि सीएसएस के तहत, केंद्र का हिस्सा पूरी तरह से राज्य के कोष के माध्यम से सहायता-अनुदान के रूप में दिया जाएगा। हमने देखा कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के मामले में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपूर्ण व्यय (₹69,741 करोड़) सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों (एस्करो अकाउंट) को किया।

2.7.4 पूंजीगत व्यय

सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में रक्षा सेवाओं, पुलिस, लोक निर्माण, सीमा शुल्क, प्रशासनिक सेवाओं, चुनाव आदि पर पूंजीगत परिव्यय शामिल है।

सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में शिक्षा, खेल, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, सूचना और प्रसारण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, प्राकृतिक आपदाएं आदि पर पूंजीगत परिव्यय शामिल है।

आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में फसल पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्य जीवन, खाद्य, भंडारण और गोदाम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, बिजली, पेट्रोलियम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण और लघु उद्योग, उद्योग और खनिज, परिवहन, संचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, पर्यटन, विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन, सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश आदि पर पूंजीगत परिव्यय शामिल है।

वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) ₹8,07,180 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में कैपेक्स में 29.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के तौर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कैपेक्स 16.63 प्रतिशत रहा। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, कैपेक्स वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.68 प्रतिशत रहा।

चित्र 2.24: पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएँ	1,24,994	1,42,949	1,54,053	1,61,551	1,77,839
रक्षा सेवाएँ	1,11,092	1,34,305	1,37,987	1,42,940	1,54,256
अन्य	13,902	8,644	16,066	18,611	23,583
सामाजिक सेवाएं	9,899	7,611	10,099	12,676	9,173

अवधि	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवासन और शहरी विकास	4,688	3,059	6,078	8,608	6,063
अन्य	5,211	4,552	4,021	4,068	3,110
आर्थिक सेवाएँ	2,52,851	1,92,389	3,73,988	4,50,530	6,20,168
परिवहन	1,39,481	1,22,734	2,97,767	3,71,258	5,15,094
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	81,116	46,837	40,937	1,272	19,832
अन्य	32,254	22,818	35,284	78,000	85,242
कुल	3,87,744	3,42,949	5,38,140	6,24,757	8,07,180

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

परिवहन और रक्षा सेवाएँ पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय के दो प्रमुख चालक रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिवहन क्षेत्र (आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत) में पूंजीगत व्यय 269.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख वृद्धि गुणक के रूप में अवसंरचना क्षेत्र पर सरकार के झुकाव को दर्शाता है।

2.8 संघ सरकार की देनदारियाँ

यूजीएफए का विवरण संख्या 2 संघ सरकार की ऋण स्थिति का सारांश प्रदान करती है। चित्र 2.25 यूजीएफए में दर्शाई गई संघ सरकार की बकाया देनदारियों पर चर्चा करता है।

चित्र 2.25: संघ सरकार की बकाया देनदारियाँ

(₹ करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण	मार्च के अंत में वर्तमान मूल्यों पर बाह्य ऋण	लघु बचत भविष्य निधि, आदि।	आरक्षित निधि और जमा	संघ सरकार की देनदारियाँ (यूजीएफए के अनुसार)
2019-20	80,20,490	5,44,394	15,74,289	3,04,444	1,04,43,617
2020-21	99,09,543	6,14,829	14,27,324	3,33,948	1,22,85,644
2021-22	1,14,62,343	6,58,334	12,24,452	4,19,765	1,37,64,894
2022-23	1,30,73,732	7,48,456	11,18,661	5,38,137	1,54,78,986
2023-24	1,46,98,177	7,96,078	10,75,243	6,38,411	1,72,07,909

वित्तीय वर्ष 2018-19 से कुल देनदारियों में लगातार 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, यह मुख्य रूप से लोक ऋण (₹16,72,067 करोड़) में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.17 प्रतिशत बढ़ा।

यूजीएफए का विवरण 14 आंतरिक और बाह्य ऋण की विस्तृत स्थिति बताता है जो मिलकर संघ सरकार के लोक ऋण का गठन करते हैं और सीएफआई में सुरक्षित होते हैं। आंतरिक ऋण में मुख्य रूप से बाजार ऋण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल और एनएसएसएफ को जारी संघ सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और बहुपक्षीय निकायों से प्राप्त ऋणों को दर्शाता है।

2.8.1 आंतरिक ऋण

चित्र 2.26: आंतरिक ऋण - संरचना और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	बाजार ऋण	ट्रेजरी बिल	जारी प्रतिभूतियाँ	क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	अन्य	कुल आंतरिक ऋण
2019-20	59,86,127	6,13,321	12,73,757	53,226	94,059	80,20,490
2020-21	71,35,144	8,96,526	17,50,819	72,906	54,148	99,09,543
2021-22	80,26,725	9,73,964	23,07,666	85,643	68,345	1,14,62,343
2022-23	91,25,233	10,37,297	26,90,149	80,815	1,40,238	1,30,73,732
2023-24	1,02,12,883	11,39,179	31,43,909	64,823	1,37,383	1,46,98,177

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों का विवरण 14।

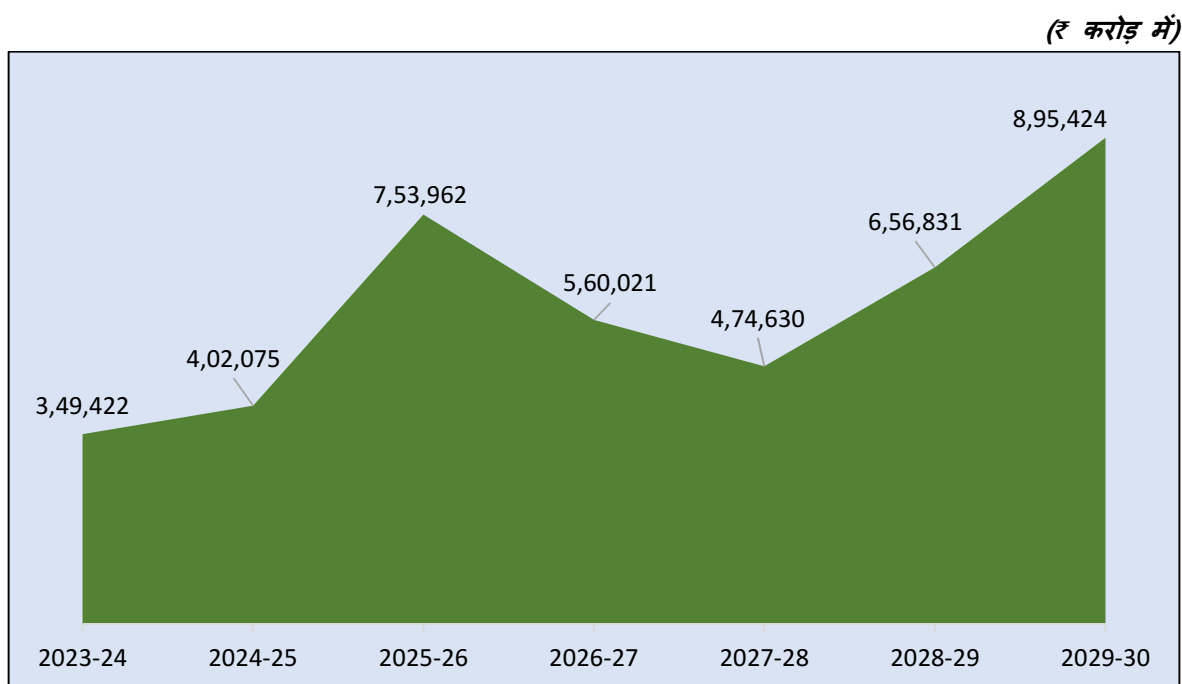
नोट: 'जारी प्रतिभूतियाँ' में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय लघु बचत कोष, डाक जीवन बीमा, विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। 'क्षतिपूर्ति और अन्य बांड' में 10 प्रतिशत राहत बांड भी शामिल हैं। 'अन्य' में स्वर्ण मुद्राकरण योजना, सॉवरेन गोल्ड बांड आदि शामिल हैं।

चित्र 2.26 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंतरिक ऋण (69.48 प्रतिशत) का प्रमुख घटक बाजार ऋण था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इसका अनुपात लगातार 74.64 से घटकर 69.48 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार ने ₹16,23,290 करोड़ के अतिरिक्त बाजार ऋण जुटाए, जबकि ₹5,35,640 करोड़ के ऋण भी चुकाए गए। जुटाए गए ऋणों में से ₹30,000 करोड़ की प्रतिभूतियाँ 40 वर्षों की सबसे लंबी पूर्ण समयावधि अवधि के लिए थी।

31 दिसंबर 2030 तक मोचन के लिए देय बाजार ऋण राशि ₹40,92,365 करोड़ (बकाया बाजार ऋण का 40.07 प्रतिशत) है, जैसा कि चित्र 2.27 में दिखाया गया है। अगले पाँच वर्षों में एक महत्वपूर्ण राशि की समयावधि पूर्ण होगी: वित्तीय वर्ष 2025-26 में (18.42 प्रतिशत) और वित्तीय वर्ष 2029-30 में (21.88 प्रतिशत)।

चित्र 2.27: बाजार ऋणों की पूर्ण समयावधि की प्रोफाइल(रूपरेखा)



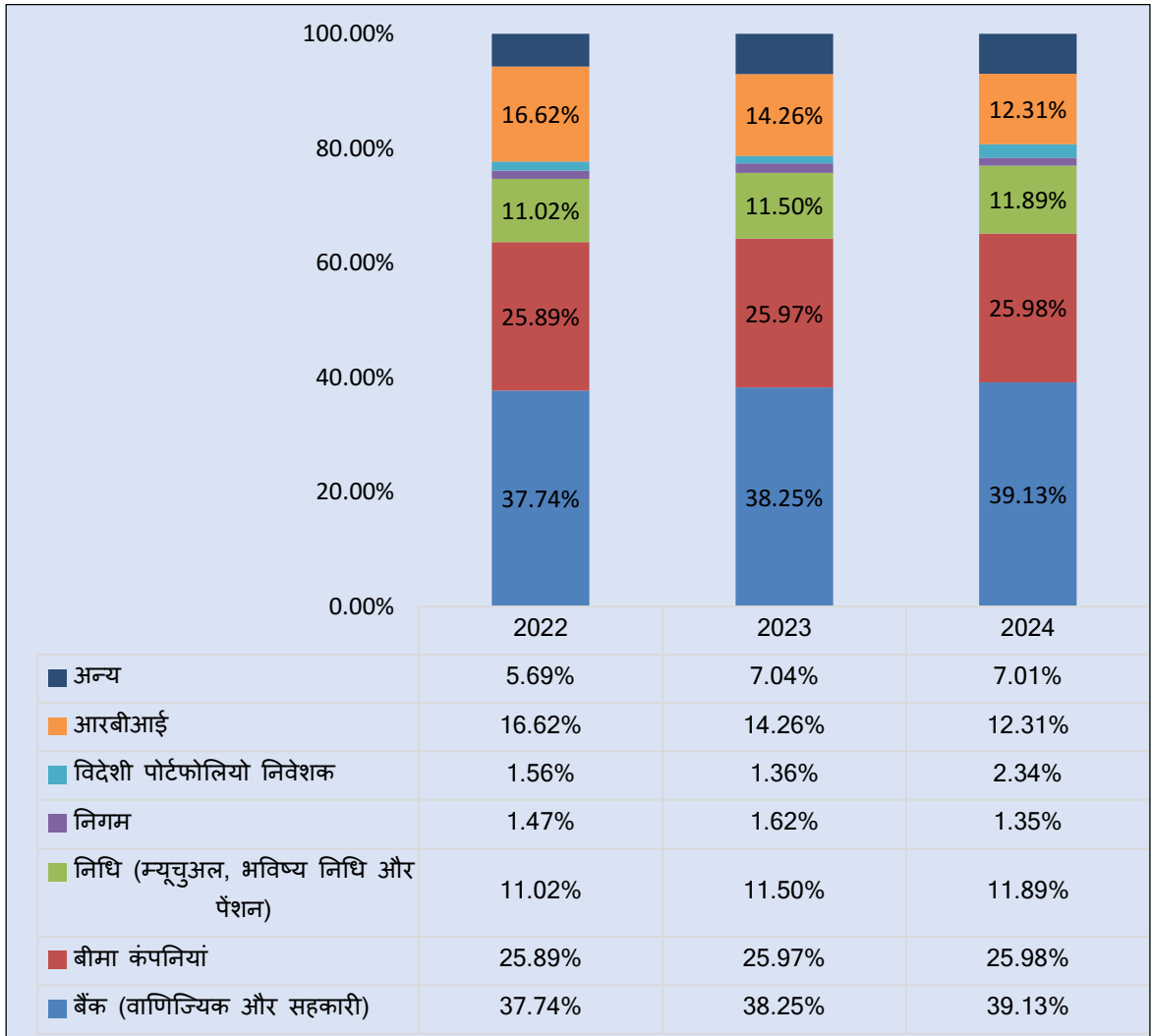
स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों का विवरण 14क।

2.8.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का स्वामित्व पैटर्न

केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ

वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच केंद्र सरकार की बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के वर्ष के अंत के स्टॉक के विश्लेषण से पता चला है कि बैंक (वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक दोनों शामिल) सबसे बड़े निवेशक वर्ग बने रहे, जिनकी सापेक्ष हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 37.74 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 39.13 प्रतिशत हो गई। बीमा कंपनियाँ, दिनांकित प्रतिभूतियों की दूसरी सबसे बड़ी ग्राहक हैं, जिनके पास एक-चौथाई से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा है। हालाँकि, निधि (म्यूचुअल निधि, भविष्य निधि और पेंशन निधि) की हिस्सेदारी 16.62 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2021-22 में) से घटकर 14.26 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2022-23 में) हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में और कम होकर 12.31 प्रतिशत हो गई। चूंकि बीमा कंपनियां और भविष्य निधि दीर्घकालिक निवेशक हैं, इसलिए जी-सेक बाजार में उनकी भागीदारी, प्रतिफल पर अनावश्यक दबाव डाले बिना, अपने ऋण पोर्टफोलियो की पूर्ण समयावधि में और वृद्धि करने के सरकार के प्रयास को पूरा करती है।

**चित्र 2.28: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का स्वामित्व
(31 मार्च 2024 तक बकाया)**



स्रोत: आरबीआई के लोक ऋण आंकड़े (तालिका सं. 113)।

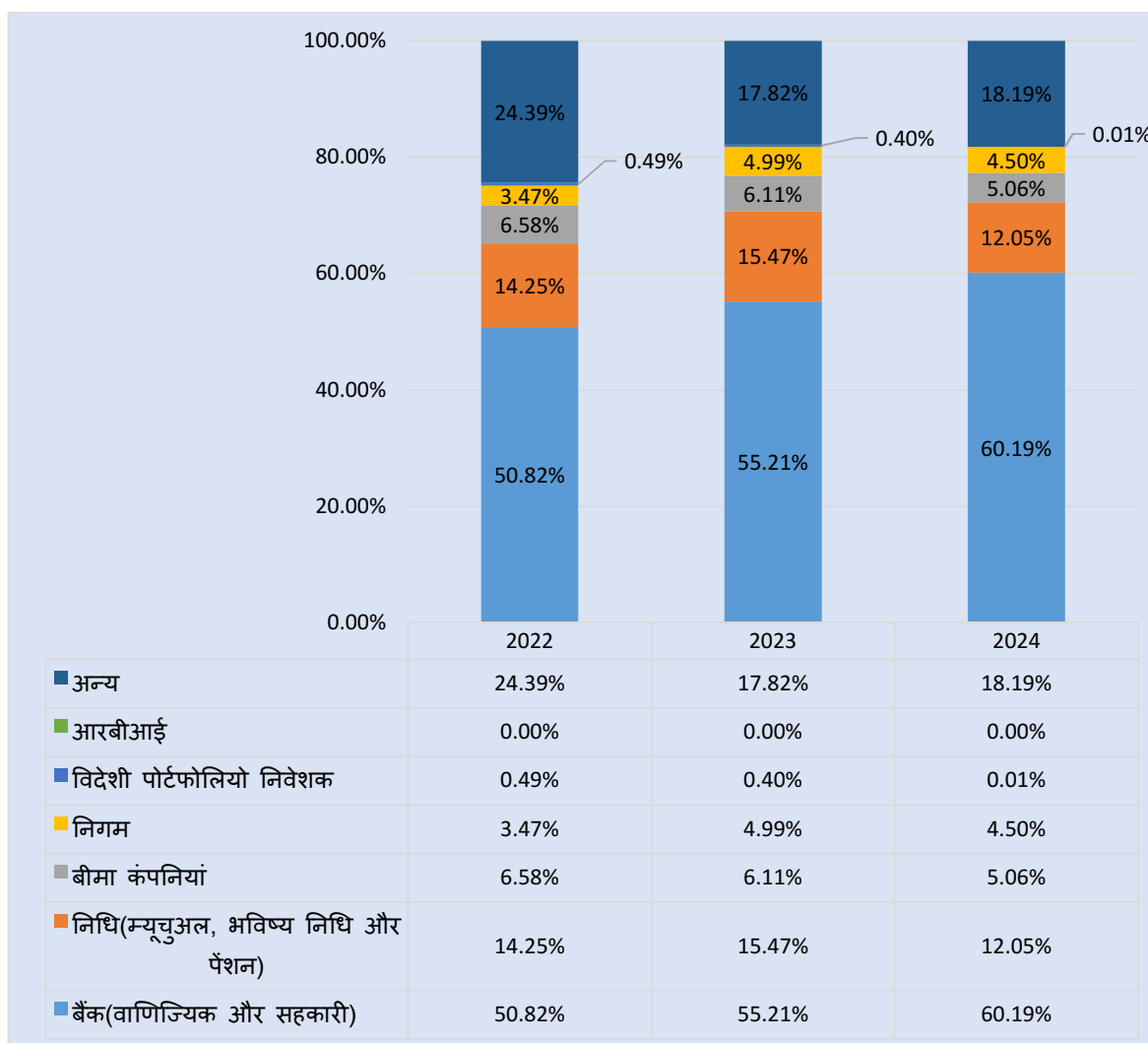
ट्रेजरी बिल

ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं, लेकिन इन्हें छूट पर जारी किया जाता है और समयावधि पूर्ण होने पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। ये अल्पावधि के लिए जारी की जाती हैं, जिनकी मूल पूर्ण समयावधि एक वर्ष से कम होती है - वर्तमान में ये 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की अवधि में जारी की जाती हैं।

हमने पाया कि केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की तरह, अधिकांश टी-बिल बैंकों (वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक दोनों) के पास थे, और उनकी हिस्सेदारी 50.82 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2021-22 में) से बढ़कर 60.19 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2023-24 में) हो गई।

इसी तरह, कॉरपोरेट्स जिनके पास वित्तीय वर्ष 2021-22 में बकाया ट्रेजरी बिलों का केवल 3.47 प्रतिशत था, ने प्रतिभूतियों में अपने सापेक्ष अभिदान को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 4.99 प्रतिशत कर दिया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में घटकर 4.50 प्रतिशत रह गया। अन्य सभी हितधारकों (निधि, बीमा कंपनियाँ, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और अन्य) की वर्ष-वार हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई।

चित्र 2.29: ट्रेजरी बिलों का स्वामित्व - (31 मार्च 2024 तक बकाया)



स्रोत: आरबीआई के लोक ऋण आंकड़े (तालिका सं. 113)।

2.8.3 विदेशी ऋण

चित्र 2.30 से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विदेशी ऋण की कुल राशि में ऐतिहासिक¹³ दर पर 14.83 प्रतिशत की वृद्धि देखी

¹³ उस समय की मुद्रा विनिमय दर जब ऋण का प्रारंभिक अनुबंध किया गया था।

गई, जो कि मौजूदा दर पर 6.36¹⁴ प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जुटाए गए विदेशी ऋण की समीक्षा से पता चला है कि विदेशी ऋण के तीन सबसे बड़े स्रोत एशियाई विकास बैंक (₹26,608 करोड़), अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (₹28,826 करोड़) और जापान सरकार (₹35,200 करोड़) से लिए गए ऋण थे।

चित्र 2.30: विदेशी ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

अवधि	ऐतिहासिक दर पर विदेशी ऋण	वर्तमान दर पर विदेशी ऋण
2019-20	2,99,250	5,44,394
2020-21	3,88,472	6,14,829
2021-22	4,39,355	6,58,334
2022-23	4,93,157	7,48,456
2023-24	5,66,269	7,96,078

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

चित्र 2.31 पिछले पांच वर्षों के लिए लोक ऋण प्राप्ति और पुनर्भुगतान को दर्शाता है। लोक ऋण की अदायगी और शोधन कुल लोक ऋण प्राप्तियों के 83.77 प्रतिशत से 94.70 प्रतिशत के बीच थी। यह दर्शाता है कि लोक ऋण का एक बड़ा हिस्सा पिछले ऋण की अदायगी और शोधन के लिए प्रतिबद्ध है।

चित्र 2.31: लोक ऋण प्राप्तियां और अदायगी

(₹ करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण की अदायगी और शोधन		विदेशी ऋण की अदायगी और शोधन		सार्वजनिक ऋण की कुल अदायगी और सेवा	सार्वजनिक ऋण की कुल प्राप्ति	कॉलम 6 से कॉलम 7 का प्रतिशत
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	(2+3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2019-20	62,92,658	5,78,186	33,891	9,420	69,14,155	73,01,387	94.70
2020-21	61,49,920	6,44,829	34,715	8,204	68,37,668	81,62,910	83.77
2021-22	66,09,686	7,52,200	35,782	7,053	74,04,721	82,49,152	89.76
2022-23	71,59,772	8,84,099	39,929	12,667	80,96,467	88,64,893	91.33
2023-24	74,15,176	10,10,671	47,317	29,617	85,02,781	91,60,050	92.82

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

¹⁴ 31 मार्च 2024 को संबंधित मुद्रा पर लागू विनिमय दर।

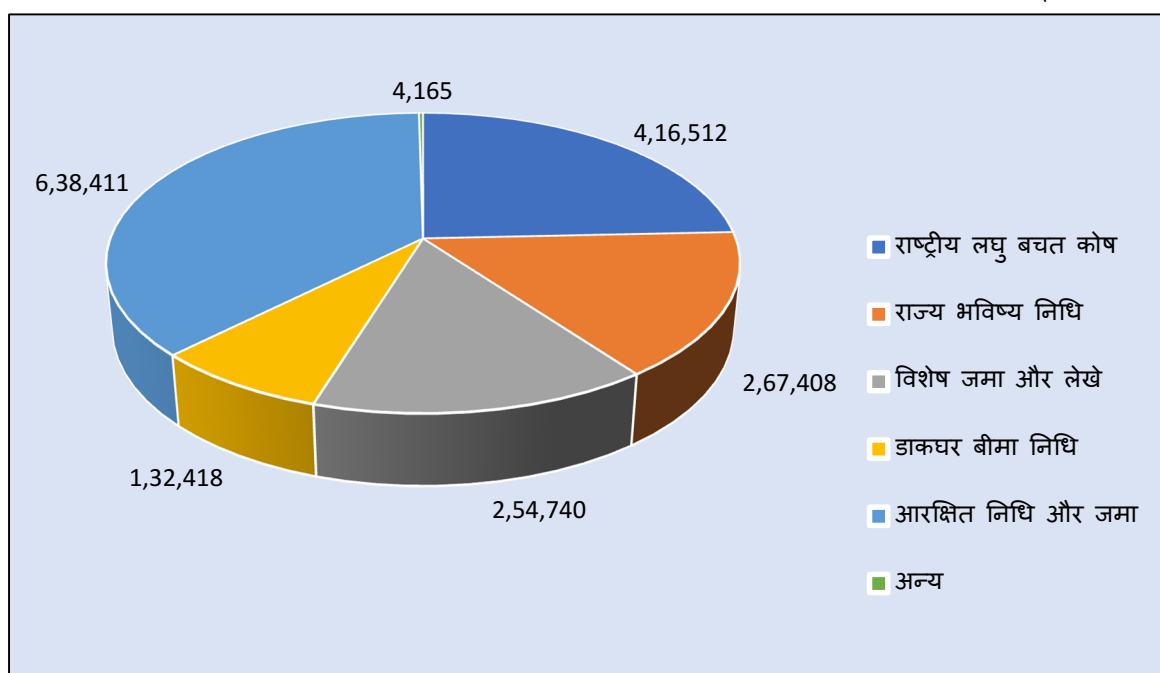
2.9 लोक लेखा देयताएं

भारत सरकार की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी लोक धन, भारत की संचित निधि में जमा किए जाने वाले धन के अलावा, भारत के लोक लेखा में जमा किया जाता है।¹⁵ लोक लेखा के तहत प्राप्तियां में एनएसएसएफ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान, सरकार द्वारा प्राप्त सुरक्षा जमा और अन्य जमा, तेल/खाद्य/उर्वरक सब्सिडी के बदले जारी प्रतिभूतियां आदि शामिल हैं। लोक लेखा देनदारियों के मामले में, सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है और निहित अनुबंध/घटना के पूरा होने के बाद मांग पर धन वापस करती है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जमा और अग्रिम में 148.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह उल्लेखनीय वृद्धि अन्य जमाराशियों (एचओए: 8449.124) के तहत 'सीमा शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर' से संबंधित ₹6,66,708 करोड़ की जमाराशियों के कारण हुई जोकि 'ब्याज रहित जमा' के तहत आती है।

इन लेन-देनों का सारांश यूजीएफए के विवरण 13, 14 और 16 में दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक लोक लेखा देनदारियों में एनएसएसएफ और आरक्षित निधि का 38.26 प्रतिशत हिस्सा है (चित्र 2.32) ₹17,13,654 करोड़ रहा।

चित्र 2.32: वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक लेखा देयताएं

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए।

¹⁵ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 का खंड (2)।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि

राष्ट्रीय लघु बचत निधि¹⁶ (एनएसएसएफ) में डाकघर बचत खाता, डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि लेखे, डाकघर प्रमाणपत्र जैसे बचत प्रमाणपत्र और लोक भविष्य निधि जैसी बचत जमाएँ शामिल हैं। एनएसएसएफ में प्राप्त कुल जमा राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹27,26,012 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹31,47,691 करोड़ हो गई। निवल संग्रह को केंद्र और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2024 तक, एनएसएसएफ के पास ₹4,831 करोड़ का क्रेडिट शेष था।

आरक्षित निधि

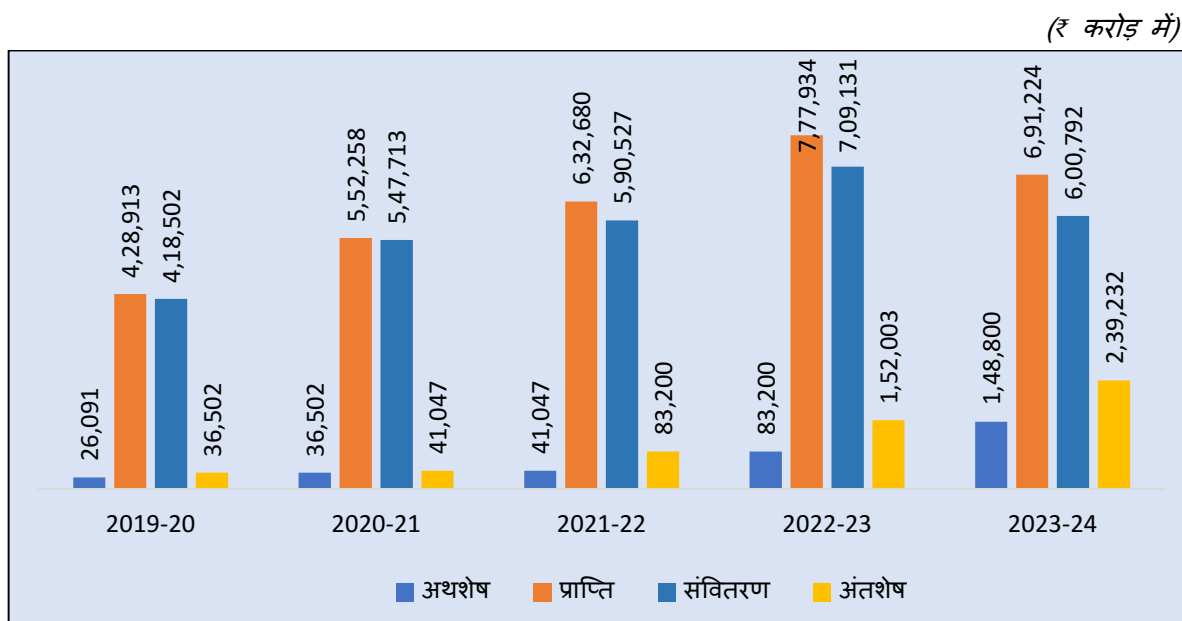
संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में लोक लेखा को उन निधियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत सरकार की ओर से प्राप्त की जाती हैं। सरकार द्वारा आरक्षित निधियों में रखा गया धन लोक लेखा का हिस्सा है और सड़क विकास, भविष्य निधि, प्राथमिक शिक्षा आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय निर्धारित आरक्षित निधियों के माध्यम से किया जाता है। ये निधियाँ सरकार की नहीं होती हैं और इन्हें अंततः उन लोगों को वापस करना होता है जिन्होंने इन्हें संबंधित देनदारी को जमा किया था। ऐसे भुगतानों के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, जब संसद की स्वीकृति से संचित निधि से धन निकाला जाता है और किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यय के लिए लोक लेखा में रखा जाता है, तो इसे संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

संघ सरकार के लोक लेखा में आरक्षित निधियों को ब्याज देने वाली और ब्याज न देने वाली श्रेणी में रखा गया है। लोक लेखा में 57 आरक्षित निधियों में से 19 ब्याज देने वाली और 38 ब्याज न देने वाली हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज देने वाली आरक्षित निधियों के संबंध में ₹1,111.55 करोड़ का ब्याज दिया गया। वर्ष के दौरान 57 में से 10 आरक्षित निधियों का संचालन नहीं किया गया। यूजीएफए में, आरक्षित निधियाँ उपकर, लेवी और शुल्क के संग्रह और उपयोग के लेखांकन के लिए होता हैं, जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता है।

¹⁶ राष्ट्रीय लघु बचत निधि (अभिरक्षा एवं निवेश) नियम, 2001 के अंतर्गत गठित इस निधि में निम्नलिखित मुख्य शीर्ष शामिल हैं: मुख्य शीर्ष: 8001 - बचत जमा; मुख्य शीर्ष: 8002 - बचत प्रमाणपत्र; मुख्य शीर्ष: 8006 - लोक भविष्य निधि; मुख्य शीर्ष: 8007 - राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश; तथा मुख्य शीर्ष: 8008 - राष्ट्रीय लघु बचत निधि की आय और व्यय।

चित्र 2.33 दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्ति और संवितरण में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी आई है, जिसका मुख्य कारण केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में कम अंतरण और संवितरण है।

चित्र 2.33: आरक्षित निधि से प्राप्तियों/संवितरणों की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूजीएफए/

चित्र 2.33 से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान आरक्षित निधि से प्राप्तियां और संवितरण क्रमशः 1.61 गुना और 1.44 गुना बढ़ गए।

2.10 राजकोषीय संकेतक

राजकोषीय संचयन आगे समेकन की दिशा में मार्ग का संकेत देते हैं। जहां सरकार की संसाधन आवश्यकताएं गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं की जाती हैं, वहां अंतर को उधार द्वारा पूरा किया जाता है। उधार की आवश्यकता को राजकोषीय घाटे (एफडी) द्वारा दर्शाया जाता है जो वर्ष में कुल व्यय (ऋण की अदायगी को छोड़कर) और कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) के बीच का अंतर है। एक अन्य संकेतक राजस्व घाटा (आरडी) है जो यह दर्शाता है कि सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अपने वर्तमान राजस्व व्यय को किस हद तक पूरा करने में सक्षम है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा ₹7,65,907 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.45 प्रतिशत कम है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.54 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 3.98 प्रतिशत था। यह एक अच्छी प्रवृत्ति है कि

सरकार अपने वर्तमान राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उधार पर अपनी निर्भरता को कम करने में सक्षम है, यह राजस्व प्राप्तियों के अधिक संग्रहण (पिछले वर्ष की तुलना में 13.82 प्रतिशत की वृद्धि) और राजस्व व्यय की वृद्धि पर लगाम लगाने के कारण संभव हुआ है। (पिछले वर्ष की तुलना में केवल 1.86 प्रतिशत की वृद्धि)।

यह संचयन राजकोषीय घाटे में परिलक्षित हुआ जो ₹16,02,143 करोड़ था जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से पूर्ण संख्या में कम है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी का 5.32 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह 6.53 प्रतिशत था।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एफडी में कैपेक्स का अनुपात भी बढ़ रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 17.36 प्रतिशत से बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष में 50.38 प्रतिशत हो गया है। यह एक उत्साहजनक प्रवृत्ति है, जो उत्पादक परिसंपत्तियों के लिए अधिक उधारी के उपयोग को दर्शाता है।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियां

संघ सरकार के वित्त लेखा (यूजीएफए) में 16 विवरण हैं जो सरकार के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय वित्त लेखों में लेखा प्रक्रियाओं के अनुपालन, सटीकता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण की पर्याप्तता पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है। आंतरिक नियंत्रण और वर्गीकरण त्रुटियों के मुद्दे भी इस अध्याय में शामिल हैं।

3.1 लेखांकन प्रक्रियाओं का गैर-अनुपालन

हमने लेखांकन प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन के निम्नलिखित उदाहरण देखे हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

3.1.1 1.44% मुद्रास्फीति सूचकांक जीएस 2023 के निर्वहन की गलत बुकिंग के कारण आंतरिक ऋण को कम करके दिखाया गया

मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड (आईआईबी) ऐसे बांड हैं, जिनमें मूलधन मुद्रास्फीति के अनुसार सूचकांकित होता है। मूलधन पर मुद्रास्फीति घटक का भुगतान ब्याज के साथ नहीं किया जाएगा, बल्कि मूलधन को सूचकांक अनुपात (आईआर) से गुणा करके मूलधन में समायोजित किया जाएगा। शोधन के समय, समायोजित मूलधन या अंकित मूल्य, जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाएगा।

'लोक ऋण' (केंद्र सरकार का आंतरिक ऋण) के अंतर्गत विवरण 14ए की जांच करने पर, हमने 1.44% मुद्रास्फीति सूचकांक जीएस 2023 के प्रति ₹1,235.14 करोड़ का अथशेष (1/4/2023 तक) देखा, जिसकी समयावधि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्ण होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 1.44% आईआईबी के प्रति ₹1,607.78 करोड़ (मुद्रास्फीति समायोजित मूलधन) की राशि का निर्वहन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में ₹372.64 करोड़ का ऋणात्मक अंतशेष रहा।

सितंबर 2024 में जब हमने ऋणात्मक शेष का मुद्दा उठाया, तो लेखों में एक फुटनोट डाला गया, जिसमें कहा गया कि 'प्रतिकूल शेष, मुद्रास्फीति के साथ समायोजित अंकित मूल्य पर बांडों के शोधन के कारण है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इसका निपटान कर दिया जाएगा।'

3.1.2 प्रतिपूरक वनरोपण (कैम्पा) निधि

प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 के अंतर्गत, प्रतिपूरक वनरोपण¹⁷ के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को जमा करने के लिए, भारत और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के तहत एक निधि बनाई गई थी। इस निधि में लेखांकन प्रतिपूरक वनरोपण निधि (लेखा प्रक्रिया) नियम 2018 द्वारा शासित होना था। इन निधियों का प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर और प्रत्येक राज्य स्तर पर संबंधित कैम्पा प्राधिकरणों द्वारा किया जाना था।

कैम्पा प्राधिकरणों के गठन तक पहले से एकत्रित राशि के संबंध में, नियमों के अनुसार एकत्रित सभी निधियों को 'राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि' के अंतर्गत भारत के लोक लेखा के ब्याज देने वाले वाले भाग में अंतरित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से का 10 प्रतिशत एकमुश्त राष्ट्रीय निधि में अंतरित करना था और शेष राशि को राज्य निधि में अंतरित करना था।

राज्य कैम्पा निधि (एससीएफ) के निर्माण के बाद एकत्रित की गई धनराशि के लिए, अंतरण की एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। संबंधित राज्य कैम्पा प्राधिकरण को जमा राशि एकत्र करनी थी और उसके बाद जमा की गई धनराशि को संबंधित राज्य और केंद्र के बीच 90:10 के अनुपात में संबंधित आरक्षित निधि में वितरित करना था।

हालांकि, हमने पाया कि लेखांकन प्रक्रिया के उल्लंघन में, उगाही से एकत्रित राशि को शुरू में राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में आगे वितरण के लिए मुख्य शीर्ष - 8336 'सिविल जमा' के तहत भारत के लोक लेखा में अंतरित कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को संवितरण के लिए लंबित एमएच-8336-102- 'राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा' के तहत ₹15,103 करोड़ पड़े थे। प्राधिकरण ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि संवितरण के लिए लंबित ₹15,103 करोड़ में से, ₹8,580 करोड़ (90:10 के अनुपात में) की राशि वर्ष 2024-25 (जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024) के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरित कर दी गई है और ₹4,909 करोड़ अंतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा संवितरित की जाने वाली ₹1,614 करोड़ की राशि अभी भी शेष है।

¹⁷ प्रतिपूरक वनरोपण का अर्थ है कि जब भी वन भूमि को खनन या उद्योग जैसे गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी गैर-वनीय भूमि के बराबर क्षेत्र में वन लगाने के लिए भुगतान करती है, या जब ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो बंजर वन भूमि के दोगुने क्षेत्र में वन लगाने के लिए भुगतान करती है।

36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अक्टूबर 2018 से जुलाई 2021 की अवधि के दौरान कैम्पा निधि की स्थापना की है। तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश- लक्षद्वीप और पुडुचेरी) में एससीएएफ की स्थापना की जानी अभी बाकी है। वित्त लेखों में इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति राष्ट्रीय कैम्पा निधि में रखी गई निधि से संबंधित कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय को राष्ट्रीय कोष से प्राप्तियों और भुगतानों का एक विस्तृत विवरण का रखरखाव करना था और इसका राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ मासिक रूप से मिलान करना था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कोई मिलान नहीं किया गया। हमने पाया कि 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय कैम्पा निधि में दर्शाई गई राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण के आँकड़ों से ₹866.41 करोड़ कम थी, जो लोक लेखा में इस राशि के संभावित कम आंकलन को दर्शाता है।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में बताया कि ₹866.41 करोड़ में से ₹266.90 करोड़ की राशि का मिलान कर लिया गया है और मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ नियमित रूप से मिलान किया जा रहा है।

हम सिफारिश करते हैं कि पीएओ को कैम्पा निधियों के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया का पालन करने के हेतु सजग बनाया जाए।

3.1.3 सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत तरीके से दर्ज करना

भारतीय सरकार के लेखांकन मानक-आईजीएस-2 के अनुसार अनुदानदाताओं को अपने वित्तीय विवरणों¹⁸ में सहायता-अनुदान (जीआईए) व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करना आवश्यक है। हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में, परमाणु ऊर्जा विभाग ने ₹7.24 करोड़ के सहायता-अनुदान व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया। इससे पूंजीगत व्यय में ₹7.24 करोड़ की अधिकता हुई। विभाग ने कहा (जून 2024) कि कोटा और मनुगुरु में भारी पानी संयंत्र के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाले स्कूलों (पूंजीगत संपत्ति) को जीआईए के तहत बजट प्रदान किया जाता है। हमारा तर्क है कि भले ही जीआईए परिसंपत्ति निर्माण के लिए हो, लेकिन परिसंपत्ति का स्वामित्व अनुदानकर्ता

¹⁸ भले ही जीआईए परिसंपत्ति निर्माण के लिए हो, परिसंपत्ति का स्वामित्व अनुदान प्राप्तकर्ता के पास होगा और इसलिए, इसे संघ सरकार के लेखों में पूंजीगत व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

के पास होगा और इसलिए, इसे संघ सरकार के लेखों में पूंजीगत व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

3.2 लेखों की सटीकता

3.2.1 उचंत शीर्ष

क) उचंत शीर्ष में निकासी के लिए शेष राशि

वे प्राप्तियाँ और भुगतान जिन्हें आवश्यक जानकारी/विवरण के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता, उन्हें क्रमशः क्रेडिट और डेबिट के रूप में उचंत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। अंतिम बुकिंग के लिए आवश्यक विवरण उपलब्ध होने के बाद क्रेडिट और डेबिट को मंजूरी दे दी जाती है। उचंत लेखों में शेष राशि का अर्थ है कि कम से कम एक वित्तीय लेखा शीर्ष कम दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में महत्वपूर्ण शेष राशि वाले उचंत शीर्ष और मंत्रालय/विभाग जो कुल उचंत शेष राशि के लिए मुख्य योगदानकर्ता थे, उनका विवरण **अनुलग्नक 3.1 में दिया गया है।** इनकी कुल राशि ₹6,343.14 करोड़ (डेबिट) और ₹1,601.54 करोड़ (क्रेडिट) है।

पीएओ उचंत के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में ₹961.82 करोड़ के निवल डेबिट उचंत शेष के संबंध में, वाणिज्य विभाग ने सितंबर 2024 में सूचित किया कि उचंत शेष की जांच के लिए जनवरी 2021 में गठित एक समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि उचंत शेष बहुत पुराने थे और इस शेष का परिसमापन कई हितधारकों पर निर्भर था।

वित्त मंत्रालय और सीजीए शेष राशि की समीक्षा के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और पुरानी शेष राशि के संबंध में विचार कर सकते हैं।

ख) उचंत शीर्ष - चेक और बिल

जब सरकार द्वारा चेक जारी किए जाते हैं, तो व्यय को डेबिट किया जाता है और उचंत शीर्ष 'चेक और बिल' को क्रेडिट किया जाता है। बैंक से, बैंक में भुनाए गए चेक पर स्कॉल प्राप्त होने पर, इस उचंत शीर्षों को क्लियर कर दिया जाता है। इसलिए, इस उचंत शीर्ष के तहत शेष राशि मुख्य रूप से बिना भुनाए गए चेक के कुल मूल्य को दर्शाती है।

हमने पाया कि मार्च 2024 के अंत तक उचंत शीर्षों के अंतर्गत ₹12,307 करोड़ की निकासी लंबित थी।

लेन-देन की प्रकृति के अनुसार, इस शीर्ष में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हमने ₹383.36 करोड़ की राशि के तीन प्रतिकूल (डेबिट) बैलेंस देखे और विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 (₹611.74 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल प्रतिकूल बैलेंस में ₹228.38 करोड़ की कमी देखी। प्रतिकूल बैलेंस का मतलब है कि चेक का भुनाया जाना चेक के मूल्य से अधिक है।

बकाया चेक और बिल के अंतर्गत अंतशेष में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹39,311 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹12,307 करोड़ तक उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। हालांकि, 'विभागीय चेक' के अंतर्गत, हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹441.02 करोड़ (डेबिट) से वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹3,796.87 करोड़ (क्रेडिट) तक की वृद्धि देखी।

ग) उचंत शीर्ष की नेटिंग

उचंत शीर्ष में क्रेडिट और डेबिट मदों का लेखा-जोखा रखना और लेखों में अलग-अलग दिखाना आवश्यक है ताकि प्रत्येक उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि की सटीक स्थिति मिल सके। हालांकि, वित्त लेखों का विवरण 13 केवल उचंत शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष राशि दर्शाता है, इस प्रकार शेष राशि को कम करके दिखाया जाता है। हमने विगत तीन वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों (मुख्य शीर्ष-8658) के संबंध में प्रमुख उचंत शीर्ष के अंतर्गत समाशोधित किए जाने वाले वास्तविक उचंत शेष की स्थिति का पता लगाया (चित्र 3.1)।

चित्र 3.1: उचंत शेष राशि के नेटिंग का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2023-24 में नेटिंग के कारण बकाया उचंत शेष की कम प्रतिशतता
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
101 पीएओ उचंत	4,060.89	807.83	4,484.47	960.63	7,119.03	1,018.22	25.03
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	3,253.06 (डीआर)		3,523.84 (डीआर)		6100.81 (डीआर)		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	4,868.72		5,445.10		8,137.25		
102 उचंत लेखा (सिविल)	1,175.46	440.54	1,157.79	520.06	1,181.56	608.87	68.01
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	734.92 (डीआर)		637.73 (डीआर)		572.69 (डीआर)		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	1,616.00		1,677.85		1,790.43		

शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2023-24 में नेटिंग के कारण बकाया उचंत शेष की कम प्रतिशतता
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
107 नकद निपटान उचंत खाता	556.10	34.32	488.14	34.32	497.46	34.32	12.91
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	521.78 (डीआर)		453.82 (डीआर)		463.14 (डीआर)		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	590.42		522.46		531.78		
108 पीएसबी उचंत	7,886.51	4,461.49	8,587.75	5,122.44	7,908.92	485.63	11.57
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	3,425.02 (डीआर)		3,465.31 (डीआर)		7423.29 (डीआर)		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	12,348.01		13,710.19		8,394.55		
109 रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	12.21	185.07	12.03	185.07	12.03	189.00	11.97
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	172.86 (सीआर)		173.04 (सीआर)		176.97 (सीआर)		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	197.28		197.10		201.03		
110 रिज़र्व बैंक उचंत केंद्रीय लेखा कार्यालय	70.96	2,327.85	76.13	1,077.78	76.88	203.24	54.89
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	2,256.89 (सीआर)		1,001.65 (सीआर)		126.36 (सीआर)		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	2,398.81		1,153.91		280.12		
129 सामग्री क्रय निपटान उचंत खाता	214.07	38.22	214.08	38.22	214.08	38.22	30.30
यूजीएफए में दिखाया गया निवल शेष	175.85 (डीआर)		175.86 (डीआर)		175.86 (डीआर)		
समाशोधित किया जाने वाला कुल शेष	252.29		252.30		252.30		

घ) महत्वपूर्ण शेष

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जब सरकारी विभागों को पीएसबी को दिए गए निर्देशों के अनुसार किए गए भुगतानों का विवरण प्राप्त होता है, तो लेन-देन को शुरू में पीएसबी उचंत के प्रति क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाता है। जब आरबीआई सरकारी लेखे से राशि डेबिट करता

है, तो पीएसबी उचंत का यह क्रेडिट रिजर्व बैंक जमा (आरबीडी) शीर्ष में कॉन्ट्रा क्रेडिट द्वारा क्लियर कर दिया जाता है। प्राप्तियों के मामले में भी इसी तरह का लेखांकन किया जाता है।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) से संबंधित अभिलेखों की जांच करने पर, हमने पाया कि एमएच:8658.00.108 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उचंत के अंतर्गत निवल अंत शेष (डेबिट) वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹2,368.79 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹2,434.85 करोड़ हो गया। सीपीएओ कार्यालय से अनुरोध किया गया कि वह ₹2,434.85 करोड़ के अंत शेष बनाने वाले डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों का अवधिवार विवरण प्रस्तुत करे।

उत्तर में, सीपीएओ कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उचंत के तहत निवल डेबिट शेष राशि का अवधिवार विवरण प्रस्तुत किया (दिसंबर 2024), जो ₹2,414.99 करोड़ (₹2,434.85 करोड़ के बजाय) था, और ₹19.86 करोड़ के अंतर के लिए, यह कहा गया (दिसंबर 2024) कि उनका कार्यालय अंतर का पता लगाने/मिलान करने का प्रयास कर रहा था। ₹2,414.99 करोड़ के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उचंत शेष का अवधिवार विवरण चित्र 3.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 3.2: पीएसबी उचंत शेष का अवधि-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	डेबिट शेष	क्रेडिट शेष	निवल शेष
1	2023-24	-0.30	-215.69	-215.39 क्रेडिट
2	2020-21 से 2022-23	-22.76	-2,080.96	-2,058.20 क्रेडिट
3	2010-11 से 2019-20	-140.23	-514.74	-374.51 क्रेडिट
4	1990-91 से 2009-10	-7.45	225.66	233.11 क्रेडिट
कुल		-170.74	-2,585.73	-2,414.99 क्रेडिट

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि इस एचओए के तहत लगभग 85 प्रतिशत उचंत शेष विगत तीन वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2022-23) से संबंधित है और लगभग 15 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि से संबंधित है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 (₹2,089.24 करोड़) और वित्तीय वर्ष 2012-13 (₹498.83 करोड़) के दौरान मुख्य शेष राशि में वृद्धि हुई।

सीपीएओ कार्यालय ने उत्तर में बताया (जनवरी 2025) कि आरबीआई से प्राप्त पुट थ्रू स्टेटमेंट की बुकिंग के बीच समय के अंतर और बैंकों द्वारा ई-स्कॉल जमा करने में देरी के

कारण उचंत शेष बना रहा। उनके प्रयासों के कारण, 30 नवंबर 2024 तक उचंत शेष घटकर ₹104.99 करोड़ (डेबिट) रह गया है।

जैसा कि बताया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उचंत शेष में कमी को स्वीकार किया गया है तथा उचंत शेष को यथासंभव न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए प्रयास जारी रखे जाने चाहिए।

ड सीजीडीए कार्यालय में वेतन एवं लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹437.82 करोड़ का बकाया

रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि एचओए: 8659.00.101 (वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत) के अंतर्गत निवल डेबिट उचंत शेष ₹335.10 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22) से बढ़कर ₹379.53 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23) हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में बढ़कर ₹437.82 करोड़ हो गया। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024) कि यह वृद्धि विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आयोजित विदेशी सेना कर्मियों के प्रशिक्षण पर शुल्क की प्रतिपूर्ति न किए जाने के कारण हुई थी और इस मामले पर विदेश मंत्रालय के साथ आगे बात की जा रही है।

हम सिफारिश करते हैं कि वित्त मंत्रालय सभी नियंत्रकों को उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का नियमित रूप से निपटान करने का निर्देश दे।

3.2.2 प्रतिकूल शेष

निधि/जमा शीर्षों में प्रतिकूल शेष राशि विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होती है जैसे (क) जब लेन-देन को डेबिट करने के बजाय गलत तरीके से क्रेडिट किया जाता है और इसके विपरीत, (ख) जब डेबिट को एक शीर्ष के तहत और संबंधित क्रेडिट को किसी अन्य शीर्ष के तहत या इसके विपरीत दर्ज किया जाता है, और (ग) जब आरक्षित निधि से बहिर्वाह/वितरण प्राप्तियों/शेष राशि से अधिक होता है। इस प्रकार ये शेष राशि त्रुटियों और वित्तीय नियंत्रण की अनुपस्थिति को दर्शाती है और लेखों की गुणवत्ता और सटीकता को प्रभावित करती है।

वित्त लेखों में प्रतिकूल शेष राशियों के 53 मामले (विवरण **अनुलग्नक 3.2** में दिया गया है) शामिल हैं। इनमें से 43 मामले पांच साल से अधिक समय से अनसुलझे हैं, जिनमें सबसे पुराना 47 साल पुराना है। लेखांकन त्रुटियां जिनके कारण प्रतिकूल शेष राशियां रह जाती हैं, उनकी पहचान करके उनका समाधान किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, अलग-अलग मंत्रालय/विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, निम्नलिखित 12 मामलों में कम से कम ₹100 करोड़ का प्रतिकूल शेष पाया गया, जैसा कि चित्र 3.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 3.3 : ₹100 करोड़ से अधिक का प्रतिकूल शेष दर्शाने वाला विवरण

(₹ हज़ारों में)

क्रम संख्या	शीर्ष	शीर्ष विवरण	मंत्रालय/विभाग	31.03.2024 तक शेष राशि	शेष राशि डेबिट/क्रेडिट होनी चाहिए
1	6801.00.205	बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण - ट्रांसमिशन और वितरण दामोदर घाटी निगम और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	विद्युत मंत्रालय	14,32,856 (क्रेडिट)	डेबिट
2	8235.00.135	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	15,94,207 (डेबिट)	क्रेडिट
3	8670.00.102	पीएओ चेक	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	16,81,434 (डेबिट)	क्रेडिट
4	8670.00.103	विभागीय चेक	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	13,46,708 (डेबिट)	क्रेडिट
5	8121.00.127	वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	43,60,844 (डेबिट)	क्रेडिट
6	8229.00.200	अन्य विकास एवं कल्याण निधि (बीडी श्रमिक कल्याण निधि)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	21,07,063 (डेबिट)	क्रेडिट
7	8235.00.131	निर्भया फंड	विधि और न्याय मंत्रालय	83,43,697 (डेबिट)	क्रेडिट
8	6250.60.202	आईटीआई की संस्थान प्रबंधन समिति आईएमसी को ऋण	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	38,06,120 (क्रेडिट)	डेबिट
9	8011.00.103	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	रक्षा	1,11,43,205 (डेबिट)	क्रेडिट
10	8551.00.101	रक्षा अग्रिम	रक्षा	1,66,69,232 (क्रेडिट)	डेबिट
11	8011.00.103	केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	वित्तीय सेवाएं विभाग	30,70,534 (डेबिट)	क्रेडिट
12	8235.00.117	गारंटी शोधन निधि	वित्तीय सेवाएं विभाग	14,72,400 (डेबिट)	क्रेडिट

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गई इसी तरह की टिप्पणीयों के संबंध में, लेखा महानियंत्रक ने कहा था (नवंबर 2023) कि उन्होंने प्रतिकूल शेष राशि को समाप्त करने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की थी। हालाँकि, 2023-24 की शेष राशि के लिए उत्तर की प्रतीक्षा है।

हम सिफारिश करते हैं कि पुराने प्रतिकूल शेषों के समायोजन पर विचार किया जाए, जिनका समाधान पांच वर्षों से अधिक समय से नहीं हुआ है।

3.2.3 ऋण और अग्रिम

वित्त लेखों के विवरण 15 में संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों के बारे में जानकारी दी गई है। 31 मार्च 2024 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अन्य संस्थाओं पर बकाया ₹9,41,560 करोड़ के कुल ऋणों में से, ब्याज सहित ₹86,174 करोड़ की वसूली बकाया थी, जैसा कि चित्र 3.4 में दर्शाया गया है। लंबित मामलों की अवधि को देखते हुए, इनमें से कुछ ऋण वसूली योग्य नहीं हो सकते हैं।

चित्र 3.4: बकाया ऋण और अग्रिम का अवधिवार विवरण

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक बकाया						
क्रम सं.	ऋणदाता की श्रेणी	राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ संस्थाओं की संख्या	बकाया की अवधि (वर्षों में)	मूलधन	ब्याज	राशि
1.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार	23	>25	469	1,531	2,000
		05	15-25	3,348	3,405	6,753
2.	अन्य संस्थाएं	83	>25	6,774	40,758	47,532
		35	15-25	4,933	6,340	11,273
		30	5-15	5,425	5,705	11,130
		9	<5	5,419	2,067	7,486
कुल		185		26,368	59,806	86,174

स्रोत: विवरण 15, की धारा 2 और 3, यूजीएफए 2023-24

19 मंत्रालयों/विभागों में हमारी नमूना जांच से पता चलता है कि ₹27,675.15 करोड़ की राशि बकाया है जैसा विस्तृत रूप से अनुलग्नक 3.3 में दर्शाया गया है।

3.3 पारदर्शिता और प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

3.3.1 आरक्षित निधि

सरकारी लेखों में, आरक्षित निधियों का गठन किसी भी वैधानिक प्रावधान या अन्यथा के तहत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है। आरक्षित निधियों को बजटीय सहायता और/या अनुदान, अंशदान, उपकर या उगाही के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और संचित निधि में एकत्र किया जाता है और इन लेनदेन के लेखांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके लोक लेखा में निर्दिष्ट आरक्षित निधि में अंतरित किया जाता है।

उगाही और उपकर संग्रह को निर्दिष्ट निधियों में अंतरित करना

सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए उगाही/उपकर और अन्य शुल्क लगाती है। इसे मौजूदा कर के अलावा एक अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता है। ऐसी प्राप्तियों का लेखांकन, ज्यादातर मामलों में, कानून और नियमों द्वारा विनियमित होता है, जो अक्सर आरक्षित निधियों के निर्माण का प्रावधान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन उगाही /शुल्क/उपकरों का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ₹3,79,598 करोड़¹⁹ की राशि उपकर/प्रभार/उगाही के रूप में एकत्र की गई, जो संघ सरकार के सकल कर राजस्व का 10.95 प्रतिशत था।

लोक लेखा समिति (17^{वीं} लोकसभा) ने अपनी 69^{वीं} प्रतिवेदन (अगस्त 2023) में अल्प अंतरण पर ध्यान दिया और सिफारिश की कि उगाही लगाने से पहले, आवश्यक धनराशि की मात्रा और संभावित समयावधि के बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए जिसके भीतर प्रस्तावित उगाही के माध्यम से इसे एकत्र किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, चूंकि बोझ अंततः आम आदमी पर पड़ता है, इसलिए समिति ने महसूस किया कि एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करके इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा निर्धारित करने के लिए समय-समय पर उपकरों की समीक्षा की जानी चाहिए। समिति ने सिफारिश की, कि उगाही से प्राप्त आय को नियमित रूप से आरक्षित निधि में जमा किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एकत्र किए गए उपकर और उगाही की नमूना जांच से संग्रहित राशि के कम/गैर-अंतरण के मामले सामने आए, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ

¹⁹ उपकर संग्रह में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्रित यूनिवर्सल एक्सेस लेवी भी शामिल है।

में चर्चा की गई है। 31 मार्च 2024 तक नमूना जांच की गई निधियों का कुल प्रभाव लोक लेखों में निर्दिष्ट आरक्षित निधि में ₹3,69,307²⁰ करोड़ का कम अंतरण था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दो आरक्षित निधियों में कम अंतरण नीचे चित्र 3.5 में दिया गया है। अन्य आरक्षित निधियों के संबंध में कम अंतरण पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

चित्र 3.5: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरक्षित निधि में कम अंतरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निधि का नाम	उद्देश्य	मंत्रालय का नाम	31.03.23 तक निधि शेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एकत्रित उपकर	कोष में अंतरित राशि	कम अंतरित राशि
1	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ)	निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण से संबंधित गतिविधियाँ	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	86.57	2,525.52	20	2,505.52
2	राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्दीकरण की निधि (एमएनएचएफ)	अवसंरचना का विकास	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	148.05	15,968.10	10,000	5,968.10

3.3.1.1 कच्चे तेल पर उपकर को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को अंतरित न किया जाना

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में तेल उद्योग के विकास के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की स्थापना करने तथा उस प्रयोजन के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है।

हमने पाया कि ओआईडीबी के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1974-75 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, सरकार द्वारा एकत्रित कच्चे तेल पर कुल उपकर

²⁰ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईईपीएफ के लिए ₹2,505.52 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमएनएचएफ के लिए ₹5,968.10 करोड़, वित्तीय वर्ष 1974-75 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक ओआईडीबी के लिए ₹2,93,948.16 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक मस्क के लिए ₹23,458.92 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पीएमएसएसएन के लिए ₹43,426.35 करोड़।

₹2,94,850.56 करोड़ था (वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹18,845.98 करोड़ सहित)। यह भी महत्वपूर्ण है कि वित्तीय वर्ष 1974-75 से वित्तीय वर्ष 1991-92 तक, ओआईडीबी को केवल ₹902.40 करोड़ अंतरित किए गए हैं और उसके बाद प्रत्येक वर्ष एकत्रित उपकर में से कोई धनराशि ओआईडीबी को अंतरित नहीं की गई है।

वित्त मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2025) कि तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा 18 के अनुपालन में लोक लेखा के ब्याजरहित भाग में 'तेल उद्योग विकास निधि' (ओआईडीएफ) के गठन का निर्णय लिया गया है। यह निधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से चालू हो जाएगी।

3.3.1.2 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर संग्रह का कम अंतरण

1 अप्रैल 2004 से सभी केंद्रीय करों पर दो प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर लगाया। माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच को सार्वभौमिक बनाने और उच्च शिक्षा क्षेत्र की पहुँच का विस्तार करने के सरकार के प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए, सरकार ने वित्त अधिनियम (2007) के माध्यम से आयकर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शिक्षा उपकर लगाया / 01 अप्रैल 2018 से, तत्कालीन मौजूदा तीन प्रतिशत शिक्षा उपकर को स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (एचईसी) द्वारा चार प्रतिशत की दर से प्रतिस्थापित किया गया, ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने और वित्तपोषित करने तथा गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्च शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (एचईसी) से वित्तपोषित आरक्षित निधियों की प्रकृति एवं आवंटन निम्नानुसार है:

प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके):

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के माध्यम से मुख्य केन्द्रीय कर पर दो प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर की आय प्राप्त करने के लिए नवंबर 2005 में प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) की शुरुआत की गई थी। शिक्षा उपकर की आय पीएसके में जमा की जाती है और सरकार की सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और मिड-डे मील (अब पीएम पोषण) योजना पर खर्च की जाती है।

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके):

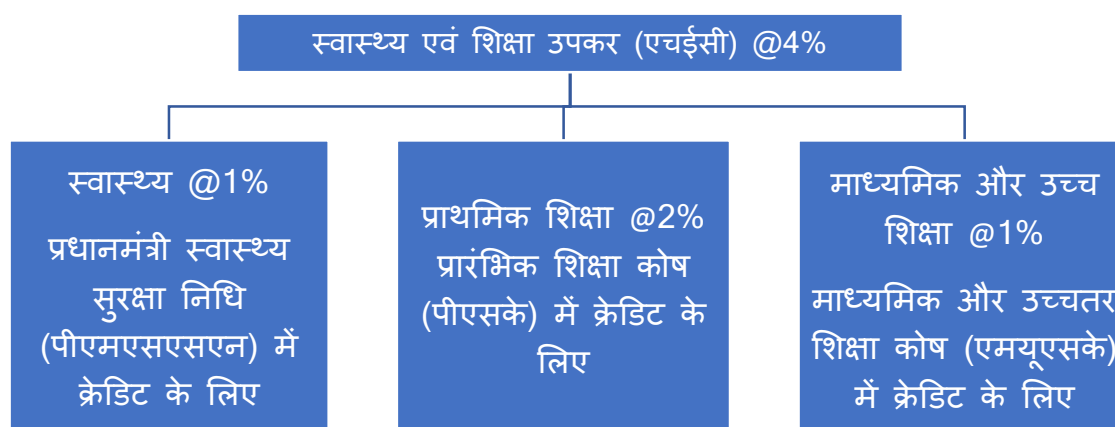
सरकार ने 2017 में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए लोक लेखा में एक गैर-व्यपगत योग्य पूल के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष" (एमयूएसके) के रूप में जाना जाता है, जिसमें "माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर" की सभी आय जमा की जानी थी।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन):

पीएमएसएसएन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2021 में मंजूरी दी गई थी, जो कि चार प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (एचईसी) में से एक प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य के लिए जमा करने हेतु एकल गैर-समाप्ति योग्य आरक्षित निधि के रूप में है।

पीएमएसएसएन में प्राप्त राशि का उपयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिए किया जाना था। पीएमएसएसएन का प्रशासन और रखरखाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया है; और किसी भी वित्तीय वर्ष में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ऐसी योजनाओं पर व्यय शुरू में पीएमएसएसएन से और उसके बाद सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से किया जाएगा।

आवंटन:



वर्ष 2018-19 से एचईसी आय को संबंधित आरक्षित निधियों में जमा करने के लिए आवंटन की जांच करने पर, हमने पाया कि इस उपकर का निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में कम अंतरण हुआ है और वित्त लेखों के विवरण 13 की जांच के दौरान इसका उपयोग को चित्र 3.6 में दिखाया गया है:

चित्र 3.6: एच एंड ईसी के लेखे में संग्रह और संबंधित आरक्षित निधि में अंतरित राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एच एंड ई सी एकत्रित (4 प्रतिशत)	स्वास्थ्य के लिए हिस्सा (एक प्रतिशत)		प्राथमिक शिक्षा के लिए हिस्सा (दो प्रतिशत)		माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए हिस्सा (एक प्रतिशत)	
		एकत्रित राशि	पीएमएसएसएन में अंतरण	एकत्रित राशि	पीएसके में अंतरण	एकत्रित राशि	एमयूएसके में अंतरण
2018-19	41,310	10,327.50	शून्य	20,655.00	25,227.90	10,327.50	शून्य
2019-20	39,241	9,810.25	शून्य	19,620.50	26,848.35	9,810.25	शून्य
2020-21	35,895	8,973.75	शून्य	17,947.50	30,168.34	8,973.75	शून्य
2021-22	52,750	13,187.50	शून्य	26,375.00	31,788.25	13,187.50	शून्य
2022-23	61,814	15,453.50	18,339.27	30,907.00	38,000.00	15,453.50	14,250.00
2023-24	71,159	17,789.75	13,776.63	35,579.50	28,400.00	17,789.75	37,833.33
कुल	3,02,169	75,542.25	32,115.90	1,51,084.50	1,80,432.84	75,542.25	52,083.33

स्रोत : संबंधित यूजीएफ के विवरण 8 और विवरण 13

वित्त मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2025) कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नामित आरक्षित निधियों (पीएसके, एमयूएसके और पीएमएसएसएन) में कुल मिलाकर ₹3,66,152.31 करोड़ अंतरित किए गए, जो इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के कुल संग्रह से अधिक था। हालांकि, यूजीएफ के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नामित आरक्षित निधियों (पीएसके, एमयूएसके और पीएमएसएसएन) में अंतरित कुल राशि ₹2,64,632.07 करोड़ थी। मंत्रालय द्वारा इसका मिलान किया जाना चाहिए।

3.3.2 निष्क्रिय लेखे

हमने पाया कि नौ ²¹ आरक्षित निधि और 21²² जमा खाते कम से कम तीन वित्तीय वर्षों या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़े थे, जिनमें ₹834.37 करोड़ का संचित निवल क्रेडिट बैलेंस था। सबसे पुरानी आरक्षित निधि और जमा खाता वित्तीय वर्ष 2002-03 से निष्क्रिय था। संदर्भ के लिए निष्क्रिय रिज़र्व (अनुलग्नक 3.4) और जमा खाते (अनुलग्नक 3.5) की सूची संलग्न की गई है। तथ्य यह है कि लेखे निष्क्रिय हैं, इसका मतलब है कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है और प्राथमिकता के आधार पर उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि क्रेडिट बैलेंस का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

²¹ सात आरक्षित निधियों का क्रेडिट शेष ₹308.23 करोड़ था, शेष दो का डेबिट शेष ₹0.23 करोड़ था।

²² अठारह जमा खातों में ₹723.91 करोड़ का क्रेडिट शेष था और तीन जमा खातों में ₹197.54 करोड़ का डेबिट शेष था।

3.3.3 लघु शीर्ष 800 का लगातार उपयोग

'अन्य प्राप्तियां'/'अन्य व्यय' नाम से लघु शीर्ष 800 का उपयोग प्राप्ति और व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किया जाता है, ताकि उन लेन-देनों का लेखा-जोखा रखा जा सके जिन्हें किसी विशिष्ट लघु शीर्ष के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। हालांकि, पारदर्शिता के उद्देश्य से, व्यय और प्राप्ति की प्रत्येक मद को उसके विशिष्ट लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए, जिससे बहुप्रचलित शीर्ष लघु शीर्ष 800 का उपयोग कम से कम हो।

हमने पाया कि तीन मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक, जो कि ₹6,024.15 करोड़ है (इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹6,943.43 करोड़ का 86.76 प्रतिशत), लघु शीर्ष '800- अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.6** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इसी प्रकार, चार मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक, जो कि ₹2,231.42 करोड़ है (इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल प्राप्तियों ₹3,221.42 करोड़ का 69.27 प्रतिशत), लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.7** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

विद्युत मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि ₹9,286.97 करोड़ की राशि लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जो कि 'मुख्य शीर्ष:2801 विद्युत' के अंतर्गत ₹16,134.46 करोड़ के व्यय का लगभग 57 प्रतिशत है। साथ ही, रक्षा मंत्रालय के संबंध में, यह पाया गया कि ₹542.13 करोड़ की राशि लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जो कि 'मुख्य शीर्ष : 0049 ब्याज प्राप्तियां' के अंतर्गत प्राप्तियों का लगभग 91 प्रतिशत है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹595.78 करोड़ है।

संबंधित मंत्रालयों से उत्तर प्रतीक्षित है।

3.3.4 सरकारी लेखे से बाहर धन का प्रतिधारण - सेबी आरक्षित निधि का गैर-परिचालन

जनवरी 2005 में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश²³ दिया कि विनियामक निकायों के धन को

²³ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग), कार्यालय जापन संख्या एफ.1(30)-बी(एसी)/2004 दिनांक 7 जनवरी 2005

लोक लेखा में रखा जाए। संघ सरकार के लेखों²⁴ पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पिछले प्रतिवेदनों में भी सरकारी लेखे से बाहर धन के प्रतिधारण पर टिप्पणी की गई थी।

भारत सरकार ने वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 के तहत सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 14 में विभिन्न संशोधन किए हैं, जो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से लागू होंगे। संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्ताव है कि सेबी बोर्ड भारत के लोक लेखों में एक आरक्षित निधि का रखरखाव करेगा और किसी भी वर्ष में सेबी सामान्य निधि के वार्षिक अधिशेष का 25 प्रतिशत ऐसी आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा और ऐसी निधि विगत दो वित्तीय वर्षों के वार्षिक व्यय के योग से अधिक नहीं होगी।

हालाँकि, हमने पाया कि सेबी आरक्षित निधि को अभी चालू नहीं किया गया है। एक बार के उपाय के रूप में, अगस्त 2021 में सेबी सामान्य निधि से एमएच:1475 'अन्य सामान्य आर्थिक सेवा' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में भारत की संचित निधि में ₹1,000 करोड़ की राशि भेजी गई थी। उसके बाद ऐसा कोई अंतरण नहीं किया गया। मार्च 2024 के अंत में, सेबी के पास वर्ष के लिए ₹1,064 करोड़ की अधिशेष आय थी। मार्च 2015 से वर्ष के अंत में सेबी सामान्य निधि के तहत अधिशेष आय और अंत शेष का विवरण **अनुलग्नक 3.8** में दर्शाया गया है।

हमने यह भी देखा कि सेबी ने अगस्त 2021 में वित्त मंत्रालय से सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 14 में वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के तहत किए गए संशोधनों को हटाने का अनुरोध किया था, जो अभी तक नहीं किया गया है।

मामला आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा गया (नवंबर 2024) और वित्त मंत्रालय ने अपने उत्तर में (दिसंबर 2024) कहा कि यह मुद्दा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

3.3.5 पीएलआई/आरपीएलआई निधि के निवेश से आय की गलत बुकिंग

यूजीएफ 2023-24 के विवरण 14 (एमएच:8016.01.102- पीएलआईएफ और एमएच :8016.02.102-आरपीएलआईएफ) और डाक जीवन बीमा निधि (पीएलआईएफ) तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि (आरपीएलआईएफ) के राजस्व लेखों की तुलना करने पर, हमने पाया कि दिनांकित प्रतिभूतियों में पीएलआई/आरपीएलआई निधियों के निवेश से

²⁴ 2015 की सीएजी प्रतिवेदन संख्या 1 (पैरा 2.1.3), 2015 की प्रतिवेदन संख्या 50 (पैरा 2.2.3), 2016 की प्रतिवेदन संख्या 34 (पैरा 2.2.2) और 2017 की प्रतिवेदन संख्या 44 (पैरा 2.2.2)

₹941.91 करोड़ (पीएलआईएफ - ₹502.05 करोड़²⁵ तथा आरपीएलआईएफ - ₹439.86 करोड़²⁶) की आय को यूजीएफए में अधिक दर्ज किया गया। यह त्रुटि निदेशक, लेखा (डाक), नागपुर के कार्यालय द्वारा गलत वर्गीकरण के कारण हुई।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया, तो निदेशक (पीएलआई), कोलकाता के कार्यालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि भारत सरकार के विशेष सुरक्षा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड (जीओआईएसएस एफ आर बी) से ब्याज आय की बुकिंग, निदेशक, लेखा (डाक), नागपुर के कार्यालय से प्राप्त विवरण के अनुसार की गई थी (सितंबर 2024)। डीओपी नागपुर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अतिरिक्त राशि को ठीक कर दिया था।

चूंकि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पीएलआईएफ/आरपीएलआईएफ के राजस्व लेखे और बैलेंस शीट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, इसलिए निदेशक (पीएलआई), कोलकाता का कार्यालय उचित प्रकटीकरण के साथ लेखों को अद्यतन करने में सक्षम था, लेकिन यूजीएफए में ऐसा कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया।

3.3.6 डीओपी को देय कार्यचालन व्यय को कम दर्शाना

डाक जीवन बीमा निदेशालय (पीएलआई), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2023 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, डाक जीवन बीमा निधि (पीएलआईएफ)/ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि (आरपीएलआईएफ) के बिक्री बल को दिए गए प्रोत्साहन पर जीएसटी के संबंध में डाकघर द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में प्राप्त माल और सेवा कर (जीएसटी) की राशि को वित्तीय वर्ष 2023-24 से डाक विभाग को देय वार्षिक कार्यचालन व्यय में समायोजित किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि 'प्रमोशनल और मार्केटिंग' के तहत ₹191.39 करोड़ दर्ज किए गए थे, जिसमें जीएसटी भी शामिल था। 18 प्रतिशत की दर से लागू जीएसटी के अनुसार, जीएसटी ₹29.20 करोड़²⁷ बनता है। हमने पीएलआईएफ (2023-24) की वित्तीय समीक्षा प्रतिवेदन (एफआरआर) से पाया कि ₹44.27 करोड़ डीओपी को देय कार्यचालन व्यय के प्रति समायोजित किए गए थे। इस प्रकार, आरसीएम (₹29.20 करोड़) के तहत जीएसटी के लिए दावे के लिए

²⁵ पीएलआईएफ (यूजीएफए- ₹1391.42 करोड़, राजस्व लेखा - ₹889.37 करोड़)

²⁶ आरपीएलआईएफ (यूजीएफए- ₹768.15 करोड़, राजस्व लेखा - ₹328.29 करोड़)

²⁷ ₹1913942383*18/118 = ₹29,19,57,312.66

देय राशि से ₹15.07 करोड़ अधिक समायोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप पीएलआईएफ के लिए डीओपी को देय कार्यचालन व्यय कम दिखाया गया। इसी तरह, आरपीएलआईएफ में ₹10.13 करोड़²⁸ की अतिरिक्त राशि समायोजित की गई। इस संबंध में उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

3.4 आंतरिक नियंत्रण

3.4.1 सरकारी निवेश

सरकारी निवेशों की नमूना जांच से निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियां सामने आईं, जिनमें यूजीएफए के दो विवरणों के बीच अंतर, इक्विटी शेयरों का गैर-लेखाकरण और यूजीएफए और पीएसयू लेखों के बीच सूचना का असंगत होना शामिल है।

3.4.1.1 इक्विटी शेयरों का गैर-लेखाकरण

मेसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और एजीआर किस्तों के स्थगन से उत्पन्न होने वाले पूरे ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना था (जनवरी 2022), जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी थी (जून 2022)। फरवरी 2023 में, मेसर्स वीआईएल ने भारत सरकार को ₹10 अंकित मूल्य के 1613,31,84,899 इक्विटी शेयर आवंटित किए, जिनका मूल्य ₹16,133.18 करोड़ था। हमने दूरसंचार विभाग के वित्त लेखों (2023-24) से देखा कि इन लेन-देन का प्रभाव दूरसंचार विभाग की पुस्तकों में अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर दूरसंचार विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि इस संबंध में नए शीर्ष खोलने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ आवश्यक पहल की जा रही है। विभाग को जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, ताकि दूरसंचार विभाग की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जा सके, ताकि वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

3.4.1.2 पीएसयू लेखों के साथ मिलान न होना

यूजीएफए के विवरण 11 में सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य संस्थाओं में संघ सरकार के निवेश का ब्यौरा दिया गया है। यूजीएफए में शामिल सरकारी कंपनियों/निगमों/बैंकों और सोसायटियों आदि की जानकारी का संबंधित संस्थाओं के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ

²⁸ बीमा बिक्री बल को दिए गए प्रोत्साहन के अंतर्गत ₹128.62 करोड़ दर्ज किए गए, जिस पर जीएसटी ₹19.62 करोड़ बनता है, लेकिन ₹29.75 करोड़ डीओपी को देय कार्यचालन व्यय के प्रति समायोजित किए गए।

प्रति सत्यापन करने पर विसंगतियां सामने आईं, जैसा कि चित्र 3.7 में विस्तार से बताया गया है।

चित्र 3.7: दो प्रकार की सूचनाओं में सरकारी निवेश में विसंगतियां

इकाई	सरकार द्वारा इक्विटी निवेश			
	यूजीएफ 2023-24 के विवरण 11 के अनुसार		इकाई की वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)	446,01,13,072	60.41%	740,88,67,093	58.89%
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	35,47,83,293	54.93%	114,91,83,592	52.98%
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)	505,70,00,000	52.71%	488,98,71,903	45.48%

3.4.1.3 नए निवेश के बाद अद्यतन न करना

14 संस्थाओं के मामले में, हमने देखा कि यद्यपि वर्ष के दौरान सरकार द्वारा नया निवेश किया गया था, हालांकि, सरकार के निवेश की प्रतिशतता की हिस्सेदारी का विवरण तदनुसार अद्यतित नहीं किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.9** में विस्तृत रूप से दिया है।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया तो महालेखानियंत्रक कार्यालय ने अपने उत्तर (जुलाई 2024) में कहा कि संबंधित मंत्रालयों को संदर्भ भेज दिया गया है।

3.4.1.4 विनिवेश के बाद अद्यतन स्थिति

हमने पाया कि सरकार द्वारा छह संस्थाओं में किए गए विनिवेश की राशि (जैसा कि **अनुलग्नक 3.10** में विस्तृत रूप से दिया है) को विनिवेशित इक्विटी को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया गया था। हालांकि, संस्थाओं में सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिशतता को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में अद्यतित नहीं किया गया था।

3.4.1.5 जारी किए गए शेयरों का मिलान न करना

भारत सरकार {आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)} ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एमएचए (नागपुर और पुणे) मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹500 करोड़ का निवेश किया और ₹10 प्रति शेयर की दर से 50 करोड़ शेयर आवंटित करने की हकदार थी। विवरण 11 के अनुसार, 4.60 करोड़ शेयर आवंटित किए गए और 46 करोड़ शेयर आवंटन

के लिए लंबित थे। इस प्रकार, विवरण 11 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एमओएचयूए को आवंटित किए गए ₹6 करोड़ (₹10 प्रति शेयर की दर से 60 लाख शेयर) की गलत/अतिरिक्त संख्या दर्शाता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितंबर 2024) में कहा कि इकाई ने वर्ष के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 4 करोड़ शेयर आवंटित किए थे, न कि 4.6 करोड़ शेयर, जैसा कि विवरण 11 में दर्शाया गया है। तदनुसार, विवरण 11 में सुधार की आवश्यकता है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिलक्षित होगा।

3.4.1.6 'लाभांश और लाभ' से संबंधित आंकड़ों में अंतर

यूजीएफ के विवरण 8 के एमएच:0050 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा प्राप्त 'लाभांश और लाभ' ₹1,70,890.50 करोड़ का शेष दर्शाता है, जबकि विवरण 11 के अनुसार संस्थाओं से प्राप्त लाभांश/ब्याज की कुल राशि ₹1,70,888.20 करोड़ है। इस प्रकार, इन विवरणों के बीच ₹2.30 करोड़ का अंतर है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

3.4.2 गारंटी शुल्क

संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत, भारत सरकार (जीओआई) केंद्र सरकार की संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों आदि को अनुकूल शर्तों पर संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए संप्रभु गारंटी देती है। सरकारी गारंटी नीति (मई 2022) गारंटी के अनुदान को नियंत्रित करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, बकाया गारंटी की कुल राशि ₹3,26,912.46 करोड़ थी। बदले में, सरकार संस्थाओं से गारंटी शुल्क वसूलती है।

हमने कुल ₹178.81 करोड़ की गारंटी फीस की कम वसूली का एक मामला देखा, जैसा कि चित्र 3.8 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

चित्र 3.8: गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	प्राप्य गारंटी शुल्क	प्राप्त गारंटी शुल्क	गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति
1	फार्मास्यूटिकल्स विभाग-आईडीपीएल (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)	100.43	0	100.43
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) (दूरसंचार विभाग)	78.38	0	78.38
	कुल	178.81	0	178.81

हमने पाया कि इंडियन ड्रग फार्मास्युटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) घाटे में चल रहा सीपीएसई था और 28/12/2016 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार बंद होने की स्थिति में था। इसके अलावा, फार्मास्युटिकल्स विभाग ने अपने उत्तर (दिसंबर 2024) में कहा कि विभाग ने आईडीपीएल की देनदारियों को कम करने और पीएसयू को बंद करने में तेजी लाने के लिए ₹5,139.11 करोड़ के भारत सरकार के कुल बकाया के प्रति ₹4,022.10 करोड़ (जिसमें ₹100.43 करोड़ की सरकारी गारंटी शामिल है) के बराबर की राशि के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को एक प्रस्ताव (नवंबर 2024) भेजा है। दूरसंचार विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।

3.4.3 नकद शेष

विवरण 13 की जांच से पता चला कि रिजर्व बैंक जमा और संघ सरकार के वित्त लेखों के नकद शेष²⁹ के बीच ₹1,267.02 करोड़ (क्रेडिट) - {सिविल मंत्रालय ₹546.73 करोड़ (क्रेडिट), केंद्र शासित प्रदेश ₹285.99 करोड़ (क्रेडिट) और गैर-सिविल मंत्रालय ₹434.30 करोड़ (क्रेडिट)} का निवल संचयी अंतर है। ₹1,267.02 करोड़ (क्रेडिट) का निवल संचयी अंतर ₹2,530.38 करोड़ के क्रेडिट बैलेंस और ₹1,263.36 करोड़ के डेबिट बैलेंस को घटाने के कारण था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में आरबीआई के साथ मिलान किया जाने वाला कुल नकद शेष ₹3,793.74 करोड़ था।

इसके अलावा, विवरण 13 और आरबीआई के आंकड़ों के बीच अंत शेष में अंतर के संदर्भ में नमूना जांच किए गए मंत्रालयों/विभागों में नकदी शेष की विस्तृत जांच **अनुलग्नक 3.11** में दर्शाई गई है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

3.5 वर्गीकरण त्रुटियाँ

हमने कई विचलन पाए जिसके कारण ₹4,214.07 करोड़ की राशि का गलत वर्गीकरण हुआ। इनमें से ₹3,283.50 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे और शेष गलत वर्गीकरण कुल ₹930.57 करोड़ व्यय से संबंधित थे और मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में और इसके विपरीत राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने से संबंधित थे (₹654.88 करोड़)।

²⁹ आरबीआई (सीएस), नागपुर के अनुसार क्रेडिट बैलेंस (₹4,505.88 करोड़) और यूजीएफए के अनुसार (₹3,238.86 करोड़)।

3.5.1 प्राप्तियों में गलत वर्गीकरण

- (i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में ₹683.74 करोड़ और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में ₹894.03 करोड़ की गैर-कर राजस्व प्रकृति की प्राप्तियां गलत तरीके से कर राजस्व के प्रासंगिक मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष 800 - 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज की गईं।

विभाग ने बताया (जुलाई 2024) कि संबंधित मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष 800 - 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुकिंग में कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों प्रकार शामिल हैं और वर्गीकरण करदाताओं द्वारा प्रदान किए गए चालान के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि एमएच 0021 (आय पर कर) के तहत लघु शीर्ष 800 के तहत बुकिंग का प्रतिशत 1 प्रतिशत से भी कम है।

विभाग (सीबीडीटी) का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमएच 0021 (आय पर कर) के लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज की गई राशि ₹680.63 करोड़ थी, जो कि मूल राशि है। साथ ही, जांच करने पर हमने पाया कि प्राप्तियों की प्रकृति गैर-कर राजस्व प्रकृति की थी और उन्हें कर राजस्व के बजाय प्रासंगिक गैर-कर राजस्व मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

- (ii) यह भी पाया गया कि कर राजस्व के समान/अन्य मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पहले से ही अलग-अलग लघु शीर्ष मौजूद होने के बावजूद, ब्याज वसूली, जुर्माना, कर/शुल्क संग्रह आदि जैसी प्राप्तियाँ संबंधित मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दिखाई गईं। नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि इस तरह का गलत वर्गीकरण सीबीडीटी में ₹19.72 करोड़ और सीबीआईसी में ₹1,686.01 करोड़ था।

विभाग (सीबीआईसी) ने कहा कि जीएसटी के संबंध में जीएसटीएन पोर्टल पर लघु शीर्ष 'अन्य' के तहत करदाताओं द्वारा भेजी गई राशि (एमएच: 0005, 0008 और 0009) लघु शीर्ष 800 (अन्य प्राप्तियां) के तहत लेखा में दर्ज की जाती है।

लेन-देन के सही लेखांकन के लिए विभाग को इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

3.5.2 व्यय का गलत वर्गीकरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) में प्रावधान है कि वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग किया जाएगा। राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे पर व्यय को वर्गीकृत करने के सिद्धांतों का तदनुसार पालन किया जाना चाहिए।

महालेखानियंत्रक कार्यालय लेखांकन प्रक्रियाओं पर मंत्रालयों को निर्देश जारी करता है। लेखों का छह स्तरीय वर्गीकरण चित्र 3.9 में विशिष्ट मुख्य शीर्ष (2210: चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य) के उदाहरण के साथ दिया गया है।

चित्र 3.9 : लेनदेन के लेखांकन का वर्गीकरण

लेन-देन की विशेषता	उदाहरण	वर्गीकरण
कार्य	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य (2210)	मुख्य शीर्ष (4 अंक)
उप कार्य	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान (05)	उप-मुख्य शीर्ष (2 अंक)
कार्यक्रम	आयुर्वेद (101)	लघु शीर्ष (3 अंक)
योजना	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान (02)	उप-शीर्ष (2 अंक)
उप-योजना	स्वच्छता कार्य योजना (96)	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
लेन-देन की प्रकृति	सहायता अनुदान सामान्य (31)	वस्तु शीर्ष (2 अंक)

इस प्रकार, उपरोक्त उदाहरण के अनुसार, प्रत्येक लेनदेन 15 अंकों में दर्ज होता है।

जीएफआर, 2017 के नियम 78 में यह प्रावधान है कि सरकारी लेखों में लेन-देन का वर्गीकरण सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों और गतिविधियों तथा व्यय के उद्देश्य के निकटतम संदर्भ में होगा, न कि उस विभाग के संदर्भ में जिसमें प्राप्ति या व्यय होता है। इसके अलावा, डीएफपीआर के नियम 8 में उन वस्तु शीर्षों को निर्दिष्ट किया गया है जो पूंजीगत व्यय के लिए 'वस्तु वर्ग VI' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, इन वस्तु शीर्षों का उपयोग केवल पूंजीगत प्रकृति के व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है और केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ ही संगत होता है। अन्य वस्तु वर्गों (वर्ग I से V) के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों का उपयोग आमतौर पर राजस्व व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है और उन्हें आमतौर पर पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ संगत नहीं होना चाहिए। व्यय से सम्बंधित गलत वर्गीकरण को नीचे दर्शाया गया है।

- तीन अनुदानों के अंतर्गत, ₹14.28 करोड़ के राजस्व व्यय को गलत तरीके से पूंजीगत व्यय के रूप में और ₹640.60 करोड़ के पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.12क** और **3.12ख** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।
- तीन अनुदानों के अंतर्गत 20 मामलों में कुल ₹168.94 करोड़ की धनराशि को गलत वस्तु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया, जैसा कि **अनुलग्नक 3.12ग** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

- (iii) भारत सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों को सक्षम करने के साथ-साथ गैर-सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व वाली सुविधाओं के उपयोग के लिए अक्टूबर 2021 में डीओएस में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन किया। हालाँकि, डीओएस ने इन-स्पेस को सहायता-अनुदान जारी करने के लिए अन्य वस्तु शीर्षों का संचालन किया - राजस्व भाग के तहत ₹17.64 करोड़ और पूंजीगत भाग के तहत ₹34.64 करोड़, जैसा कि **अनुलग्नक 3.12घ** में विस्तृत है। इन-स्पेस डीओएस के तहत एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए निधियों को वस्तु शीर्ष '31', '35' और '36' के तहत जारी किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अनुभाग में वस्तु शीर्ष '31- सहायता अनुदान-सामान्य' और '36 - सहायता अनुदान- वेतन' के अंतर्गत ₹17.64 करोड़ और पूंजीगत भाग में वस्तु शीर्ष '35- पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' के अंतर्गत ₹34.64 करोड़ का व्यय कम दर्शाया गया। यह मुद्दा इन-स्पेस के 2022-23 के लेखों में भी उठाया गया था। डीओएस का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।
- (iv) अंतरिक्ष विभाग ने कैंटीन से संबंधित ₹10.53 करोड़ के व्यय को गलत तरीके से लघु शीर्ष 101 - स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत दर्ज किया, जबकि सही लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के तहत मुख्य शीर्ष 3402 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 'टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन स्पेसक्राफ्ट-01 (टीडीएस-01)' से संबंधित ₹41.52 करोड़ के व्यय को गलत तरीके से लघु शीर्ष 105 - इनसैट के तहत दर्ज किया गया, जबकि सही लघु शीर्ष 101- स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2025)।
- (v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक मामले में, ₹2.42 करोड़ का राजस्व व्यय गलत तरीके से पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक 3.12इ** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

3.5.2.1 दूरसंचार विभाग द्वारा व्यय का गलत वर्गीकरण

अक्टूबर 2019 में, पुनरुद्धार योजना के हिस्से के रूप में, मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को मंजूरी दी। इस योजना की अनुमानित लागत ₹29,937 करोड़ (अनुग्रह भुगतान के लिए ₹17,169 करोड़ और अग्रिम पेंशन लाभ के लिए ₹12,768 करोड़) है, जिसे दस वर्षों में बजटीय आवंटन के

माध्यम से वित्तपोषित किया जाना था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, 91,191 कर्मचारियों (बीएसएनएल से 76,804 और एमटीएनएल से 14,387) ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना।

केंद्रीय (सिविल) पेंशनभोगियों के सभी पेंशन भुगतान एमएच : 2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में डेबिट किए जाते हैं। हालाँकि, वीआरएस विकल्प चुनने वाले के मामले में, जब तक वह 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाता, पेंशन को एक अलग शीर्ष (एमएच :3275 अन्य संचार सेवाएँ) के अंतर्गत दर्ज किया जाना था।

हमारी लेखापरीक्षा से पता चला कि डीओटी ने नियमित पेंशन भुगतान के ₹3,443.08 करोड़ को सही एचओए:2071.01.101.01 "साधारण पेंशन" के बजाय एचओए:3275.00.800.94 "वृद्धिशील पेंशन भुगतान" के अंतर्गत दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ और "वृद्धिशील पेंशन" के लिए बजटीय आवंटन का अधिक उपयोग हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक 3.13** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। यह गलत वर्गीकरण पेंशन प्रबंधन प्रणाली (एसएएमपीएनएन) में लेखों की अनुचित मैपिंग के साथ ही लेखा कार्यालयों को अस्पष्ट निर्देशों के कारण हुआ।

यह गलत वर्गीकरण प्रक्रियागत उल्लंघनों से और भी जटिल हो गया, क्योंकि दूरसंचार विभाग ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय तथा वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग से परामर्श किए बिना ही नए उप-शीर्ष खोल दिए।

मूल कारण एसएएमपीएनएन पोर्टल में है, जिसमें वीआरएस पेंशन भुगतानों को उचित रूप से वर्गीकृत करने के लिए स्वचालित नियंत्रणों का अभाव है। एमएच:2071 के तहत डिफॉल्ट बुकिंग की वर्तमान पद्धति के कारण मैनुअल ट्रांसफर प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है, जिससे त्रुटियों का जोखिम काफी बढ़ जाता है। इन पद्धतियों ने पेंशन मुख्य शीर्ष :3275 के तहत व्यय को बढ़ा दिया और "वृद्धिशील पेंशन" के लिए बजटीय आवंटन का अधिक उपयोग किया। मामला दूरसंचार विभाग को भेजा गया (अक्टूबर 2024) और उत्तर प्रतीक्षित है।

हम सिफारिश करते हैं कि दूरसंचार विभाग एसएएमपीएनएन में स्वचालित नियंत्रण लागू करे, ताकि सेवानिवृत्ति आयु के आधार पर वीआरएस पेंशन भुगतान की पहचान की जा सके और उसका सही वर्गीकरण किया जा सके।

4.1 विनियोग लेखों का अवलोकन

संसद द्वारा अधिनियमित विनियोग अधिनियम (संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत) सरकार को निर्धारित सेवाओं और उद्देश्यों के लिए भारत की संचित निधि (सीएफआई) से अनुदान की मांग के तहत अलग-अलग निर्दिष्ट राशि निकालने का अधिकार देता है। संसद वित्तीय वर्ष के दौरान (संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत) अनुपूरक अनुदानों को भी मंजूरी देती है। विनियोग उन मांगों के प्रति किए जाते हैं जो पूरी तरह से सीएफआई को 'प्रभारित' होते हैं। अनुदान उन मांगों के प्रति किए जाते हैं जो या तो पूरी तरह से 'दत्तमत' होते हैं या आंशिक रूप से 'दत्तमत' होते हैं और आंशिक रूप से 'प्रभारित' होते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छह विनियोग और 96 अनुदान हैं।

चित्र 4.1: बजट प्रक्रिया



मंत्रालय सामान्य वित्तीय नियमों और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के बजट प्रभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बजट अनुमान (बीई) तैयार करते हैं। इन निर्देशों में यह उल्लिखित है कि सभी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीई को यथार्थवादी रूप से तैयार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अप्रयुक्त शेष राशि से बचा जाए। बजट दस्तावेजों में शामिल करने से पहले डीईए, एमओएफ द्वारा बीई की आगे की जांच की जाती है।

4.1.1 प्रावधान और व्यय का विवरण

चित्र 4.2 में सिविल, रक्षा, रेलवे और डाक मंत्रालयों/विभागों में प्रावधान, व्यय और बचत का ब्यौरा दिखाया गया है, जबकि खंडवार³⁰ - विवरण अनुलग्नक 4.1 में दिया गया है।

³⁰ प्रत्येक अनुदान/विनियोजन के चार खंड हो सकते हैं - राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) और पूंजीगत (दत्तमत)।

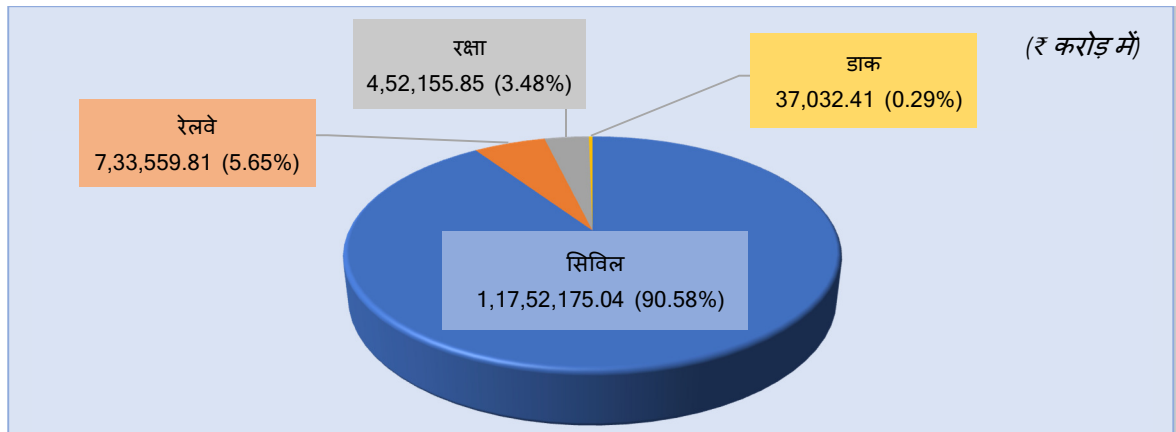
चित्र 4.2: प्रावधान, संवितरण और बचत³¹

(₹ करोड़ में)

विनियोग लेखे (अनुदानों की संख्या)	मूल प्रावधान (ओ)	अनुपूरक प्रावधान (एस)	कुल प्रावधान (ओ+एस)	संवितरण	बचत (-) (प्रतिशत में)
सिविल (98)	1,31,75,331.58	2,99,716.64	1,34,75,048.22	1,17,52,175.04	-17,22,873.18 (12.79%)
रेलवे (1)	7,71,629.59	771.49	7,72,401.08	7,33,559.81	-38,841.27 (5.03%)
रक्षा (2)	4,39,633.61	28,976.50	4,68,610.11	4,52,155.85	-16,454.26 (3.51%)
डाक (1)	40,553.38	183.76	40,737.14	37,032.41	-3,704.73 (9.09%)
कुल (102)	1,44,27,148.16	3,29,648.39	1,47,56,796.55	1,29,74,923.11	-17,81,873.44 (12.07%)

कुल सकल व्यय का बड़ा हिस्सा अर्थात् 90.58 प्रतिशत सिविल मंत्रालयों द्वारा किया गया, जैसा कि चित्र 4.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.3: व्यय का ब्यौरा



अधिकांश अनुदानों (60 प्रतिशत) का बजट ₹10,000 करोड़ से कम था और 17 अनुदानों का बजट ₹1,00,000 करोड़ से अधिक था, जिनमें से केवल दो विनियोग - ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी - ₹10,00,000 करोड़ से अधिक थे, जैसा कि नीचे चित्र 4.4 और अनुलग्नक 4.2 में विस्तार से बताया गया है।

³¹ विनियोग लेखों में, संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के संदर्भ में भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, जिसमें अनुपूरक अनुदान या विनियोग और उसके प्रति व्यय शामिल हैं। ऋणात्मक भिन्नताओं को 'बचत' और घनात्मक भिन्नताओं को 'अतिरिक्त' कहा जाता है।

चित्र 4.4: संसद द्वारा अधिकृत धनराशि (ओ+एस) अनुदानों/विनियोगों का वर्गीकरण

वर्ग	स्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	अनुदान/विनियोग की संख्या
1	₹999 करोड़ तक	18
2	₹1,000 करोड़ से ₹9,999 करोड़	43
3	₹10,000 करोड़ से ₹99,999 करोड़	24
4	₹1,00,000 करोड़ से ₹9,99,999 करोड़	15
5	₹10,00,000 करोड़ और उससे अधिक	2
कुल		102

4.1.2 प्रभारित और दत्तमत संवितरण

कुल मिलाकर, प्रभारित व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएफआई से कुल संवितरण का 67.46 प्रतिशत था, जैसा कि नीचे चित्र 4.5 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.5: प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

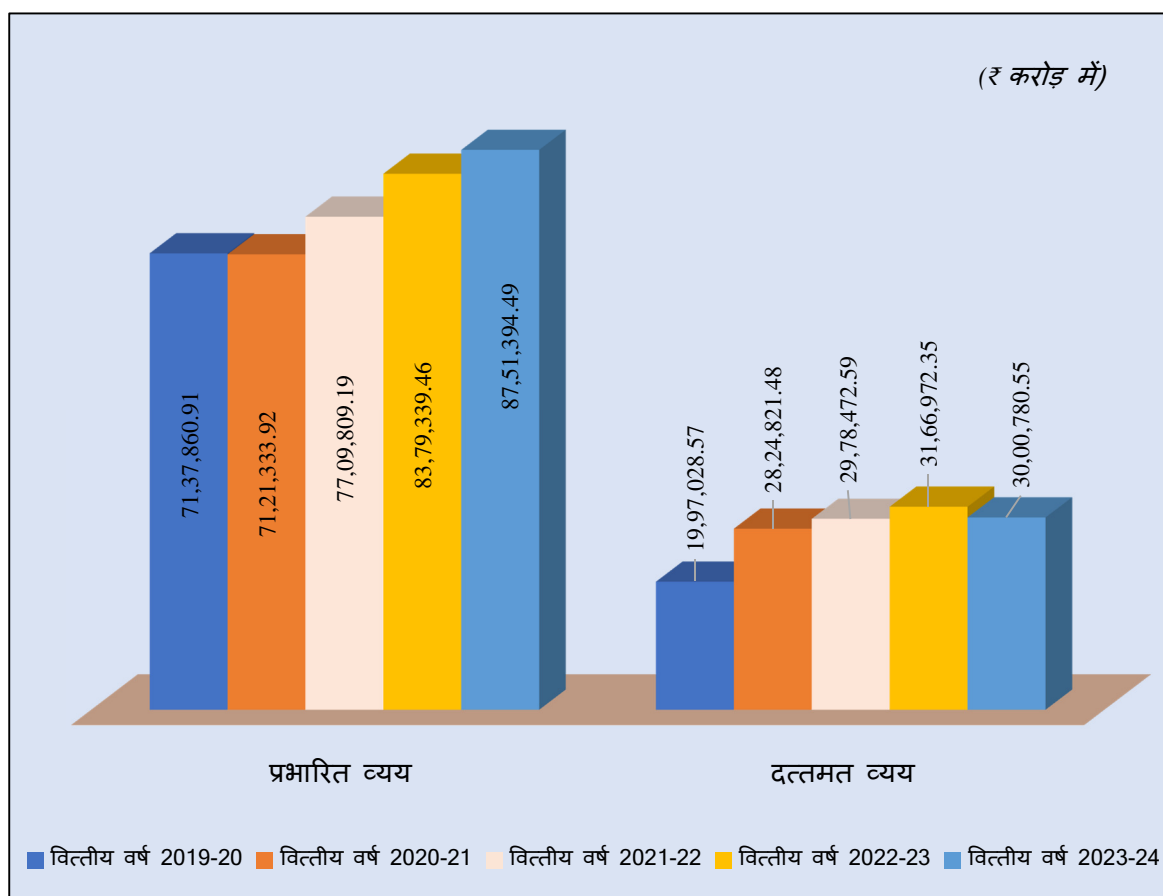
(₹ करोड़ में)

विनियोग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत (-) अतिरिक्त (+)
प्रभारित			
सिविल	1,02,65,175.66	87,51,394.49	-15,13,781.17
रेलवे	1,354.03	1,471.48	117.45
रक्षा	261.91	149.38	-112.53
डाक	1.17	0.19	-0.98
कुल	1,02,66,792.77 (69.57%)	87,53,015.54 (67.46%)	-15,13,777.23 (84.95%)
दत्तमत			
सिविल	32,09,872.56	30,00,780.55	-2,09,092.01
रेलवे	7,71,047.05	7,32,088.33	-38,958.72
रक्षा	4,68,348.20	4,52,006.47	-16,341.73
डाक	40,735.97	37,032.22	-3,703.75
कुल	44,90,003.78 (30.43%)	42,21,907.57 (32.54%)	-2,68,096.21 (15.05%)
कुल योग	1,47,56,796.55	1,29,74,923.11	-17,81,873.44

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रभारित व्यय सीएफआई से सिविल संवितरण के कुल संवितरण का 74.47 प्रतिशत था। सिविल मंत्रालयों के अंतर्गत प्रमुख प्रभारित संवितरण में दो विनियोग शामिल थे, अर्थात् ऋण की अदायगी (₹74,62,492.88 करोड़ जो कुल सिविल संवितरण का 63.50 प्रतिशत है) और ब्याज भुगतान (₹11,02,651.05 करोड़ जो कुल सिविल संवितरण

का 9.38 प्रतिशत है), और एक अनुदान अर्थात् राज्यों को अंतरण (₹1,79,830.32 करोड़ जो कुल सिविल संवितरण का 1.53 प्रतिशत है)। प्रभारित संवितरण में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चित्र 4.6)।

चित्र 4.6: सिविल मंत्रालयों/विभागों में प्रभारित और दत्तमत संवितरण



4.2 प्राधिकरण से भिन्नता

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 102 अनुदानों में से 28 अनुदानों के संबंध में बचत, प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी। पांच अनुदानों अर्थात् अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (66.66 प्रतिशत), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (66.45 प्रतिशत), पर्यटन मंत्रालय (66.24 प्रतिशत), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (65.62 प्रतिशत) और योजना मंत्रालय (64.72 प्रतिशत) ने स्वीकृत प्रावधानों के 61 से 80 प्रतिशत के बीच बचत दिखाई। जैसा कि चित्र 4.7 और अनुलग्नक 4.2 में विवरण दिया गया है। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.2 के आंकड़ों की पुष्टि कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

चित्र 4.7: अंतर के प्रतिशत के आधार पर अनुदानों/विनियोगों का वर्गीकरण (अधिक/बचत)

स्वीकृत प्रावधान (ओ+एस) के संबंध में बचत/अतिरिक्त का %	दर्शाए गए अनुदानों/विनियोगों की संख्या	
	बचत	अधिकता
0% - 20%	74	शून्य
20% >= 40%	16	शून्य
40% >= 60%	7	शून्य
60% >= 80%	5	शून्य
कुल	102	शून्य

4.2.1 अतिरिक्त व्यय

वर्ष 2023-24 में अनुदान/विनियोग स्तर पर कोई अधिकता नहीं देखी गई। हमने खंड और लघु/उपशीर्ष स्तर पर अधिकता का विश्लेषण किया जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

4.2.1.1 खंड स्तर पर अतिरिक्त व्यय

संविधान के अनुच्छेद 114(3) में प्रावधान है कि कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा सीएफआई से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। बजटीय प्रावधान से अधिक राशि, यदि कोई हो, को संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के तहत संसद द्वारा नियमित किया जाना आवश्यक है।

102 अनुदानों/विनियोगों में से, एक अनुदान के एक खंड (राज्यों को अंतरण-पूँजीगत प्रभारित) के अंतर्गत, ₹29,600.00 करोड़ के प्राधिकरण के प्रति ₹31,308.41 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1,708.41 करोड़ (₹17,08,40,95,000) का अतिरिक्त व्यय हुआ। संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के तहत अनुदानों/विनियोगों की अधिकता को नियमित किया जाना आवश्यक है। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.2.1.2 लघु/उप-शीर्ष स्तर पर किया गया अतिरिक्त व्यय

जीएफआर, 2017 के नियम 61 के अनुसार, लेखा अधिकारी मुख्य लेखा प्राधिकरण की विशिष्ट स्वीकृति के बिना बजट प्रावधानों से अधिक राशि के लिए किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं देंगे। बदले में, किसी भी मद के अंतर्गत अतिरिक्त राशि को मंजूरी देने से पहले, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकरण पुनर्विनियोग /अनुदानों की पूरक मांग के माध्यम से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

हमने पुनर्विनियोग /पूरक मांगों के माध्यम से निधियों का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए बिना 9 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 14 लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय पाया, जो कुल मिलाकर ₹3,471.46 करोड़³² था। विवरण **अनुलग्नक 4.3** में दिया गया है। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.3 के आंकड़ों की पुष्टि कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

अतिरिक्त व्यय के ऐसे मामले का एक उदाहरण इस प्रकार है:

वर्ष 2023-24 के दौरान आर्थिक कार्य विभाग ने कुल प्रावधान के अलावा उप-शीर्ष 'स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 2015' के अंतर्गत ₹508.69 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जैसा कि नीचे **चित्र 4.8** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.8: उपशीर्ष 'स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 2015' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

उप शीर्ष	प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त व्यय
4046.00.206.06-स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 2015	ओ-1,000.00 एस-388.10 आर-शून्य	1,388.10	1,896.79	508.69

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान योजना के तहत सोना जुटाना उसके अनुमान से अधिक था और बैंकों को दिए जाने वाले हैंडलिंग शुल्क में वृद्धि हुई थी। सोने के मूल्य में भी वृद्धि हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप सोने के भंडार में वृद्धि हुई है जिसके कारण अनुदान से अधिक व्यय हुआ। इसके अलावा, विभाग ने हमें आश्वासन दिया कि वह हमेशा यथार्थवादी बजट प्रावधान तैयार करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बजट प्रावधानों का इष्टतम उपयोग किया जाए, लेकिन कुछ कारक जैसे सोने का मूल्य, सोने का भंडार आदि उसके हाथ में नहीं थे। आगे उत्तर दिया गया (मार्च 2025) कि व्यय मांग के तहत स्वीकृत समग्र परिव्यय के भीतर था।

उत्तर में किसी भी शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए पुनर्विनियोग /अनुदानों की पूरक मांग के माध्यम से धन की मांग बढ़ाने के लिए वित्तीय सलाहकारों और मुख्य लेखा प्राधिकारी की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया गया है।

³² पैरा संख्या 4.2.1.1 में इंगित कुल ₹3,471.46 करोड़ के अतिरिक्त व्यय में ₹1,708.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी शामिल है।

4.2.2 बचत

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹17,81,873.44 करोड़ थी और यह कुल प्राधिकरण का 12.07 प्रतिशत थी। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्राधिकरण के 2.64 प्रतिशत की बचत के प्रति है, जो बजट निर्माण में अपर्याप्त सावधानी और/या बजट निष्पादन में कमी का संकेत है। हमने अनुदान/विनियोग स्तर, खंड स्तर, लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर बचत का विश्लेषण किया और साथ ही बचत के कारणों का विश्लेषण किया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

4.2.2.1 अनुदान/विनियोग स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 14 अनुदानों/विनियोगों में अनुदान/विनियोग स्तर पर ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत देखी है, जैसा कि **अनुलग्नक 4.4** में दर्शाया गया है इन अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹17,02,237.27 करोड़ रही, जो 102 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹17,81,873.44 करोड़ की कुल बचत का 95.53 प्रतिशत था। चार अनुदानों/विनियोगों अर्थात् ऋण की अदायगी (₹14,85,959.83 करोड़), राज्यों को अंतरण (₹46,012.89 करोड़), रेल मंत्रालय (₹38,841.27 करोड़) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (₹32,956.62 करोड़) के अंतर्गत बचत अन्य की तुलना में अधिक थी। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.4 के आंकड़ों की पुष्टि की गई है और उन्हें सही पाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले उपरोक्त 14 अनुदानों/विनियोगों में से, छह अनुदानों में वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी लगातार बचत थी, जैसा कि **चित्र 4.9** में दिखाया गया है। अनुदान '42- राज्यों को अंतरण' के तहत लगातार बचत प्रतिवर्ष ₹46,000.00 करोड़ से अधिक रही।

चित्र 4.9: वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की लगातार बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि		
		वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
1	42-राज्यों को अंतरण	46,012.89	67,882.04	61,547.08
2	85-रेल मंत्रालय	38,841.27	27,193.69	27,118.10
3	13-दूरसंचार विभाग	21,037.97	12,420.67	29,767.44

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि		
		वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
4	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	13,155.29	22,427.54	8,177.19
5	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	9,122.15	14,472.40	39,826.18
6	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	5,148.41	14,659.28	22,062.17

हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किए जाने तथा लोक लेखा समिति के निर्देश पर वित्त मंत्रालय द्वारा यथार्थवादी बजट निर्धारण पर जारी परामर्श के बावजूद लगातार बचत दर्ज की गई।

हम विभिन्न अनुदानों में ₹5000 करोड़ और उससे अधिक की निरंतर बचत को देखते हुए बजट आकलन में पूर्वानुमान सटीकता में सुधार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश करते हैं।

4.2.2.2 खंड स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

लोक लेखा समिति को यह अपेक्षा है कि अनुदान/ विनियोग में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत के बारे में समिति को बताया जाए। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा खंडवार³³ तैयार किए गए विस्तृत व्याख्यात्मक नोट लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

70 अनुदानों/विनियोगों के 95 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई, जिसकी राशि ₹17,81,358.77 करोड़ थी। सात अनुदानों/ विनियोगों के तहत चार खंडों में बचत ₹10,000.00 करोड़ से अधिक रही, जो स्वीकृत प्रावधानों का 1.02 प्रतिशत से 91.61 प्रतिशत है। इसके अलावा, 2022-23 के साथ-साथ 2023-24 में एक अनुदान अर्थात 'राज्यों को अंतरण' के तहत तीन खंडों में बचत ₹10,000.00 करोड़ से अधिक रही। विवरण **अनुलग्नक 4.5** में दिया गया है। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि सिविल अनुदानों के संबंध में अनुलग्नक 4.5 के आंकड़ों को सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है।

³³ प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में चार खंड हो सकते हैं - राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) और पूंजीगत (दत्तमत)।

4.2.2.3 लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

101³⁴ अनुदानों/विनियोगों की जांच से पता चला 58 अनुदानों/विनियोगों में महत्वपूर्ण बचत के 259 मामले³⁵ सामने आए, अर्थात् लघु-शीर्ष/उपशीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत तथा लघु-शीर्ष/उपशीर्ष स्तर पर न्यूनतम ₹100 करोड़ की सीमा के अधीन आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक की बचत।

10 लघु-शीर्षों/उप-शीर्षों के अंतर्गत बचत सात अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत प्रत्येक में ₹10,000.00 करोड़ से अधिक की बचत हुई। इसके अलावा, विनियोग 'ऋण अदायगी' के अंतर्गत, चार लघु-शीर्षों³⁶/उप-शीर्षों के अंतर्गत बचत ₹87,397.66 करोड़ से लेकर ₹10,49,066.54 करोड़ तक रही। 15 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 32 लघु-शीर्षों/उप-शीर्षों के अंतर्गत कुल ₹1,63,718.60 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान उपयोग में नहीं लाया गया। विवरण क्रमशः अनुलग्नक 4.6क और 4.6ख में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, महत्वपूर्ण बचत के उपरोक्त 259 मामलों में से, 25 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 51 मामलों में वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी लगातार बचत हुई, जैसा कि अनुलग्नक 4.6ग में विस्तृत रूप से बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विनियोग 'ऋण अदायगी' के अंतर्गत दो मामलों में ₹10,000.00 करोड़ या उससे अधिक की लगातार बचत हुई।

व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि सिविल अनुदान के संबंध में अनुलग्नक 4.6 के आंकड़ों की पुष्टि कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

4.2.2.4 बचत का अभ्यर्पण न करना

जीएफआर, 2017 के नियम 62(2) में प्रावधान है कि बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, पूर्वानुमान के अनुसार तुरंत सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए। तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने विनियोग की प्रत्येक इकाई के अंतर्गत बचत के सभी अभ्यर्पणों की सूचना देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के लिए 08 मार्च 2024 की समय-सीमा निर्धारित की (फरवरी 2024³⁷)।

³⁴ 98 सिविल अनुदान, एक डीओपी और दो रक्षा।

³⁵ एनईआर से संबंधित मुख्य शीर्ष 2552 और 4552 के अंतर्गत बचत को बाहर रखा गया है क्योंकि वे गैर-कार्यात्मक शीर्ष हैं (अनुदान 23-एम/ओ डोनर को छोड़कर)।

³⁶ (6001.00.103.01-91 दिन के ट्रेजरी बिल ₹87,397.66 करोड़, 6001.00.114-अर्थोपाय अग्रिम ₹3,00,687 करोड़, 6001.00.115-14 दिन के ट्रेजरी बिल ₹10,49,066.54 करोड़ और 6001.00.127-नकद प्रबंधन बिल ₹1,00,000 करोड़)

³⁷ वित्त मंत्रालय का ओएमएफएन2(12)-बी(डी)/2024 दिनांक 22 फरवरी 2024।

हालाँकि, हमने पाया कि सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹17,81,873.44 करोड़ की बचत में से, एक छोटे हिस्से अर्थात् ₹38,235.44 करोड़ (कुल बचत का 2.15 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं किया गया और 64 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत उन्हें समाप्त होने दिया गया, प्रत्येक में अभ्यर्पण न की गई राशि ₹ एक करोड़ से अधिक थी। विवरण **अनुलग्नक 4.7** में दिया गया है।

4.2.2.5 बचत के कारणों का विश्लेषण

लघु/उप-शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत के उपरोक्त 259 मामलों के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों के विश्लेषण से पता चला कि मंत्रालयों/विभागों ने बड़ी संख्या में मामलों में कम दावे, कम मांग, कम निधियों की आवश्यकता, कम उपयोग, व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति आदि जैसे सामान्य कारण बताए थे, जिससे लेखों के उपयोगकर्ता की अपर्याप्त समझ दर्शाता है। यह सिविल लेखा नियमावली के पैरा 11.5.2 का उल्लंघन था जिसमें कहा गया है कि भिन्नताओं के कारण संक्षिप्त, सुस्पष्ट और विश्लेषणात्मक होने चाहिए तथा उनका उल्लेख उनके महत्व के अनुसार किया जाना चाहिए। 'अतिरिक्त अनुमान के कारण', 'वास्तविक व्यय के आधार पर', 'कम (या अधिक) व्यय के कारण', 'कम (या अधिक) मांग के कारण' आदि जैसे सामान्य कारणों से बचना चाहिए तथा मंत्रालय/विभाग से सही और विशिष्ट कारणों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। उपरोक्त पैराग्राफ 4.2.2.3 में चर्चा के अनुसार लघु/उप-शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत को बचत के व्यापक कारणों के आधार पर **अनुलग्नक 4.8क** (सिविल अनुदान/विनियोग) में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि **चित्र 4.10** में संक्षेपित किया गया है।

चित्र 4.10: बचत का वर्गीकरण

वर्ग	राशि (₹ करोड़ में)
अवास्तविक बजट अनुमान	15,57,993.27
प्रस्तावों/दावों/मांगों की कम प्राप्ति	90,353.98
परिचालन संबंधी मुद्दे	1,58,678.73
व्यय के विनियमन के कारण	18,437.94
निधि का गैर-अंतरण/अंतरण	33,777.97

₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले 120 उप-शीर्षों में से 25 उप-शीर्षों में “कम प्रस्ताव प्राप्त होना/कोई प्रस्ताव प्राप्त न होना” बचत का सबसे सामान्य कारण बताया गया है, तथा जिससे ₹55,519.26 करोड़ की बचत हुई है।

बचत के ऐसे मामले का एक उदाहरण इस प्रकार है:

राज्यों को अनुदान-अंतरण के अंतर्गत, हमने देखा कि विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान चार उप-शीर्षों, अर्थात् 'गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्य को सहायता', 'शहरी निकाय अनुदान (राज्य)', 'शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (शहर के लिए)' और 'पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता की योजना' के अंतर्गत ₹674.70 करोड़ से ₹18,804.65 करोड़ तक की लगातार बचत हुई है।

हमने आगे पाया कि तीनों वर्षों में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत बचत के लिए अधिकतर समान कारण दर्ज किए गए, जैसा कि **अनुलग्नक 4.8ख** में विस्तृत है। इन कारणों में शामिल हैं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कम धनराशि की आवश्यकता और प्रावधान में कमी, अनुदान जारी करने के लिए नोडल मंत्रालय से कम राशि की प्राप्ति, संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करना और योजना के तहत उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना। इससे पता चलता है कि बचत विगत वर्ष के व्यय की प्रवृत्ति पर विचार किए बिना बजट के अविवेकपूर्ण निर्माण और राज्य सरकारों के साथ नोडल मंत्रालयों के अप्रभावी समन्वय का परिणाम थी।

4.3 अनुपूरक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 115(1) में प्रावधान है कि जब अनुदान/विनियोग के किसी भाग में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बचत उपलब्ध न हो या व्यय 'नई सेवा'³⁸ या 'सेवा के नए साधन'³⁹ पर किया जाना हो, तो भुगतान करने से पहले पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना आवश्यक है।

³⁸ इसका तात्पर्य किसी नए नीतिगत निर्णय के कारण निश्चित सीमा से अधिक व्यय से है, जो पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था, जिसमें कोई नई गतिविधि या निवेश का कोई नया रूप शामिल है।

³⁹ किसी मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न एक निश्चित सीमा से अधिक बड़ा व्यय।

4.3.1 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

ऐसे मामलों⁴⁰ की जांच जहां मूल प्रावधानों के अतिरिक्त ₹10 करोड़ या उससे अधिक का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, से पता चला है कि 16 अनुदानों के अंतर्गत 28 लघु/उप-शीर्षों में, अधिक व्यय की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹5,143.91 करोड़ की राशि के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए, लेकिन ₹92,967.41 करोड़ का अंतिम व्यय ₹96,135.40 करोड़ के मूल प्रावधान से कम था। अनावश्यक प्रावधान के कारण ₹5143.91 करोड़ की अतिरिक्त बचत हुई। विस्तृत विवरण **अनुलग्नक 4.9** में दिया गया है।

व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि सिविल अनुदान के संबंध में अनुलग्नक 4.9 के आंकड़ों की पुष्टि कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

4.4 निधियों का पुनर्विनियोग

पीएसी ने अपनी 83^{वीं} प्रतिवेदन (15^{वीं} लोक सभा, 2012-13) में कहा कि निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी किया जा सकता है जब यह निश्चित रूप से ज्ञात हो या वास्तविक रूप से अनुमान हो कि जिस इकाई से निधियां अंतरित करने का प्रस्ताव है, उसके लिए विनियोग का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा या इस बात की उचित निश्चितता हो कि विनियोग की इकाई में बचत की जा सकती है।

4.4.1 लघु/उप-शीर्षों से/में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

14 अनुदानों/विनियोगों के 20 मामलों में ₹10 करोड़ से अधिक के पुनर्विनियोगों की जांच से पता चला कि इन लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान पर्याप्त होने के बावजूद कुल ₹5,082.22 करोड़ का पुनर्विनियोग किया गया। इससे इन शीर्षों के अंतर्गत ₹8,051.92 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि **अनुलग्नक 4.10क** में विस्तृत है।

इसी प्रकार, चार अनुदानों के अंतर्गत 12 मामलों में, इन लघु/उप-शीर्षों से अन्य शीर्षों में कुल ₹5,758.58 करोड़ को पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया और परिणामस्वरूप इन लघु/उप-शीर्षों में ₹2,078.86 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक 4.10ख** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि सिविल अनुदानों के संबंध में **अनुलग्नक 4.10क** और **ख** के आंकड़ों की पुष्टि कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

⁴⁰ एनईआर से संबंधित मुख्य शीर्ष 2552 और 4552 के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों को यहां शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे गैर-कार्यात्मक शीर्ष हैं (अनुदान 23-एमओ डोनर को छोड़कर)।

4.4.2 कार्यात्मक शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोग न होने के कारण डाक विभाग में अत्यधिक व्यय हुआ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट परिपत्र के पैरा 6.2 में यह प्रावधान है कि राजस्व व्यय के लिए मुख्य शीर्ष '2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र' और पूंजीगत व्यय के लिए मुख्य शीर्ष '4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय'/मुख्य शीर्ष '6552-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऋण' के नीचे संबंधित परियोजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाओं के लिए बजट प्रावधान प्रदान किया जा सकता है, ताकि व्यय के कार्यात्मक शीर्षों को सही करने के लिए अंतिम रूप से पुनर्विनियोग किया जा सके, जिसमें व्यय को अंतिम रूप से दर्ज किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान डाक विभाग के तहत किए गए प्रावधानों की हमारी जांच से पता चला है कि ₹143.46 करोड़ के कुल प्रावधान में से, विभाग ने गैर-कार्यात्मक शीर्षों (एमएच 2552 और 4552) से कार्यात्मक शीर्षों में ₹138.43 करोड़ के प्रावधान को पुनः विनियोग नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप कार्यात्मक शीर्षों (एमएच 3201 और 5201) में उप-शीर्ष स्तर पर अधिक व्यय हुआ। गैर-कार्यात्मक शीर्षों से कार्यात्मक शीर्षों में पुनः विनियोग न किए गए निधियों का मुख्य शीर्ष वार विवरण चित्र 4.11 में दिखाया गया है।

चित्र 4.11: गैर-कार्यात्मक शीर्षों से कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोजित न की गई निधियों का मुख्य शीर्ष वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	अंतिम प्रावधान (ओ+एस+आर)	वास्तविक व्यय	*अतिरिक्त (+) *बचत(-)
3201 (कार्यात्मक शीर्ष)	39,145.83	0.01	-4,453.47	34,692.38	35,645.52	953.14
2552 (गैर-कार्यात्मक शीर्ष)	10.59	0.00	-0.19	10.40	0.00	-10.40
5201 (कार्यात्मक शीर्ष)	1,029.71	168.12	-164.60	1,033.23	1,136.89	103.66
4552 (गैर-कार्यात्मक शीर्ष)	117.24	15.63	-4.84	128.03	0.00	-128.03

* अंतिम प्रावधान के संबंध में, ओ: मूल, एस: अनुपूरक, आर: पुनर्विनियोग

विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि एमएच-2552 से एमएच-3201 में ₹10.40 करोड़ और एमएच-4552 से एमएच-5201 में ₹128.02 करोड़ का पुनर्विनियोग सचिव (डाक) की स्वीकृति से किया गया था। हमें आश्वासन दिया गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट कर लिया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाओं/योजनाओं

के लिए बजट प्रावधानों का अंतिम पुनर्विनियोग व्यय के उपयुक्त कार्यात्मक शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2024-25 से बजट परिपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

एमएच-2552 से एमएच-3201 में ₹10.40 करोड़ और एमएच 4552 से एमएच 5201 में ₹128.02 करोड़ के पुनर्विनियोग के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 2023-24 के लिए डीओपी के चरण-III लेखों में ऐसा कोई पुनर्विनियोग नहीं दिखाया गया था।

4.5 अनियमित व्यय

हमारी जांच से व्यय में निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं।

4.5.1 प्रावधानों को बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

वित्त मंत्रालय ने ⁴¹कई अवसरों पर यह निर्धारित किया है कि वस्तु शीर्षों (i) 'सहायता अनुदान (जीआईए सामान्य, वेतन और पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण)' (ii) 'सब्सिडी' और (iii) 'प्रमुख कार्यों' में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में वृद्धि पर वही सीमा लागू होगी जो नई सेवा/सेवा के नए साधन पर लागू होती है और यह केवल संसद की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है। इन आदेशों का पालन न करने की ओर केन्द्र सरकार के लेखों पर सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार-बार इशारा किया गया है। इस संदर्भ में, पीएसी ⁴²का विचार था कि वित्त मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए कि संसद की स्वीकृति के बिना निर्दिष्ट सीमाओं से परे उपरोक्त वस्तु शीर्षों के तहत प्रावधानों में वृद्धि न की जाए।

हमने पाया कि वस्तु शीर्ष '2215.01.102.19.15.31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत कुल प्राधिकरण (₹4,410 करोड़) के विरुद्ध ₹5,173.41 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹763.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत 2023-24 में। इसमें नई सेवा/नई सेवा साधन के प्रावधान शामिल हैं और ऐसा केवल संसद की पूर्व स्वीकृति से ही किया जाना चाहिए।

विभाग ने उत्तर दिया कि एचओए-2215.01.102.19.15.31 के अंतर्गत कोई अतिरिक्त बुकिंग नहीं थी, क्योंकि एचओए-2215.01.102.19.01.35 से एचओए-2215.01.102.19.15.31 तक ₹20 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोग पूरक अनुदान 2023-24 के पहले बैच में एक टोकन अनुपूरक के माध्यम से किया गया था।

⁴¹ आर्थिक कार्य विभाग के आदेश (मई 2006) और उन पर स्पष्टीकरण (मई 2012 और जुलाई 2015)।

⁴² पीएसी की 83^{वाँ} रिपोर्ट (2012-13), 15^{वाँ} लोकसभा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹20 करोड़ के सांकेतिक अनुपूरक पर विचार करने के बाद भी ₹763.41 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

4.5.2 बजट रेखा के बिना किया गया व्यय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) में प्रावधान है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अलावा नहीं निकाली जाएगी। इसके अलावा, अनुच्छेद 115 में अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग प्राप्त करने का प्रावधान है, यदि बजट में शामिल न किए गए कुछ नए कार्यों/सेवाओं पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

₹66,507.20 करोड़ की राशि 18 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 34 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक की राशि व्यय की गई, जिनमें से प्रत्येक पर ₹ एक करोड़ से अधिक की राशि व्यय की गई, जिसका विवरण **अनुलग्नक 4.11** में दिया गया है। व्यय विभाग (सीजीए का कार्यालय) ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि सिविल अनुदानों के संबंध में **अनुलग्नक 4.11** के आंकड़ों की पुष्टि कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

विनियोग-ब्याज भुगतान के संबंध में, डीईए ने उत्तर दिया कि बजट अनुमान चरण में 2049.01.134.01 और 2049.01.134.02 के तहत प्रावधानों को 2049.01.101-बाजार ऋण पर ब्याज के तहत बजट अनुमान के साथ जोड़ दिया गया था। बाद में, 2049.01.134 के तहत व्यय को पूरा करने के लिए राशि को 2049.01.101 से समय पर पुनः विनियोजित किया गया। 7.33% डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष सुरक्षा 2033 के मामले में, निवेशक के अनुरोध पर प्रतिभूतियाँ 2022-23 (28/3/2023 और 3/3/2023) के अंत में जारी की गईं, इसलिए, प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान के लिए बजट अनुमान चरण में कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। बाद में, 2049.60.111.07 और 2049.60.111.08 के अंतर्गत व्यय को अन्य शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया गया।

उपर्युक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संबंधित विनियोग के अंतर्गत किए गए व्यय, जैसा कि अनुलग्नक में विस्तृत है, को संसदीय प्राधिकरण प्राप्त नहीं है, जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

ऋण अदायगी विनियोग के अंतर्गत व्यय के ऐसे मामले का उदाहरण, जिसमें ₹59,976.73 करोड़ का व्यय शामिल है, इस प्रकार है:

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 50(3) के अनुसार व्यय के विस्तृत अनुमान में विगत वर्षों की देनदारियों के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल होगा, जिसका भुगतान वर्ष के दौरान किया जाना है।

डीएफपीआर 1978 के नियम 10(6) के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किया गया पुनर्विनियोग का कोई आदेश, जिसका प्रभाव किसी उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान को बजट अनुमान के 25 प्रतिशत या ₹5 करोड़ से अधिक, जो भी अधिक हो, बढ़ाने का हो, उसे वित्तीय वर्ष की अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाएगा।

ऋण अदायगी के अंतर्गत लघु शीर्ष '6001.00.125-एनएसएसएफ को जारी विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियां' के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोई मूल बजट प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन 31/3/2024 को लघु शीर्ष में ₹59,976.73 करोड़ का पुनर्विनियोग किया गया और संसद को प्रतिवेदन किए बिना ही कुल प्रावधान खर्च कर दिया गया।

तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि करते हुए, डीईए ने कहा (सितंबर 2024) कि चूंकि निवेशकों से दावों की प्राप्ति में अनिश्चितता है और दावा न की गई परिपक्व राशि के विगत रुझानों पर विचार करते हुए, बीई 2023-24 में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था।

इसके अलावा, यह स्वीकार करते हुए कि एनएसएसएफ प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान एक निर्धारित भुगतान था, विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण इन प्रतिभूतियों की पूर्ण होने की तिथि का पता नहीं लगाया जा सका, प्रतिभूतियां बहुत पुरानी हैं (लोक लेखा में एनएसएसएफ के गठन के समय वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जारी की गई थीं)। इसलिए, बजट की तैयारी के समय, राशि को अपेक्षित लेखा शीर्ष में ठीक से आवंटित नहीं किया जा सका। हालांकि, वर्ष 2024-25 के लिए एएफएस/डीजी/डीडीजी में आरई आंकड़ा विधिवत दिखाया गया था और इन दस्तावेजों को अन्य बजट दस्तावेजों के साथ संसद के समक्ष रखा गया था। इस प्रकार, संसद को मौजूदा प्रावधान के बारे में सूचित रखा गया था। यह आगे उत्तर दिया गया कि आवश्यक कदम उठाए गए थे और एनएसएसएफ प्रतिभूतियों की सटीक परिपक्वता प्रोफाइल के लिए आरबीआई से विवरण मांगा गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मई-2023 और सितंबर-2023 के दौरान क्रमशः ₹13,765.58 करोड़ और ₹32,602.28 करोड़ का व्यय किया गया था, लेकिन विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच में संसद को प्रतिवेदन नहीं दी, जिसे 5/2/2024 को संसद में रखा गया था।

इसी तरह, हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या 53 - 'चंडीगढ़' के अनुलग्नक-II (व्यय में कटौती में लेखों में समायोजित वसूली का विवरण) में राजस्व (प्रभारित) खंड में '2014.00.102.02-स्थापना' शीर्षक के तहत शून्य बजट के विरुद्ध ₹450.23 करोड़ बुक किए गए थे। संसदीय प्राधिकरण के बिना ₹450.23 करोड़ की बुकिंग उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

4.5.3 रेल मंत्रालय के अंतर्गत अस्वीकृत व्यय

भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकृत अनुमान से अधिक व्यय, विस्तृत अनुमान के बिना किया गया व्यय और विविध अधिक भुगतान आदि को क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा आपत्ति पुस्तिकाओं में दर्ज किया जाता है और इसे अस्वीकृत व्यय के रूप में माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 1999 मामलों में ₹9,122.24 करोड़ का अस्वीकृत व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएजी की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी तरह की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ की गई थी। हमने पाया कि मंत्रालय ने पिछली सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताए जाने के बावजूद अस्वीकृत व्यय के मामलों को कम नहीं किया था।

4.6 वित्तीय वर्ष के मार्च और अंतिम तिमाही के दौरान व्यय में तेजी

जीएफआर 2017 के नियम 62(3) के अनुसार, व्यय में अत्यधिक वृद्धि, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा और इससे बचा जाना चाहिए।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 25/5/2022 के कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम तिमाही और अंतिम माह में बजट अनुमान का क्रमशः 33 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।

4.6.1 अनुदान /विनियोग के संबंध में व्यय की अधिकता

73.82 प्रतिशत तक तथा 2024 की अंतिम तिमाही में बजट अनुमान का 84.97 प्रतिशत तक व्यय किया गया, जैसा कि अनुलग्नक 4.12 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, जो नियमों के प्रावधानों तथा मौजूदा अनुदेशों का उल्लंघन है।

4.6.2 व्यय क्यूईए (त्रैमासिक व्यय आवंटन) योजना के अनुरूप नहीं है

वित्त मंत्रालय के दिनांक 22 जुलाई 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.21(1)-बी(पीडी)/2014 के अनुसार, संशोधित नकदी प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है:

(i) वित्तीय वर्ष के भीतर बजटीय व्यय में अधिक समानता प्राप्त करना, विशेष रूप से उन मदों के संबंध में जिनमें अग्रिम रिलीज और कॉरपस फंड में बड़ी मात्रा में अंतरण शामिल है; (ii) अंतिम तिमाही, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने के दौरान व्यय की अधिकता को कम करना; (iii) निधियों को पार्क करने की प्रवृत्ति को कम करना; (iv) व्यय पैटर्न की प्रभावी निगरानी करना; और (v) केंद्र सरकार के सांकेतिक बाजार उधार कैलेंडर की बेहतर योजना बनाना।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के दिनांक 21/8/2017 के कार्यालय ज्ञापन में यह निर्धारित किया गया है कि मासिक व्यय योजना (एमईपी) तिमाही व्यय योजना (क्यूईपी) का आधार बनेगी और मंत्रालयों/विभागों को बजट प्रभाग की पूर्व सहमति के बिना उस तिमाही के भीतर क्यूईपी (एमईपी के योग के बराबर) से अधिक भुगतान जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सचिव (व्यय) की पूर्व स्वीकृति के बिना क्यूईपी से अधिक व्यय करने की प्रथा को प्रतिकूल रूप से देखा जाएगा।

हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के व्यय की तिमाही प्रवृत्ति का विश्लेषण किया और पाया कि यह क्यूईए के अनुरूप नहीं था जैसा कि चित्र 4.12 में विस्तृत है।

चित्र 4.12: एमईआईटीवाई का त्रैमासिक व्यय आवंटन और वास्तविक व्यय वर्ष 2023-24 के लिए

(₹ करोड़ में)

तिमाही	त्रैमासिक व्यय आवंटन	वास्तविक व्यय	विचलन
1	3,974.50	1,366.31	(-)2,608.19
2	4,313.25	2,741.81	(-)1,571.44
3	4,581.07	3,675.94	(-)905.13
4	3,680.22	4,816.07	(+)1,135.85
कुल	16,549.04	12,600.13	(-)3,948.91

पहली दो तिमाहियों में उपयोग की गति धीमी रही, जिसके कारण वर्ष के अंत तक यह अंतिम तिमाही तक पहुँच गया। यह अपर्याप्त कार्यक्रम प्रबंधन और मजबूत तथा वास्तविक समय निगरानी तंत्र की कमी को दर्शाता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि विगत दो तिमाहियों के लिए क्यूईपी तब बेमानी हो जाता है जब संशोधित अनुमान के प्रावधान में बदलाव होता है। आगे यह भी कहा गया कि संशोधित अनुमान तय होने के बाद वित्त मंत्रालय ने क्यूईपी पर जोर नहीं दिया, बल्कि संशोधित अनुमान की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किए बिना संशोधित अनुमान में

निर्धारित कुल प्रावधान के उपयोग और विगत तिमाही और विगत माह की अधिकतम सीमा का पालन करने पर जोर दिया। यह उत्तर, जितना व्यावहारिक लग सकता है, प्रभावी रूप से संशोधित नकदी प्रबंधन प्रणाली को कमजोर करता है।

4.7 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

जीएफआर 2017 के नियम 238 (1) और (2) के अनुसार, किसी संस्थान या संगठन को गैर-आवर्ती अनुदानों के संबंध में, जिस उद्देश्य के लिए इसे मंजूरी दी गई थी, उसके लिए प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र, अनुदान सहायता को मंजूरी देने वाले आदेश में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर अनुदानकर्ता से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो मंत्रालय या विभाग ऐसे संस्थान या संगठन को सरकार से भविष्य में मिलने वाले किसी भी अनुदान, सब्सिडी या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता से काली सूची में डालने के लिए स्वतंत्र होगा। आवर्ती अनुदानों के संबंध में, संबंधित मंत्रालय या विभाग को विगत वित्तीय वर्ष के अनुदानों के संबंध में यूसी प्रस्तुत किए जाने के बाद ही बाद के वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कोई भी राशि जारी करनी चाहिए। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कुल राशि के 75 प्रतिशत से अधिक अनुदान सहायता जारी करना केवल तभी किया जाएगा जब पूर्ववर्ती वर्ष में जारी अनुदान सहायता से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र और वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण संबंधित मंत्रालय/विभाग की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

31 मार्च, 2024 तक 37,986 यूसी कुल ₹72,764.09 करोड़ के बराबर बकाया थे, जैसा कि **अनुलग्नक 4.13** में विस्तृत रूप से बताया गया है। इनमें से 16,596 यूसी जिनकी कीमत ₹62,199.11 करोड़ है, विगत तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) से संबंधित हैं। स्वीकृत अनुदानों की सबसे प्रारंभिक अवधि जिसके लिए यूसी बकाया थे, वर्ष 1977-78 से संबंधित है। यह दर्शाता है कि विभागों/मंत्रालयों को उन निधियों की चिंता नहीं थी जिनका इन बकाया यूसी के तहत उचित हिसाब-किताब रखा जाना था।

चूंकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति ही यह प्रमाणित करने का एकमात्र तरीका है कि निधियों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है, इसलिए विभाग को अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

उत्तर में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भविष्य के अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया (अगस्त 2024), जबकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, योजना मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (अगस्त 2024), औषध विभाग (दिसंबर 2024) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (दिसंबर 2024) ने उत्तर दिया कि अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों/निकायों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे/किए जा रहे हैं।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र न देने की समस्या, जिसका उल्लेख लगातार लेखापरीक्षा रिपोर्टों में किया जाता रहा है, को एक ऐसा मॉड्यूल बनाकर समाप्त किया जा सकता है, जिससे कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय को स्वयं एजेंसियों द्वारा दर्ज किया जा सके तथा उसे पीएफएमएस ढांचे के अंतर्गत लाया जा सके।

नई दिल्ली

दिनांक: 25 जुलाई 2025



(खालिद बिन जमाल)

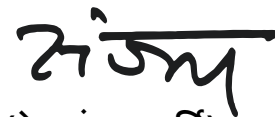
महानिदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 29 जुलाई 2025



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

The background is a light blue collage. It features a large, semi-transparent Indian Rupee symbol (₹) in the center. To the left, there is a faint map of India. The background is also filled with various financial and technological icons, including bar charts, line graphs, coins, and a network of dots connected by lines, suggesting a digital or data-driven environment.

अनुलग्नक

अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ 3.2.1 (क) देखें)

31 मार्च 2024 तक निपटान हेतु समग्र उचंत शेषों में प्रमुख योगदानकर्ताओं को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	उचंत शीर्ष का संक्षिप्त विवरण	समग्र उचंत शेष (31 मार्च 2024 तक)	उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ता	समग्र उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ताओं का प्रतिशत
101 पीएओ उचंत	इस लघु शीर्ष का संचालन संघ सरकार के अधीन वेतन और लेखा कार्यालयों, केन्द्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकारों की पुस्तकों में उत्पन्न होने वाले अंतर-विभागीय तथा अंतर-सरकारी लेन-देन के निपटान के लिए किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अंतर्गत लेन-देन या तो किसी लेखा अधिकारी द्वारा किसी अन्य लेखा अधिकारी की ओर से की गई वसूलियों या किए गए भुगतानों को दर्शाते हैं, जिसके विरुद्ध लघु शीर्ष 'पीएओ उचंत' संचालित किया गया है। शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट का निपटान 'ऋणात्मक क्रेडिट' द्वारा तब किया जाता है, जब उस लेखा अधिकारी द्वारा चेक जारी किया जाता है, जिसकी पुस्तकों में प्रारंभिक वसूली का लेखा-जोखा रखा गया था। 'पीएओ उचंत' के अंतर्गत डेबिट का निपटान उस लेखा अधिकारी से चेक की प्राप्ति और वसूली पर 'ऋणात्मक डेबिट' द्वारा किया जाता है, जिसकी ओर से भुगतान किया गया था। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष का अभिप्राय है कि पीएओ द्वारा अन्य पीएओ की ओर से भुगतान किए गए हैं, जिनकी वसूली अभी की जानी है। बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ है कि अन्य पीएओ की ओर से पीएओ द्वारा राशि प्राप्त की गई है, जिसका भुगतान अभी शेष है।	8,137.25	1. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ₹4,097.58 करोड़ (डेबिट) 2. विदेश मंत्रालय ₹1,324.72 करोड़ (क्रेडिट) 3. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति) ₹961.82 करोड़ (डेबिट)।	78.46%

शीर्ष	उचंत शीर्ष का संक्षिप्त विवरण	समग्र उचंत शेष (31 मार्च 2024 तक)	उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ता	समग्र उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ताओं का प्रतिशत
102 उचंत लेखा (सिविल)	यह अस्थायी लघु शीर्ष 'उचंत लेखे (सिविल)' उन लेन-देन के लेखों के लिए संचालित किया जाता है, जिन्हें कुछ जानकारी, दस्तावेजों जैसे वाउचर, चालान आदि के अभाव में व्यय या प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है। अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज आदि प्राप्त होने पर, इस लघु शीर्ष का निपटान संबंधित मुख्य/उप-मुख्य/लघु लेखा शीर्षों में ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा प्रतिकूल डेबिट या क्रेडिट द्वारा किया जाता है।	1,790.43	1. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति) ₹597.59 करोड़ (डेबिट) 2. विदेश मंत्रालय (उच्चायोग) ₹435.76 करोड़ (डेबिट) 3. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ₹123.37 करोड़ (क्रेडिट)	64.61%
110 रिज़र्व बैंक उचंत केंद्रीय लेखा कार्यालय	यह लघु शीर्ष संघ सरकार की पुस्तकों में राज्य सरकारों को ऋण, सहायता अनुदान, आयकर का हिस्सा और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के हिस्से के भुगतान के लिए संचालित किया जाता है। जब भुगतान अधिकृत किया जाता है, तो संबंधित व्यय शीर्ष को डेबिट किया जाता है, और इस उचंत शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखों को समायोजित करने वाले आरबीआई से लेखों के मासिक विवरण की प्राप्ति पर, उचंत शीर्ष का निपटान ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण की चुकौती और उस पर ब्याज के भुगतान के समय, ऋण / ब्याज शीर्ष को क्रेडिट करके इस उचंत शीर्ष को डेबिट किया जाता है। आरबीआई केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएस), नागपुर से लेखों का मासिक विवरण प्राप्त होने पर,	280.12	1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ₹117.23 करोड़ (क्रेडिट) 2. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति) ₹37.68 करोड़ (डेबिट) 3. आर्थिक कार्य विभाग (एमओएफ) ₹36.22 करोड़ (क्रेडिट)	68.23%

शीर्ष	उचंत शीर्ष का संक्षिप्त विवरण	समग्र उचंत शेष (31 मार्च 2024 तक)	उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ता	समग्र उचंत शेष में प्रमुख योगदानकर्ताओं का प्रतिशत
	एमएच '8675-आरबीआई के पास जमा-101-केंद्रीय सिविल' में प्रतिकूल डेबिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट प्रभावी होता है।			
129 सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखा	लघु शीर्ष 'विदेश में खरीद के लिए उचंत लेखे' वित्त मंत्रालय के सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक की पुस्तकों में संचालित किए जाते हैं। सरकार दानदाताओं को सलाह देती है कि वे भारत में परियोजना प्राधिकरणों/आयातकों को की गई आपूर्ति के विरुद्ध सीधे विदेश में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करें और संबंधित मंत्रालयों/आयातकों से भुगतान प्राप्त होने तक उचंत शीर्ष के अंतर्गत एक समान राशि रखी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष आयातकों/परियोजना प्राधिकरणों से बकाया वसूली को दर्शाता है, भले ही सरकार ने इन आयातों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया हो।	252.30	1.अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ₹148.62 करोड़ (डेबिट) 2.आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास) ₹64.09 करोड़ (डेबिट)	84.30%
समग्र शेष			₹6,343.14 करोड़ (डेबिट) और ₹1,601.54 करोड़ (क्रेडिट)	

अनुलग्नक-3.2

(पैराग्राफ 3.2.2 देखें)

31 मार्च 2024 तक प्रतिकूल शेष की सूची

(₹ हजारों में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2024 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
विवरण संख्या 14					
1.	6002.00.207	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋण	डेबिट	17,53,664	2016-17
2.	6002.00.221	पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के विशेष कोष से ऋण	डेबिट	3,92,284	2021-22
3.	6002.00.226	अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसए से ऋण	डेबिट	31,68,455	2016-17
4.	6002.00.227	पीएल-480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट एजेंसी के तहत यूएसए सरकार से ऋण	डेबिट	1	2022-23
5.	6002.00.503	आईडीए से शेष ऋण समायोजन के लिए	डेबिट	93,35,691	2018-19
6.	6002.00.504	आईबीआरडी से समायोजन के लिए शेष ऋण	डेबिट	1,23,82,954	2014-15
7.	6002.00.506	आईएफएडी से ऋण समायोजन की प्रतीक्षा में ऋण	डेबिट	7,20,360	2022-23
8.	6002.00.507	जापान (जीओजेपी) से समायोजन के लिए शेष ऋण	डेबिट	3,83,172	2015-16
विवरण संख्या 15					
9.	6202.01.203	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए ऋण	क्रेडिट	1,119	2016-17
10.	6215.02.800	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण - सीवेज और स्वच्छता अन्य ऋण	क्रेडिट	60,644	2016-17
11.	6216.02.190	आवास के लिए ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को शहरी आवास ऋण	क्रेडिट	5,79,267	2016-17
12.	6216.80.190	आवास के लिए ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सामान्य ऋण	क्रेडिट	2	2020-21
13.	6216.80.800	आवास के लिए ऋण - सामान्य अन्य ऋण	क्रेडिट	12,190	2020-21

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2024 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
14.	6225.01.800	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण अनुसूचित जातियों का कल्याण अन्य ऋण	क्रेडिट	829	1994-95
15.	6245.01.101	प्राकृतिक आपदाओं, सूखे, निःशुल्क राहत के कारण राहत ऋण	क्रेडिट	896	1986-87
16.	6245.02.101	प्राकृतिक आपदाओं बाढ़ चक्रवात के कारण राहत के लिए ऋण निःशुल्क राहत	क्रेडिट	2,157	1997-98
17.	6401.00.104	फसल पालन कृषि फार्मों के लिए ऋण	क्रेडिट	829	2016-17
18.	6402.00.102	मृदा एवं जल संरक्षण के लिए ऋण, मृदा संरक्षण	क्रेडिट	8,530	1995-96
19.	6402.00.203	मृदा एवं जल संरक्षण भूमि सुधार एवं विकास के लिए ऋण	क्रेडिट	592	2007-08
20.	6405.00.106	मत्स्य पालन के लिए ऋण, मछली पकड़ने के शिल्प का मशीनीकरण	क्रेडिट	532	2016-17
21.	6425.00.107	सहयोग के लिए ऋण सहकारी समितियों को ऋण के लिए ऋण	क्रेडिट	5,24,497	2017-18
22.	6425.00.108	सहयोग के लिए अन्य सहकारी समितियों को ऋण के लिए ऋण	क्रेडिट	9,01,694	2003-04
23.	6515.00.102	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक विकास ऋण	क्रेडिट	259	1986-87
24.	6801.00.201	बिजली परियोजनाओं जल विद्युत उत्पादन के लिए ऋण	क्रेडिट	8,80,938	2004-05
25.	6801.00.205	विद्युत परियोजनाओं, परेषण और वितरण के लिए ऋण	क्रेडिट	13,91,766	2005-06
26.	6851.00.102	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए लघु उद्योग ऋण	क्रेडिट	11,900	2006-07
27.	7051.01.190	बंदरगाहों और प्रकाश गृहों के लिए ऋण सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को प्रमुख बंदरगाहों से ऋण	क्रेडिट	40,39,701	2018-19

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2024 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
28.	7053.00.190	नागरिक उड्डयन के लिए ऋण सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	3,77,537	2010-11
29.	7601.01.436	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम, गैर योजनागत योजनाओं के लिए ऋण, फसल पालन वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	1	2018-19
30.	7601.04.312	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण शहरी विकास-लघु/मध्यम शहरों का एकीकृत विकास	क्रेडिट	1	2012-13
31.	7601.04.360	केंद्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- अन्य ऋण	क्रेडिट	408	2012-13
32.	7601.04.726	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण ग्राम एवं लघु उद्योग-हथकरघा उद्योग	क्रेडिट	6,960	2012-13
33.	7601.04.786	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	4,115	2012-13
34.	7601.04.871	केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए ऋण अंतर्देशीय जल परिवहन-अन्य ऋण	क्रेडिट	897	2012-13
35.	7601.07.800	1984-1985 से पहले के ऋण अन्य ऋण	क्रेडिट	1,580	2012-13
36.	7610.00.203	सरकारी कर्मचारियों को ऋण अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	क्रेडिट	41,036	2004-05
विवरण संख्या 16					
37.	8002.00.103	ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण-पत्र	डेबिट	6,962	1976-77
38.	8002.00.104	रक्षा बचत प्रमाण-पत्र	डेबिट	4,622	2021-22
39.	8002.00.105	बचत प्रमाण-पत्र - बैंक श्रृंखला	डेबिट	189	2007-08
विवरण संख्या 14					
40.	8012.00.108	आईएमएफ में विशेष आहरण अधिकार	डेबिट	8,26,01,891	2022-23

क्र. सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2024 तक शेष		वह अवधि जिससे शेष प्रतिकूल है
	लेखा शीर्ष	विवरण	डेबिट/ क्रेडिट	राशि	
41.	8012.00.109	विशेष जमा और आयकर वार्षिकी जमा लेखे	डेबिट	13,983	2015-16
42.	8014.01.106	पीएलआई संयुक्त बंदोबस्ती आश्वासन योजनाएं	डेबिट	40,68,062	2019-20
43.	8014.02.105	आरपीएलआई प्रत्याशित बंदोबस्ती आश्वासन योजनाएं	डेबिट	23,15,599	2015-16
विवरण संख्या 13					
44.	8229.00.200	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट	19,86,202	2007-08
45.	8232.00.101	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि	डेबिट	3	2020-21 ⁴³
46.	8235.00.135	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	डेबिट	15,93,805	2015-16
47.	8337.00.104	रेलवे के जमा-गैर-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश खाता	डेबिट	50	2022-23
48.	8443.00.112	भारत में खरीद आदि के लिए जमा राशि	डेबिट	4,36,593	2018-19
49.	8448.00.104	स्थानीय निधियों की जमाराशि- भारतीय बीमा संघ की निधियाँ	डेबिट	291	1976-77 से पूर्व
50.	8449.00.106	अन्य जमाराशियाँ- भारत- अमेरिका समझौता 1974 के अंतर्गत लेखे	डेबिट	3	2018-19
51.	8551.00.101	रक्षा अग्रिम	क्रेडिट	1,66,69,232	2015-16
52.	8670.00.104	चेक और बिल- ट्रेजरी चेक	डेबिट	1,14,850	2018-19
53.	8670.00.114	चेक और बिल- विभागीय (सीडीडीओ) इलेक्ट्रॉनिक सलाह	डेबिट	2,69,150	2018-19

⁴³ प्रतिकूल शेष वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2 हजार से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹3 हजार हो गया

अनुलग्नक-3.3

(पैराग्राफ 3.2.3 देखें)

31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण और ब्याज की राशि दर्शाने वाली सूची

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया ऋण (₹ करोड़ में)			संवितरण विवरण और बकाया अवधि
		मूलधन	ब्याज	कुल	
1	विद्युत मंत्रालय	3,326.39	3,293.13	6,619.52	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम (डीईएसयू) को 29.03.2013 को ऋण दिया गया तथा 11 वर्षों से लंबित है
2	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			1,392.48	सड़क परिवहन के लिए ऋण
				13.57	अन्य परिवहन के लिए ऋण-सड़क एवं पुल
3	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	0.58	1.61	2.19	ट्राइफेड को ऋण 1989-90 में वितरित किया गया तथा 35 वर्षों से लंबित है
4	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	933.51	1,589.18	2,522.69	हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती और आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से 1978-79 से 45 वर्षों के लिए ₹0.54 करोड़ और प्रसार भारती से 2010-11 से ₹2,522.15 करोड़ (ऋण का 99.98%) लंबित है।
5	गृह मंत्रालय			584.46	राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के पास ₹582.55 करोड़ तथा अन्य संस्थाओं एवं संस्थानों के पास ₹1.91 करोड़ लंबित है
6	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	3.62	7.15	10.77	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में लंबित तथा 2003-04 से 21 वर्षों से लंबित।
7	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			0.52	मैसर्स एचएलएल को दिया गया ऋण 2004-05 से 20 वर्षों से लंबित है। मैसर्स एचएलएल लिमिटेड द्वारा (दिसंबर 2024) उत्तर दिया गया कि वित्तीय वर्ष 1989-90 से पहले दिया गया ऋण 2003-04 के दौरान ब्याज सहित चुका दिया गया था।
8	शिक्षा मंत्रालय-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता			75.88	1984-85 से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से ₹66.54 करोड़ और

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया ऋण (₹ करोड़ में)			संवितरण विवरण और बकाया अवधि
		मूलधन	ब्याज	कुल	
	विभाग और उच्च शिक्षा विभाग				1971-72 से अन्य ऋण इकाई से ₹9.34 करोड़ लंबित है।
9	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय			1,553.82	राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति को 2010-11 से ऋण लंबित
10	वित्त मंत्रालय - राजस्व विभाग			2.90	1984-85 से पहले स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए दिया गया ऋण, जो 40 वर्षों से लंबित है
11	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)	24.89	82.98	107.87	26 से 43 वर्ष तक कायम रहना तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ईटीडीडीसीएल) को ₹22.01 करोड़ (88%) बकाया होना
12	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	19.58	66.43	86.01	1978-79 से छह चीनी मिलों पर बकाया
13	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	3,956.50	2,811.08	6,767.58	पांच संस्थाओं से 1987-88 (35 वर्ष) से बकाया और दो संस्थाओं अर्थात् मैसर्स ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मैसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया।
14	जल शक्ति मंत्रालय	9.22	597.89	607.11	योजना ऋण को बढ़े खाते में डालने पर बकाया ब्याज राशि ₹56450.03 लाख 12 वर्ष की पर्याप्त अवधि बीत जाने के बाद भी वसूल नहीं की गई/समायोजित नहीं की गई तथा गैर योजना ऋण भी 36 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं तथा जल संसाधन, नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) से ऐसे ऋणों पर ब्याज भी बकाया है।

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया ऋण (₹ करोड़ में)			संवितरण विवरण और बकाया अवधि
		मूलधन	ब्याज	कुल	
15	पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय	48.19	77.52	125.71	केंद्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड हावड़ा को 1983 में समाप्त कर दिया गया था, तथा इसकी परिसंपत्तियों, पुस्तकों और अभिलेखों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक परिसमापक नियुक्त किया गया था। मंत्रालय ने 1995 में ₹2.03 करोड़ और ₹4.92 करोड़ के बकाया ऋण और ब्याज को माफ करने के लिए स्वीकृति दी, जिसे लगातार घाटे के कारण वसूल नहीं किया जा सका। माफ करने की स्वीकृति अभी भी लंबित है।
16	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	0.33	112.04	112.37	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु को दिए गए ऋण। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि उसने इस मामले को दो बार (फरवरी 2022 और फरवरी 2023) निदेशक (बजट), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया था, हालांकि वित्त मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।
17	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	14.87	58.06	72.93	राज्य एवं अन्य ऋण संस्थाएं
18	वस्त्र मंत्रालय 1. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, कानपुर (₹6,586.69 करोड़) 2. बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता (₹359.10 करोड़) 3. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (₹66.21 करोड़)	566.50	6,445.50	7,012	यूजीएफए के अनुसार पहली दो संस्थाओं से बकाया कुल राशि ₹5,773.24 करोड़ (यूजीएफए 2023-24 के पृष्ठ-542 और पृष्ठ-543) थी, जो दो आंकड़ों के बीच ₹1,172.55 करोड़ का अंतर दर्शाता है। तीसरी संस्था यानी 'हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' का नाम और इसकी बकाया ऋण राशि यूजीएफए 2023-24 में दर्ज नहीं पाई गई।

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया ऋण (₹ करोड़ में)			संवितरण विवरण और बकाया अवधि
		मूलधन	ब्याज	कुल	
19	वाणिज्य विभाग			4.77	इसमें सूडान (एमएच 7605.087) से संबंधित ₹4.62 करोड़ और यूगोस्लाविया (एमएच 7605.082) से संबंधित ₹0.15 करोड़ शामिल हैं। पीएओ ने अपने जवाब (अगस्त 2024) में कहा कि चूंकि अग्रिम राशि 20 वर्ष से अधिक पुरानी थी, इसलिए इसके रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।
कुल बकाया				27,675.15	

अनुलग्नक-3.4
(पैराग्राफ 3.3.2 देखें)
निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

(₹ हज़ारों में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	31 मार्च 2024 तक शेष	वित्तीय वर्ष से निष्क्रिय
1.	8117.XXX-विकास निधि -निवेश खाता	-1,099	2016-17
2.	8117.XXX-रेलवे - शाखा लाइन कंपनियों को ऋण	-1,177	2016-17
3.	8121.108 - कर्मचारी लाभ निधि (रेलवे रणनीतिक लाइनें)	4,788	2016-17
4.	8226.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधि	30,69,569	2019-20
5.	8229.101 शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	7	2002-03
6.	8229.102 चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	60	2002-03
7.	8229.108 खनन क्षेत्र विकास निधि	102	2002-03
8.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	7,586	2008-09
9.	8235.105- सामान्य बीमा निधि	215	2019-20
	क्रेडिट शेष	₹308.23 करोड़	
	डेबिट शेष	₹-0.23 करोड़	
	निवल क्रेडिट शेष	₹308.00 करोड़	

अनुलग्नक-3.5
(पैराग्राफ 3.3.2 देखें)
निष्क्रिय जमा खाते

(₹ हजारों में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	मार्च 2024 तक शेष	तब से निष्क्रिय
1.	8342.107 - संपदा शुल्क के भुगतान के लिए जमा	103	2002-03
2.	8342.108 - आयकर, सुपर कर, अतिरिक्त लाभ कर और अधिभार की जमाराशि	12,107	2002-03
3.	8342.110 - टेलीफोन आवेदन जमा	22,39,867	2002-03
4.	8342.111 - टेलेक्स आवेदन जमा	79,306	2002-03
5.	8342.114 - पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा जमा	16,947	2002-03
6.	8443.114 - निर्यात व्यापार जमा	1,52,527	2002-03
7.	8443.127 - ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशनभोगियों आदि के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की जमा राशि, जो पाकिस्तान चले गए हैं	2,106	2002-03
8.	8443.130 - प्रोविडेंट सोसाइटीज लिक्विडेशन अकाउंट्स	13	2008-09
9.	8448.103 - छावनी निधि	1	2003-04
10.	8448.106- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोष	4,55,659	2018-19
11.	8448.109- पंचायत निकाय निधि	2	2019-20
12.	8448.111 - चिकित्सा और धर्मार्थ निधि	52	2003-04
13.	8449.-102 सीमेंट विनियमन लेखा	5,76,446	2020-21
14.	8449.104 - खनन भविष्य निधि की जमाराशि	1,601	2002-03
15.	8449.107 - आयकर, सुपर कर, ब्याज और अधिभार सहित अतिरिक्त लाभ कर की जमाराशि	13,393	2002-03
16.	8449.111 - दवा मूल्य समकारी निधि	29,96,911	2019-20
17.	8450.101 - पुडुचेरी का शेष	4,01,290	2008-09
18.	8450.102 - गोवा, दमन और दीव का शेष	-1,63,026	2002-03
19.	8450.104 - अरुणाचल प्रदेश का शेष	-5,68,251	2002-03
20.	8450.105 - मिजोरम का शेष	-12,44,138	2002-03
21.	8453.101 - सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय के लिए राशि	2,90,744	2013-14
	क्रेडिट शेष		₹723.91 करोड़
	डेबिट शेष		₹-197.54 करोड़
	निवल क्रेडिट शेष		₹526.37 करोड़

अनुलग्नक-3.6

(पैराग्राफ 3.3.3 देखें)

₹100 करोड़ से अधिक व्यय और मुख्य शीर्ष के लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक व्यय दर्शाने वाला विवरण

लघु शीर्ष 800 (अन्य व्यय) विवरण संख्या 9 (राजस्व व्यय) का विवरण				
(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800	% हिस्सेदारी
1	2701- मध्यम सिंचाई	6,711.95	5,800.69	86.42
2	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	102.53	101.82	99.31
	कुल (क)	6,814.48	5,902.51	86.61
लघु शीर्ष 800 (अन्य व्यय) विवरण 10 (पूँजीगत व्यय) का विवरण				
3	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	128.95	121.64	94.33
	कुल (ख)	128.95	121.64	94.33
	कुल योग (क+ख)	6,943.43	6,024.15	86.76

अनुलग्नक-3.7

(पैराग्राफ 3.3.3 देखें)

₹100 करोड़ से अधिक की प्राप्तियों और मुख्य शीर्ष के लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्तियों की बुकिंग दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष 800 (अन्य प्राप्तियां) विवरण संख्या 8 का विवरण				
क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800	हिस्सेदारी का प्रतिशत
1	0030 - मोहरें और पंजीकरण शुल्क	393.94	250.84	63.67
2	0077 - रक्षा सेवाएँ- नौसेना	886.27	718.55	81.08
3	0078 - रक्षा सेवाएँ- वायु सेना	1,717.41	1,038.23	60.45
4	0080 - रक्षा सेवाएँ- अनुसंधान एवं विकास	223.80	223.80	100.00
कुल योग		3,221.42	2,231.42	69.27

अनुलग्नक-3.8

(पैराग्राफ 3.3.4 देखें)

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक सेबी के वित्तीय विवरण को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	सामान्य निधि	आय से अधिक/अतिरिक्त	आरक्षित और अधिक
1	31.03.2024 तक	5,572.82	1,064.48	0
2	31.03.2023 तक	4,508.33	565.58	0
3	31.03.2022 तक	3,942.75	483.89	0
4	31.03.2021 तक	4,458.87	159.08	0
5	31.03.2020 तक	4,299.79	224.28	0
6	31.03.2019 तक	4,075.49	469.25	0
7	31.03.2018 तक	3,606.24	435.96	0
8	31.03.2017 तक	3,170.28	348.45	0
9	31.03.2016 तक	2,821.83	356.19	0
10	31.03.2015 तक	2,465.65	203.50	0

अनुलग्नक 3.9

(पैराग्राफ 3.4.1.3 देखें)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए नए निवेश के बावजूद विवरण 11 में सरकार के हिस्से को
अद्यतन न किए जाने को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी निवेश का हिस्सा	पृष्ठ सं. और क्र. सं. 11 में संस्था की संख्या (वित्तीय वर्ष 2022-23)	2023-24 के दौरान निवेश (₹ हज़ारों में)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकारी निवेश का हिस्सा	पृष्ठ सं. और क्र. सं. 11 में संस्था की संख्या (वित्तीय वर्ष 2023-24)
1	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु	59.17%	309/30	35,500	59.17%	317/30
2	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	74.93%	318/66	9,16,400	74.93%	326/64
3	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड	66.35%	327/93	50,00,000	66.35%	335/91
4	किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो	49.84%	329/99	1,87,71,348	49.84%	337/97
5	हरियाणा रेल इन्फ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	49%	353/181	7,35,000	49%	361/179
6	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	77.34%	356/194	18,29,50,000	77.34%	364/192
7	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50%	365/230	37,87,300	50%	373/228
8	महा (नागपुर और पुणे) मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	50%	366/231	50,00,000	50%	374/229
9	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50%	366/232	84,21,600	50%	374/230
10	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50%	367/237	35,88,300	50%	375/235
11	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, दिल्ली	83%	375/272	6,10,005	83%	383/270
12	अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन	3.43%	388/317	36,83,273	3.43%	396/315
13	अफ्रीकी विकास बैंक, अबिदजान, आइवरी कोस्ट	0.22%	389/319	1,92,987	0.22%	397/317
14	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	50.12%	395/340	1,10,00,000	49.30%	403/337

अनुलग्नक-3.10

(पैराग्राफ 3.4.1.4 देखें)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संस्थाओं में इक्विटी के विनिवेश के बावजूद विवरण 11 में सरकार के हिस्से को अद्यतन न करने को दर्शाने वाला विवरण

(₹ हज़ारों में)

क्र.सं.	संस्था/पीएसयू का नाम	2022-23 तक निवेश	यूजीएफए 2022-23 में पृष्ठ संख्या और क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विनिवेश	2023-24 तक निवेश	वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में सरकार के निवेश की हिस्सेदारी	यूजीएफए 2023-24 में पृष्ठ संख्या और क्रम संख्या
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ=ग-च)	(च)	(छ)	(ज)
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड.	23,95,888	319/71	376	23,95,512	71.65%	327/69
2	कोल इंडिया लिमिटेड.	4,07,56,346	322/77	18,48,818	3,89,07,528	66.13%	330/75
3	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली	1,09,82,212	322/78	9,70,646	1,00,11,566	79.2%	330/76
4	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड.	2,35,48,021	323/80	19,34,602	2,16,13,419	59.92%	331/78
5	राष्ट्रीय जल विद्युत् पावर निगम लिमिटेड.	7,12,67,727	323/81	35,66,262	6,77,01,465	70.95%	331/79
6	आवासन एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	1,63,76,774	365/227	13,62,524	1,50,14,250	81.81%	373/225

अनुलग्नक 3.11

(पैराग्राफ 3.4.3 देखें)

आरबीआई और यूजीएफए के नकदी शेष के बीच अंतर दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय/विभाग के अनुसार शेष (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	वित्त मंत्रालय-सीबीडीटी	₹23,00,217.44 (डेबिट) ₹3,89,652.53 (क्रेडिट)	मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में ₹59.31 करोड़ (डेबिट) का निवल प्रगतिशील अंतर था। महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने ₹116.84 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर दिखाया। विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि अंतर को सुलझाने के लिए आरबीआई के परामर्श से प्रयास किए जा रहे हैं।
2	वित्त मंत्रालय-सीबीआईसी	₹27.55 (डेबिट) ₹80.59 (क्रेडिट)	आरबीआई सीएस नागपुर के अनुसार, डेबिट शेष ₹9.76 करोड़ और क्रेडिट शेष ₹3.52 करोड़ था। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, मंत्रालय के लेखों और आरबीआई के आंकड़ों के बीच ₹103.21(76.62+26.59) करोड़ (क्रेडिट) का प्रगतिशील अंतर था। जबकि महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने ₹98.93 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर दिखाया।
3	वित्त मंत्रालय-वित्तीय सेवा विभाग	₹5,600.52 (डेबिट) ₹21,032.01 (क्रेडिट)	मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹15,431.49 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था। आरबीआई सीएस नागपुर के अनुसार, ₹15,424.79 करोड़ (क्रेडिट) का शुद्ध अंतर था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दो सेट के आंकड़ों के बीच ₹6.70 करोड़ का अंतर था। हालाँकि, महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने ₹11.82 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर दिखाया।
4	विद्युत मंत्रालय	₹16,919.05 (डेबिट) ₹18,322.74 (क्रेडिट)	मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान डेबिट शेष ₹16,919.05 करोड़ था। आरबीआई सीएस नागपुर के अनुसार, डेबिट शेष ₹17,258.44 करोड़ था। इस प्रकार, ₹339.39 करोड़ का अंतर था। इन आंकड़ों के बीच ₹151.46 करोड़ का अंतर है। हालाँकि, महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने ₹151.46 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर दिखाया।
5	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	₹47,482.29 (डेबिट)	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में डेबिट शेष

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय/विभाग के अनुसार शेष (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
			₹47,482.29 करोड़ था। रिजर्व बैंक के पुट थ्रू स्टेटमेंट के अनुसार, शेष ₹47,483.66 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप दो आंकड़ों के सेट के बीच ₹1.37 करोड़ का अंतर हुआ। मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2024) कि अंतर एनटीआरपी ऑफलाइन रसीद लेनदेन के गैर-निपटान/विफलता के कारण था। इस मामले को पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंधित पीएओ/आरपीएओ के साथ उठाया जा चुका है और अंतर को शीघ्र ही क्लियर कर दिया जाएगा।
6	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	₹13,024.04 (डेबिट) ₹2,52,855.34 (क्रेडिट)	मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, कुल अंतर ₹2,39,831.30 करोड़ (क्रेडिट) था। आरबीआई सीएस नागपुर के अनुसार, डेबिट शेष ₹13,030.24 करोड़ और क्रेडिट शेष ₹2,52,853.61 करोड़ था। इस प्रकार, दो आंकड़ों के सेट के बीच अंतर ₹7.93 (6.20+1.73) करोड़ था।
7	दूरसंचार विभाग	₹93,308.98 (डेबिट) ₹93,239.14 (क्रेडिट)	मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, ₹69.84 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर था। आरबीआई सीएस नागपुर के अनुसार, ₹395.82 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर था। इस प्रकार, दो आंकड़ों के बीच ₹325.98 करोड़ का अंतर था। जवाब में, विभाग ने बताया (दिसंबर 2024) कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित अंतर 31 मार्च 2023 को वोडाफोन इंडिया लिमिटेड से प्राप्त होने के कारण ₹(-)324.76 करोड़ था। इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹325.98 करोड़ के सकारात्मक समायोजन के साथ ठीक किया गया था। वर्तमान में, आरबीआई और दूरसंचार विभाग के बीच नकद शेष अंतर ₹23.63 करोड़ है, और इसे ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुलग्नक-3.12 क

{पैराग्राफ 3.5.2 (i) देखें}

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत ढंग से दर्ज करना

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
1	अनुदान संख्या 24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	12.72
1. मंत्रालय द्वारा 43 आईएमडी स्टेशनों पर आपूर्ति किए गए 43 ग्राउंड सिस्टम और आईटी सिस्टम (अर्थात डेस्कटॉप पीसी, प्रिंटर, यूपीएस आदि) के साथ 34,400 जीपीएस रेडियोसॉन्डेंस की 60 प्रतिशत लागत के लिए किए गए ₹12.72 करोड़ के व्यय को राजस्व अनुभाग के तहत वस्तु शीर्ष '21-सामग्री और आपूर्ति' के बजाय पूंजीगत अनुभाग के तहत वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2024) में इस तथ्य को स्वीकार किया कि ₹12.72 करोड़ मूल्य की उपभोग्य वस्तुओं (यानी जीपीएस रेडियोसॉन्डेंस) को वस्तु शीर्ष-'52 मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के रूप में दर्ज किया गया था।		
2	अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1.12
1. नए संसद भवन के मशीनीकृत हाउसकीपिंग पर मंत्रालय द्वारा किए गए ₹1.12 करोड़ के व्यय को राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' की जगह पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '72-भवन और संरचनाएं' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। मामला अगस्त 2024 में विभाग को सूचित किया गया। जवाब की प्रतीक्षा है।		
3	अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग	0.44
1. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा फास्टैग खाते पर किए गए ₹0.44 करोड़ के व्यय को राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के बजाय पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '51-मोटर वाहन' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। मामला अगस्त 2024 में विभाग को सूचित किया गया। जवाब की प्रतीक्षा है।		
कुल		14.28

अनुलग्नक-3.12 ख

{पैराग्राफ 3.5.2 (i) देखें}

पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में गलत ढंग से दर्ज करना

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
1	अनुदान संख्या 24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	480.00
1. इनसैट-3डीएस उपग्रह मिशन (उपग्रह, प्रक्षेपण यान और कक्षा में रखरखाव की कुल लागत सहित) के लिए लागत साझा करने हेतु डीओएस को भुगतान के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए ₹480 करोड़ के व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '73- अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के बजाय राजस्व अनुभाग में वस्तु शीर्ष '18-अन्य के लिए किराया' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि उपग्रह मिशनों के लिए लागत-साझाकरण भविष्य में पूँजीगत व्यय बजट शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।		
2	अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	50.46
2. मंत्रालय द्वारा आई-सीबीटीसी प्रणाली (स्वदेशी संचार-आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली) के विकास/कार्यान्वयन के लिए किए गए ₹50.46 करोड़ के व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '71-सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '28 -व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।		
3	अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग	110.14
1. अंतरिक्ष विभाग द्वारा 15 उपग्रहों और 4 प्रक्षेपण वाहनों पर किए गए ₹107.36 करोड़ के व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '73- अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के बजाय गलत तरीके से राजस्व अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया गया था। 2. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा पत्रिकाओं की सदस्यता और पुस्तकों की आपूर्ति के भुगतान के लिए किए गए ₹1.91 करोड़ के व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '77-अन्य अचल संपत्ति' के बजाय राजस्व अनुभाग में वस्तु शीर्ष '49-अन्य राजस्व व्यय' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 3. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा डिजिटल आयनोसॉन्ड की आपूर्ति के लिए किए गए ₹0.50 करोड़ के व्यय को पूँजीगत अनुभाग के तहत वस्तु शीर्ष '71-सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय राजस्व अनुभाग के तहत वस्तु शीर्ष '21-आपूर्ति और सामग्री' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 4. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा 'हाई एल्टीट्यूड मल्टीकॉप्टर ड्रोन' की खरीद पर किए गए ₹0.37 करोड़ के व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के बजाय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '21-आपूर्ति और सामग्री' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। उपरोक्त सूचनाएं अगस्त 2024 में विभाग को भेज दी गई हैं। जवाब की प्रतीक्षा है।		
कुल		640.60

अनुलग्नक-3.12 ग

{पैराग्राफ 3.5.2 (ii) देखें}

विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
1	24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	104.83
1. गहरे महासागर मिशन योजना के अंतर्गत गैर-आवर्ती व्यय (अर्थात वैज्ञानिक उपकरणों और प्रणालियों, उच्च प्रदर्शन कंक्रीट, अवसंरचना/सिविल कार्य/मत्स्य पालन पोत आदि की खरीद) के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए ₹104.83 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '35 -पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के बजाय वस्तु शीर्ष '31-सामान्य अनुदान' के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। जवाब में (अगस्त 2024), मंत्रालय ने कहा कि खरीदी गई वस्तुएँ और उपकरण दीर्घकालिक परिसंपत्तियाँ/गैर-पूँजीगत परिसंपत्तियाँ नहीं थी और ₹104.83 करोड़ का उल्लेख अनजाने में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई द्वारा प्रस्तुत यूसी में गैर-आवर्ती शीर्ष के तहत किया गया था। आगे जवाब दिया गया कि गलत वर्गीकरण को ठीक किया जाएगा और भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि खरीदी गई वस्तुएं (अर्थात वैज्ञानिक उपकरण और प्रणालियां, उच्च निष्पादन कंप्यूटर, अवसंरचना/सिविल कार्य/मत्स्य पालन पोत) स्थायी प्रकृति की हैं और उन्हें केवल वस्तु शीर्ष-35 (पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता) के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।		
2	60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	4.65
1. मंत्रालय द्वारा 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए कार्यालय भवन' के निर्माण कार्य के लिए मध्यस्थता पुरस्कार के तहत किए गए ₹4.65 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '72-भवन और संरचना' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '78-भूमि' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।		
3	95 - अंतरिक्ष विभाग (डीओएस)	59.46
1. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा 'सेमी क्रायोजेनिक स्टेज डेवलपमेंट' परियोजना के लिए सेमी-क्रायो लाइट एलॉय संरचनाओं के निर्माण और आपूर्ति के लिए ₹25.29 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '73-अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के तहत दर्ज करने के बजाय, वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूँजीगत व्यय' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। 2. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा 'गगनयान' परियोजना के लिए ध्वनिक उत्सर्जन डेटा अधिग्रहण डेटा प्रणाली की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹2.93 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '73- अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के तहत दर्ज किया गया था।		

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
3.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा 'सेमी क्रायोजेनिक स्टेज डेवलपमेंट' परियोजना के लिए सेमीक्रायो डिजाइनर लेवल चेकआउट सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹2.28 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के तहत दर्ज किया गया था।	
4.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा 'जीएसएलवी एमके-III निरंतरता कार्यक्रम (चरण-1) और जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम (चरण-4)' परियोजना के लिए उच्च क्षमता वाले वैक्यूम हॉट प्रेस की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹2.14 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '73- अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के तहत दर्ज किया गया था।	
5.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा 'गगनयान' परियोजना के लिए पीएक्सआई आधारित परीक्षण प्रणाली हार्डवेयर की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹1.28 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '73- अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के तहत दर्ज किया गया था।	
6.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा 'पीएसएलवी-निरंतरता परियोजना' के लिए एस139 रिंग्स के निर्माण और आपूर्ति पर किए गए ₹1.25 करोड़ के व्यय को गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '73- अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के तहत दर्ज किया गया था।	
7.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा 'पीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम (चरण-6)' परियोजना के लिए जिग्स के निर्माण पर ₹0.92 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '73- अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय, वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	
8.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा 'अर्ध क्रायोजेनिक चरण विकास' परियोजना के लिए एकीकृत आईसी, एनालॉग उपकरणों की खरीद पर ₹0.52 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '73- अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
9.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा केएमएमएल, चवारा में मैग्नीशियम रीसाइक्लिंग प्लांट की स्थापना के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ₹8.53 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '72-भवन और संरचनाएं' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के तहत दर्ज किया गया था।	
10.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड में टाइटेनियम स्पंज की विनिर्माण और आपूर्ति के लिए बीमा शुल्क, एएमसी शुल्क, रिएक्टरों के प्रतिस्थापन की लागत आदि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹4.29 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '72-भवन और संरचनाएं' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)
11.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए ₹2.31 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '78-भूमि' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय, वस्तु शीर्ष '72-भवन और संरचनाएं' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	
12.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा कॉमसोल मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹1.45 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '71-सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के तहत दर्ज किया गया था।	
13.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा कैंटीन क्रेडिट बिलों के निपटान के लिए कैंटीन समिति को भुगतान के लिए ₹1.44 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के बजाय वस्तु शीर्ष '49-अन्य राजस्व व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
14.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा ऑटोडेस्क-डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए ₹1.23 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '71- सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय, वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	
15.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए कैलिबर-VI एसआई ईडीए सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए ₹1.12 करोड़ का व्यय, वस्तु शीर्ष '71-सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के बजाय वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	
16.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं के उन्नयन के लिए ₹0.87 करोड़ का व्यय वस्तु शीर्ष '72-भवन और संरचनाएं' के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '60- अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
17.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा एंटीना संरचना और संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के लिए ₹0.76 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '72-भवन और संरचनाएं' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
18.	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (पीएओ-वीएसएससी) द्वारा अंतरिक्ष कैमरा मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए ₹0.85 करोड़ का व्यय गलत तरीके से वस्तु शीर्ष '73- अवसंरचनात्मक परिसंपत्ति' के बजाय वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
उपरोक्त सूचनाएं अगस्त 2024 में विभाग को भेज दी गई हैं। जवाब की प्रतीक्षा है।		
कुल		168.94

अनुलग्नक-3.12 घ

{पैराग्राफ 3.5.2 (iii) देखें}

अंतरिक्ष विभाग में '31-सहायता अनुदान-सामान्य', '35- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' तथा '36-सहायता अनुदान-वेतन' वस्तु शीर्ष का गैर-संचालन

क्रम सं.	वस्तु शीर्ष के अंतर्गत बुक की गई निधियाँ	सही वस्तु शीर्ष जिसके अंतर्गत निधियां दर्ज की जानी चाहिए थी	राशि (₹ करोड़ में)
राजस्व			
1.	3402.101.84.00.01	3402.101.84.00.36	4.19
2.	3402.101.84.00.05	3402.101.84.00.36	1.08
3.	3402.101.84.00.06	3402.101.84.00.36	0.84
4.	3402.101.84.00.07	3402.101.84.00.36	2.97
5.	3402.101.84.00.08	3402.101.84.00.36	0.04
6.	3402.101.84.00.11	3402.101.84.00.31	1.33
7.	3402.101.84.00.12	3402.101.84.00.31	0.43
8.	3402.101.84.00.13	3402.101.84.00.31	1.74
9.	3402.101.84.00.14	3402.101.84.00.31	0.20
10.	3402.101.84.00.18	3402.101.84.00.31	0.26
11.	3402.101.84.00.19	3402.101.84.00.31	0.09
12.	3402.101.84.00.21	3402.101.84.00.31	0.09
13.	3402.101.84.00.24	3402.101.84.00.31	0.08
14.	3402.101.84.00.26	3402.101.84.00.31	0.06
15.	3402.101.84.00.27	3402.101.84.00.31	0.26
16.	3402.101.84.00.28	3402.101.84.00.31	2.01
17.	3402.101.84.00.29	3402.101.84.00.31	0.04
18.	3402.101.84.00.49	3402.101.84.00.31	1.93
कुल			17.64
पूंजीगत			
1.	5402.101.81.00.52	5402.101.81.00.35	27.03
2.	5402.101.81.00.71	5402.101.81.00.35	7.37
3.	5402.101.81.00.74	5402.101.81.00.35	0.24
कुल			34.64

अनुलग्नक-3.12 इ
{पैराग्राफ 3.5.2 (v) देखें}

मुख्य शीर्षों के साथ वस्तु शीर्षों का गलत उपयोग

अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	5054	11	2.42	उत्तर में (सितंबर 2024), प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने बताया कि वित्तीय शक्ति नियम, 1978 के नियम 8 में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यय को बुक करने के लिए मामला पहले ही मंत्रालय के साथ उठाया जा चुका है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने डीएफपीआर के नियम 8 का पालन नहीं किया है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि वस्तु शीर्ष (1-50) का उपयोग केवल राजस्व प्रकृति के व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है और यह केवल राजस्व मुख्य शीर्षों के अनुरूप है।

अनुलग्नक-3.13

(पैराग्राफ 3.5.2.1 देखें)

बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए वीआरएस 2019 पर बुक किए गए व्यय के विरुद्ध वर्ष-वार
कैबिनेट-अनुमोदित अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित कैबिनेट अनुमान	एमएच:3275 के अंतर्गत दर्ज व्यय			पेंशन की राशि लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाएगी: सेवानिवृत्ति की आयु तक 3275.00.800.94	गलत वर्गीकृत राशि (एमएच:2071 की जगह एमएच:3275 के अंतर्गत बुक की गई) कुल (5 - 6)
		बीएसएनएल 3275008009401 3275001900601*	एमटीएनएल 3275008009402 3275001900602*	कुल कर्मल (3 + 4)		
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	610	256.86	38.24	295.10	265.45	29.65
2020-21	3,545	2,713.52	314.74	3,028.26	2,975.73	52.53
2021-22	2,864	2,977.11	496.29	3,473.40	2,471.62	1,001.78
2022-23	2,160	2,993.35	471.41	3,464.76	1,973.18	1,491.58
2023-24	1,452	1,894.42	233.01	2,127.43	1,259.89	867.54
2024-25 से 2029-30	2,138	-	-	-	-	-
कुल	12,768	-	-	12,388.95	8,945.87	3,443.08

* वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेखा शीर्ष में बदलाव

अनुलग्नक 4.1
(पैराग्राफ 4.1.1 देखें)
प्राधिकरण और व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) अतिरिक्त (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
राजस्व	22,23,918.22	2,55,249.99	24,79,168.21	23,53,762.81	-1,25,405.40
पूँजीगत (ऋण और अग्रिम सहित)	6,89,545.75	41,158.60	7,30,704.35	6,47,017.74	-83,686.61
कुल	29,13,463.97	2,96,408.59	32,09,872.56	30,00,780.55	-2,09,092.01
प्रभारित					
राजस्व	12,86,517.33	299.81	12,86,817.14	12,57,357.94	-29,459.20
पूँजीगत (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	89,75,350.28	3,008.24	89,78,358.52	74,94,036.55	-14,84,321.97
कुल	1,02,61,867.61	3,308.05	1,02,65,175.66	87,51,394.49	-15,13,781.17
कुल योग	1,31,75,331.58	2,99,716.64	1,34,75,048.22	1,17,52,175.04	-17,22,873.18
व्यय में कमी से वसूली			5,46,603.96	4,26,835.79	
कुल निवल प्रावधान			1,29,28,444.26		
कुल निवल व्यय				1,13,25,339.25	
ख - डाक					
दत्तमत					
राजस्व	39,155.26	0.01	39,155.27	35,645.33	-3,509.94
पूँजीगत	1,396.95	183.75	1,580.70	1,386.89	-193.81
कुल	40,552.21	183.76	40,735.97	37,032.22	-3,703.75
प्रभारित					
राजस्व	1.17	0.00	1.17	0.19	-0.98
पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1.17	0.00	1.17	0.19	-0.98
कुल योग	40,553.38	183.76	40,737.14	37,032.41	-3,704.73
व्यय में कमी से वसूली			1,300.00	1,255.87	
कुल निवल प्रावधान			39,437.14		
कुल निवल व्यय				35,776.54	
ग - रक्षा सेवाएँ					
दत्तमत					
राजस्व	2,76,931.99	28,931.61	3,05,863.60	2,97,843.23	-8,020.37

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक संवितरण	बचत (-) अतिरिक्त (+)	
पूँजीगत	1,62,484.58	0.02	1,62,484.60	1,54,163.24	-8,321.36	
कुल	4,39,416.57	28,931.63	4,68,348.20	4,52,006.47	-16,341.73	
प्रभारित						
राजस्व	101.62	15.00	116.62	56.34	-60.28	
पूँजीगत	115.42	29.87	145.29	93.04	-52.25	
कुल	217.04	44.87	261.91	149.38	-112.53	
कुल योग	4,39,633.61	28,976.50	4,68,610.11	4,52,155.85	-16,454.26	
व्यय में कमी से वसूली			141.00	161.10		
कुल निवल प्रावधान			4,68,469.11			
कुल निवल व्यय				4,51,994.75		
घ - रेलवे						
दत्तमत						
राजस्व	3,30,567.42	0.01	3,30,567.43	3,21,319.54	-9,247.89	
पूँजीगत	4,40,409.78	69.84	4,40,479.62	4,10,768.79	-29,710.83	
कुल	7,70,977.20	69.85	7,71,047.05	7,32,088.33	-38,958.72	
प्रभारित						
राजस्व	433.10	82.10	515.20	536.82	21.62	
पूँजीगत	219.29	619.54	838.83	934.66	95.83	
कुल	652.39	701.64	1,354.03	1,471.48	117.45	
कुल योग	7,71,629.59	771.49	7,72,401.08	7,33,559.81	-38,841.27	
व्यय में कमी से वसूली			2,65,362.08	2,31,605.27		
कुल निवल प्रावधान			5,07,039.00			
कुल निवल व्यय				5,01,954.54		
कुल						
कुल	दत्तमत	41,64,409.95	3,25,593.83	44,90,003.78	42,21,907.57	-2,68,096.21
सीएफई	प्रभारित	1,02,62,738.21	4,054.56	1,02,66,792.77	87,53,015.54	-15,13,777.23
कुल योग	सीएफआई	1,44,27,148.16	3,29,648.39	1,47,56,796.55	1,29,74,923.11	-17,81,873.44
व्यय में कमी से कुल वसूली			8,13,407.04	6,59,858.03		
विनियोग लेखा के अनुसार कुल प्रावधान और व्यय			1,39,43,389.51	1,23,15,065.08		
वित्त लेखों से अंतर				0		
वित्त लेखों के अनुसार सीएफआई से कुल संवितरण				1,23,15,065.08		

नोट: प्रभारित और दत्तमत व्यय के लिए प्रावधान को क्रमशः विनियोग और अनुदान कहा जाता है।
सीएफआई - भारत की संचित निधि

अनुलग्नक-4.2
(पैराग्राफ 4.1.1 एवं 4.2 देखें)
अनुदानानुसार अधिक/बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
1	59-पुडुचेरी में अंतरण	3,388.77	3,388.75	0.02	0.0006
2	22-रक्षा पेंशन	1,42,095.88	1,42,092.99	2.89	0.0020
3	6-उर्वरक विभाग	1,95,479.31	1,95,466.72	12.59	0.0064
4	35-राजस्व विभाग	1,90,442.55	1,90,277.46	165.09	0.0867
5	86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3,44,827.06	3,44,267.83	559.23	0.1622
6	68-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	22,138.01	22,094.17	43.84	0.1980
7	41-पेंशन	75,701.00	75,444.79	256.21	0.3384
8	58-जम्मू और कश्मीर में अंतरण	41,751.44	41,604.44	147.00	0.3521
9	10-वाणिज्य विभाग	6,059.46	6,032.80	26.66	0.4400
10	69-खान मंत्रालय	3,133.04	3,119.06	13.98	0.4462
11	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	77,224.43	76,826.75	397.68	0.5150
12	67-विनियोग - भारत का सर्वोच्च न्यायालय	517.28	514.00	3.28	0.6341
13	54-दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	2,543.82	2,527.14	16.68	0.6557
14	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	9,877.06	9,804.39	72.67	0.7357
15	91-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	6,202.53	6,152.32	50.21	0.8095
16	38-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	6,343.95	6,281.80	62.15	0.9797
17	32-वित्तीय सेवा विभाग	12,681.88	12,557.56	124.32	0.9803
18	39-विनियोग - ब्याज भुगतान	11,13,971.00	11,02,651.05	11,319.95	1.0162
19	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2,46,944.39	2,44,330.83	2,613.56	1.0584

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
20	84-विनियोग - संघ लोक सेवा आयोग	426.24	421.48	4.76	1.1167
21	19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	52,477.99	51,606.30	871.69	1.6611
22	101-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	25,954.82	25,518.45	436.37	1.6813
23	53-चंडीगढ़	6,777.54	6,639.28	138.26	2.0400
24	26-उच्च शिक्षा विभाग	63,244.50	61,941.11	1,303.39	2.0609
25	65-कानून और न्याय	8,690.29	8,493.40	196.89	2.2656
26	29-विदेश मंत्रालय	38,184.92	37,196.05	988.87	2.5897
27	20-रक्षा सेवाएँ (राजस्व)	3,05,980.22	2,97,899.57	8,080.65	2.6409
28	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	24,034.62	23,387.51	647.11	2.6924
29	52-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,100.38	5,927.56	172.82	2.8329
30	30-आर्थिक कार्य विभाग	28,415.03	27,567.60	847.43	2.9823
31	56-लक्षद्वीप	1,628.95	1,579.12	49.83	3.0590
32	51-पुलिस	1,30,072.36	1,26,010.49	4,061.87	3.1228
33	87-ग्रामीण विकास विभाग	2,74,069.46	2,65,376.51	8,692.95	3.1718
34	80-विनियोग - राष्ट्रपति का स्टाफ, घरेलू खर्च और भत्ते	97.69	94.25	3.44	3.5213
35	72-पंचायती राज मंत्रालय	1,016.42	980.49	35.93	3.5350
36	88-भूमि संसाधन विभाग	3,637.62	3,497.38	140.24	3.8553
37	47-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2,980.02	2,857.47	122.55	4.1124
38	3-परमाणु ऊर्जा	37,506.05	35,885.96	1,620.09	4.3195
39	78-पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2,921.56	2,789.77	131.79	4.5109
40	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,08,473.87	1,03,325.46	5,148.41	4.7462
41	85-रेल मंत्रालय	7,72,401.08	7,33,559.81	38,841.27	5.0286
42	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,62,629.89	1,54,256.28	8,373.61	5.1489
43	36-प्रत्यक्ष कर	10,428.32	9,840.74	587.58	5.6345

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
44	66-चुनाव आयोग	466.04	439.10	26.94	5.7806
45	9-कोयला मंत्रालय	642.32	604.95	37.37	5.8180
46	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	2,16,445.62	2,03,290.33	13,155.29	6.0779
47	75-विनियोग - केंद्रीय सतर्कता आयोग	47.73	44.60	3.13	6.5577
48	94-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1,225.17	1,143.90	81.27	6.6334
49	74-कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2,533.83	2,358.31	175.52	6.9271
50	83-उपराष्ट्रपति सचिवालय	9.96	9.21	0.75	7.5301
51	18-संस्कृति मंत्रालय	3,695.53	3,406.90	288.63	7.8102
52	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4,700.05	4,314.24	385.81	8.2086
53	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,04,683.17	95,561.02	9,122.15	8.7141
54	12-डाक विभाग	40,737.14	37,032.41	3,704.73	9.0942
55	73-संसदीय कार्य मंत्रालय	65.07	58.70	6.37	9.7895
56	37-अप्रत्यक्ष कर	38,513.27	34,657.78	3,855.49	10.0108
57	14-उपभोक्ता मामले विभाग	346.26	311.57	34.69	10.0185
58	92-कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	4,993.54	4,480.25	513.29	10.2791
59	60-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	80,922.82	72,527.30	8,395.52	10.3747
60	28-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3,940.35	3,522.11	418.24	10.6143
61	102-युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	3,401.04	3,024.04	377.00	11.0848
62	33-सार्वजनिक उद्यम विभाग	34.75	30.66	4.09	11.7698
63	42-राज्यों को अंतरण	3,62,420.05	3,16,407.16	46,012.89	12.6960
64	64-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	13,221.75	11,539.62	1,682.13	12.7224
65	81-लोकसभा	822.01	711.64	110.37	13.4268

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
66	5-रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग	677.66	578.87	98.79	14.5781
67	40-विनियोग - ऋण की अदायगी	89,48,452.71	74,62,492.88	14,85,959.83	16.6058
68	49-गृह मंत्रालय	6,152.81	5,119.55	1,033.26	16.7933
69	31-व्यय विभाग	517.36	429.24	88.12	17.0326
70	82-राज्यसभा	484.41	401.69	82.72	17.0764
71	79-विद्युत मंत्रालय	23,779.02	19,648.59	4,130.43	17.3701
72	13-दूरसंचार विभाग	1,16,560.89	95,522.92	21,037.97	18.0489
73	95-अंतरिक्ष विभाग	13,130.26	10,726.78	2,403.48	18.3049
74	57-दिल्ली में अंतरण	1,168.01	951.00	217.01	18.5795
75	4- आयुष मंत्रालय	3,647.54	2,916.31	731.23	20.0472
76	17- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	776.19	610.79	165.40	21.3092
77	11- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	8,211.33	6,362.05	1,849.28	22.5211
78	27-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	16,589.24	12,847.09	3,742.15	22.5577
79	48-भारी उद्योग मंत्रालय	6,415.85	4,913.27	1,502.58	23.4198
80	7-औषध विभाग	3,224.33	2,432.44	791.89	24.5598
81	97-इस्पात मंत्रालय	70.16	51.87	18.29	26.0690
82	45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4,032.69	2,944.52	1,088.17	26.9837
83	55-लघुव्यय	5,968.41	4,355.69	1,612.72	27.0209
84	8-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	3,798.56	2,757.40	1,041.16	27.4093
85	24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3,324.43	2,409.45	914.98	27.5229
86	93-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	13,257.17	9,579.98	3,677.19	27.7374
87	44-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	4,835.21	3,485.50	1,349.71	27.9142
88	71-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	17,734.97	12,594.81	5,140.16	28.9832
89	98-वस्त्र मंत्रालय	4,389.41	3,059.22	1,330.19	30.3045
90	100-जनजातीय कार्य मंत्रालय	12,461.94	7,545.23	4,916.71	39.4538

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
91	16-सहकारिता मंत्रालय	1,150.92	688.88	462.04	40.1453
92	43-मत्स्यपालन विभाग	2,248.79	1,333.28	915.51	40.7112
93	50-कैबिनेट	1,803.01	1,048.86	754.15	41.8273
94	90-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2,683.88	1,537.81	1,146.07	42.7020
95	34-निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	94.92	53.53	41.39	43.6051
96	89-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	7,932.28	4,113.11	3,819.17	48.1472
97	96-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,443.41	2,469.48	2,973.93	54.6336
98	77-योजना मंत्रालय	824.39	290.81	533.58	64.7242
99	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	50,224.59	17,267.97	32,956.62	65.6185
100	99-पर्यटन मंत्रालय	2,400.00	810.14	1,589.86	66.2442
101	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	5,892.03	1,976.76	3,915.27	66.4503
102	70-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3,097.60	1,032.65	2,064.95	66.6629
कुल		1,47,56,796.55	1,29,74,923.11	17,81,873.44	12.0749

अनुलग्नक-4.3

(पैराग्राफ 4.2.1.2 देखें)

पर्याप्त धनराशि के प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम अधिक व्यय
अनुदान संख्या 21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
1	4076.02.103 - अन्य उपकरण	15,278.00	15,326.55	48.55
अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन				
2	2071.02.101.01 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,16,843.47	1,17,197.58	354.11
3	2071.02.102.01 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	6,677.22	6,709.72	32.50
अनुदान संख्या 29 - विदेश मंत्रालय				
4	3605.00.101.13 - मालदीव को सहायता	770.90	832.83	61.93
5	3605.00.101.17 - आईटीईसी कार्यक्रम	140.00	173.54	33.54
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग				
6	4046.00.206.06 - स्वर्ण मुद्राकरण योजना-2015	1,388.10	1,896.79	508.69
अनुदान संख्या 36 - प्रत्यक्ष कर				
7	2020.00.102.01 - आयकर से अंतरित शुल्क	1,076.77	1,122.38	45.61
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान				
8	2049.03.104.02 - अन्य राज्य भविष्य निधि (प्रभारित)	6,597.44	6,816.82	219.38
अनुदान संख्या 41 - पेंशन				
9	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	35,096.01	35,132.28	36.27
10	2071.01.104.01 - साधारण पेंशन	6,101.48	6,267.57	166.09
11	2071.01.105.02 - पारिवारिक पेंशन	9,606.00	9,637.42	31.42
अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण				
12	7601.09.101.02 - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ब्लॉक ऋण) (प्रभारित)	550.00	601.00	51.00
13	7601.09.101.03 - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (बैंक-टू-बैंक) (प्रभारित)	28,950.00	30,707.41	1,757.41
अनुदान संख्या 88 - भूमि संसाधन विभाग				
14	3601.06.797.12 - कृषि अवसंरचना और विकास निधि में अंतरण	1,491.29	1,616.25	124.96
कुल		2,30,566.68	2,34,038.14	3,471.46

अनुलग्नक-4.4

(पैराग्राफ 4.2.2.1 देखें)

अनुदान स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत ⁴⁴
1	40-ऋण की अदायगी	89,48,452.71	74,62,492.88	14,85,959.83
2	42-राज्यों को अंतरण	3,62,420.05	3,16,407.16	46,012.89
3	85-रेल मंत्रालय	7,72,401.08	7,33,559.81	38,841.27
4	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	50,224.59	17,267.97	32,956.62
5	13-दूरसंचार विभाग	1,16,560.89	95,522.92	21,037.97
6	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	2,16,445.62	2,03,290.33	13,155.29
7	39-ब्याज भुगतान	11,13,971.00	11,02,651.05	11,319.95
8	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,04,683.17	95,561.02	9,122.15
9	87-ग्रामीण विकास विभाग	2,74,069.46	2,65,376.51	8,692.95
10	60-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	80,922.82	72,527.30	8,395.52
11	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,62,629.89	1,54,256.28	8,373.61
12	20-रक्षा सेवाएँ (राजस्व)	3,05,980.22	2,97,899.57	8,080.65
13	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,08,473.87	1,03,325.46	5,148.41
14	71-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	17,734.97	12,594.81	5,140.16
कुल		1,26,34,970.34	1,09,32,733.07	17,02,237.27

⁴⁴ ये उसी अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त राशि को घटाकर प्राप्त राशि है।

अनुलग्नक-4.5

(पैराग्राफ 4.2.2.2 देखें)

खंड स्तर पर ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
राजस्व दत्तमत				
1	1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	2,16,357.90	13,108.15	6.06
2	3-परमाणु ऊर्जा	19,529.70	751.05	3.85
3	4-आयुष मंत्रालय	3,641.60	729.01	20.02
4	7-औषध विभाग	3,223.13	791.48	24.56
5	8-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	3,026.72	1,024.50	33.85
6	11- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	6,549.01	1,842.84	28.14
7	12-डाक विभाग	39,155.27	3,509.94	8.96
8	13-दूरसंचार विभाग	41,461.45	8,394.26	20.25
9	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2,21,742.46	405.79	0.18
10	16-सहकारिता मंत्रालय	1,149.42	461.75	40.17
11	17- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	734.19	161.13	21.95
12	19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	41,476.95	647.71	1.56
13	20-रक्षा सेवाएँ (राजस्व)	3,05,863.60	8,020.37	2.62
14	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1,798.76	934.20	51.94
15	24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2,650.59	391.47	14.77
16	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1,08,473.22	5,148.20	4.75
17	26-उच्च शिक्षा विभाग	63,231.98	1,298.19	2.05
18	27-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	16,180.38	3,722.92	23.01
19	28-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3,794.94	350.68	9.24
20	29-विदेश मंत्रालय	27,150.94	114.66	0.42
21	30-आर्थिक कार्य विभाग	13,347.55	340.69	2.55
22	32-वित्तीय सेवा विभाग	4,090.03	120.88	2.96
23	35-राजस्व विभाग	1,90,135.79	118.72	0.06
24	36-प्रत्यक्ष कर	8,818.29	159.65	1.81
25	37-अप्रत्यक्ष कर	36,305.59	3,225.13	8.88
26	41-पेंशन	75,301.00	241.43	0.32
27	42-राज्यों को अंतरण	39,340.03	12,317.49	31.31
28	43-मत्स्यपालन विभाग	2,228.39	899.19	40.35
29	44-पशुपालन एवं डेयरी विभाग	4,649.13	1,338.30	28.79
30	45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4,030.22	1,087.63	26.99
31	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	99,382.77	5,848.21	5.88

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
32	47-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2,979.22	121.85	4.09
33	48-भारी उद्योग मंत्रालय	6,389.53	1,478.19	23.13
34	49-गृह मंत्रालय	5,472.54	886.51	16.20
35	50-कैबिनेट	1,251.67	368.59	29.45
36	51-पुलिस	1,18,214.07	2,071.24	1.75
37	55-लद्दाख	2,818.42	569.85	20.22
38	57-दिल्ली में अंतरण	1,168.00	217.00	18.58
39	58-जम्मू और कश्मीर में अंतरण	41,751.44	147.00	0.35
40	60-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	50,474.70	8,132.51	16.11
41	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4,661.21	384.53	8.25
42	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	23,654.12	495.20	2.09
43	63-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	77,221.83	397.65	0.51
44	64-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	13,183.88	1,675.70	12.71
45	70-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3,032.60	2,062.34	68.01
46	71-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	17,717.82	5,133.88	28.98
47	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14,715.59	428.06	2.91
48	77-योजना मंत्रालय	805.73	520.90	64.65
49	79-विद्युत मंत्रालय	21,824.54	4,120.13	18.88
50	85-रेल मंत्रालय	3,30,567.43	9,247.89	2.80
51	86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	23,528.24	306.24	1.30
52	87-ग्रामीण विकास विभाग	2,74,065.82	8,691.47	3.17
53	88-भूमि संसाधन विभाग	3,618.94	137.01	3.79
54	89-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	7,843.97	3,770.99	48.08
55	90-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2,683.88	1,146.07	42.70
56	92-कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	4,894.29	503.10	10.28
57	93-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	13,117.12	3,615.34	27.56
58	95-अंतरिक्ष विभाग	6,772.83	452.74	6.68
59	96-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5,409.93	2,959.80	54.71
60	98-वस्त्र मंत्रालय	4,362.58	1,319.96	30.26
61	99-पर्यटन मंत्रालय	2,400.00	1,589.86	66.24
62	100- जनजातीय कार्य मंत्रालय	7,509.08	3,801.12	50.62
63	101-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	25,943.74	433.76	1.67
64	102-युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	3,393.28	371.76	10.96
राजस्व प्रभारित				
65	39-ब्याज भुगतान	11,13,971.00	11,319.95	1.02

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या और विवरण	संस्वीकृत प्रावधान	बचत	संस्वीकृत प्रावधान के % के रूप में बचत
66	42-राज्यों को अंतरण	1,65,480.00	16,958.09	10.25
67	100- जनजातीय कार्य मंत्रालय	4,905.92	1,085.03	22.12
पूँजीगत दत्तमत				
68	3-परमाणु ऊर्जा	17,975.35	868.05	4.83
69	12-डाक विभाग	1,580.70	193.81	12.26
70	13-दूरसंचार विभाग	75,099.44	12,643.71	16.84
71	15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	25,201.93	2,207.77	8.76
72	18-संस्कृति मंत्रालय	285.43	221.94	77.76
73	19-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	10,976.75	213.96	1.95
74	21-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,62,484.60	8,321.36	5.12
75	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	4,093.27	2,981.07	72.83
76	24-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	673.84	523.51	77.69
77	29-विदेश मंत्रालय	11,033.95	874.19	7.92
78	30-आर्थिक कार्य विभाग	15,067.48	506.74	3.36
79	36-प्रत्यक्ष कर	1,610.03	427.93	26.58
80	37-अप्रत्यक्ष कर	2,207.68	630.36	28.55
81	42-राज्यों को अंतरण	1,28,000.02	18,445.72	14.41
82	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5,300.40	3,273.95	61.77
83	49-गृह मंत्रालय	680.27	146.76	21.57
84	50-कैबिनेट	551.34	385.56	69.93
85	51-पुलिस	11,839.32	1,981.54	16.74
86	52-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	551.51	110.90	20.11
87	55-लद्दाख	3,149.99	1,042.86	33.11
88	60-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	30,268.08	258.62	0.85
89	62-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	380.50	151.91	39.92
90	65-कानून और न्याय	2,562.86	119.76	4.67
91	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	35,509.00	32,528.57	91.61
92	85-रेल मंत्रालय	4,40,479.62	29,710.83	6.75
93	86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3,21,293.82	250.79	0.08
94	95-अंतरिक्ष विभाग	6,356.43	1,949.84	30.68
पूँजीगत प्रभारित				
95	40-ऋण की अदायगी	89,48,452.71	14,85,959.83	16.61
कुल		1,42,76,292.28	17,81,358.77	12.48

अनुलग्नक-4.6क

(पैराग्राफ 4.2.2.3 देखें)

लघु/उप शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की अन्य महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				
1	2401.00.114.17 - कृष्णोन्नति योजना	754.88	151.33	603.55
2	2401.00.789.40 - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	8,825.00	7,413.08	1,411.92
3	2401.00.797.02 - कृषि अवसंरचना और विकास निधि में अंतरण	75,000.00	72,994.84	2,005.16
4	2416.00.102.03 - संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)	17,020.00	12,465.41	4,554.59
5	2416.00.789.03 - संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)	2,917.73	1,039.41	1,878.32
6	2435.60.103.01 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	867.57	158.55	709.02
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा				
7	4801.03.190.01 - न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,046.00	1,989.82	1,056.18
अनुदान संख्या 6 - उर्वरक विभाग				
8	2852.03.101.06 - यूरिया सब्सिडी	1,18,061.96	1,13,817.73	4,244.23
अनुदान संख्या 7 - औषध विभाग				
9	2852.05.206.16 - औषध उद्योग का विकास	1,250.01	29.75	1,220.26
अनुदान संख्या 11 - उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग				
10	2885.03.102.01 - राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)	2,000.00	35.36	1,964.64
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
11	2071.01.104.01 - साधारण पेंशन	2,948.79	1,934.41	1,014.38
12	3275.00.187.01 - भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	800.00	291.63	508.37
13	3275.00.190.02 - बीएसएनएल को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ)	1,740.00	1,200.00	540.00
14	3275.00.797.01 - सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में अंतरण	5,400.00	1,000.00	4,400.00

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
15	3275.00.800.93 - 4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी के लिए अनुदान	2,218.00	0.00	2,218.00
16	3275.00.800.94 - स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारी को वृद्धिशील पेंशन भुगतान	2,671.25	0.00	2,671.25
17	5275.00.190.03 - बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजीगत निवेश	61,247.76	56,785.04	4,462.72
18	5275.00.797.02 - सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में अंतरण	5,000.00	1,000.00	4,000.00
19	5275.00.800.03 - रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क	1,942.20	1,093.44	848.76
अनुदान संख्या 15 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग				
20	6408.01.190.02 - एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम	25,000.00	22,805.00	2,195.00
अनुदान संख्या 16 - सहकारिता मंत्रालय				
21	3601.06.101.97 - प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण	968.24	255.22	713.02
अनुदान संख्या 21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
22	4076.01.103 - अन्य उपकरण	21,300.00	16,689.61	4,610.39
अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन				
23	2071.02.101.03 - अवकाश नकदीकरण	4,953.98	3,992.90	961.08
अनुदान संख्या 23 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय				
24	4552.00.053.01 - उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डेविने)	940.00	0.00	940.00
अनुदान संख्या 25 - स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग				
25	3601.06.101.10 - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)	7,063.89	6,076.47	987.42
26	3601.06.101.67 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	21,882.74	21,298.41	584.33
27	3601.06.101.87 - पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)	1,865.00	332.06	1,532.94
28	3601.06.789.10 - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)	2,162.00	1,236.93	925.07
29	3601.06.789.58 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	6,954.30	6,427.75	526.55

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
30	3601.06.797.01 - प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरण हेतु धनराशि	30,000.00	28,400.00	1,600.00
अनुदान संख्या 26 - उच्च शिक्षा विभाग				
31	2202.03.797.01 - माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण हेतु धनराशि	3,000.00	0.00	3,000.00
32	2203.00.797.02 - माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण हेतु धनराशि	3,000.00	0.00	3,000.00
33	3601.06.101.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	828.98	135.57	693.41
अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
34	2852.07.102.08 - डिजिटल भुगतान को बढ़ावा	1,106.53	340.41	766.12
35	2852.07.102.13 - भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम	2,250.00	681.11	1,568.89
अनुदान संख्या 29 - विदेश मंत्रालय				
36	3605.00.101.10 - भूटान को सहायता	1,632.24	720.04	912.20
37	7465.00.101.10 - भारत सरकार गारंटी ऋण के लिए एक्विम बैंक को सहायता	9,013.72	8,192.82	820.90
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग				
38	2075.00.797.01 - गारंटी मोचन निधि	1,000.00	0.00	1,000.00
39	4046.00.208.01 - सिक्के	1,518.00	337.95	1,180.05
40	5465.01.190.51 - एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनैसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी निवेश	1,000.00	0.00	1,000.00
अनुदान संख्या 35 - राजस्व विभाग				
41	3601.08.797.02 - माल और सेवा कर मुआवज़ा निधि में अंतरण	1,30,500.00	1,28,609.49	1,890.51
42	3602.08.106.01 - विधानमंडल के साथ संघ शासित प्रदेश सरकार को राजस्व हानि के लिए मुआवज़ा	13,055.00	1,157.11	11,897.89
अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर				
43	2037.00.111.01 - भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना के तहत स्क्रिप्स जारी करना	999.15	123.55	875.60
44	2037.00.113.01 - टारगेट प्लस योजना के तहत स्क्रिप्स जारी करना	826.14	37.27	788.87
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान				

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
45	2048.00.200.13 - सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर प्रीमियम का भुगतान	1,332.50	782.30	550.20
46	2049.01.101 - बाजार ऋण पर ब्याज	7,54,869.92	7,26,415.54	28,454.38
47	2049.01.103.01 - ट्रेजरी बिल पर छूट - 91 दिन ट्रेजरी बिल	11,739.52	10,809.07	930.45
48	2049.01.115 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	1,000.00	394.38	605.62
49	2049.01.116 - 14 दिन के ट्रेजरी बिलों पर ब्याज	2,500.00	1,976.32	523.68
50	2049.01.122 - 1-4-99 से लघु बचत के निवल संग्रह के विरुद्ध जारी विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	1,13,951.64	1,12,843.89	1,107.75
51	2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिलों पर छूट	1,000.00	0.00	1,000.00
52	2049.01.200.03 - मुआवजा और अन्य बांड	10,653.94	10,015.13	638.81
53	2049.03.104.04 - राज्य रेलवे भविष्य निधि	3,406.33	2,767.17	639.16
विनियोग संख्या 40 - ऋण की अदायगी				
54	6001.00.103.01 - 91 दिन का ट्रेजरी बिल	7,11,661.48	6,24,263.82	87,397.66
55	6001.00.105.02 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	7,000.00	2,503.10	4,496.90
56	6001.00.108 - 182-दिन-ट्रेजरी बिल	5,62,557.95	5,55,209.29	7,348.66
57	6001.00.114 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	5,00,000.00	1,99,313.00	3,00,687.00
58	6001.00.115 - 14 दिन का ट्रेजरी बिल	58,34,338.47	47,85,271.93	10,49,066.54
59	6001.00.122 - 1-4-99 से लघु बचत के निवल संग्रह के विरुद्ध जारी विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियाँ	1,76,950.70	1,72,760.85	4,189.85
60	6001.00.127 - नकद प्रबंधन बिल	1,00,000.00	0.00	1,00,000.00
अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण				
61	2245.80.103.02 - गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्य को सहायता	10,928.00	1,048.50	9,879.50
62	3601.07.103.01 - शहरी निकाय अनुदान (राज्य) (प्रभारित)	24,222.00	21,223.04	2,998.96
63	3601.07.105.01 - राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अनुदान (राज्य) (प्रभारित)	4,893.20	4,253.50	639.70
64	3601.07.105.02 - राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि से राज्य को सहायता	2,732.00	0.00	2,732.00

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
65	3601.07.106.01 - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नैदानिक अवसंरचना के लिए समर्थन (शुल्क सहित)	3,652.80	709.66	2,943.14
66	3601.07.106.02 - ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ (प्रभारित)	1,043.85	389.28	654.57
67	3601.07.106.03 - शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (शहरी के लिए) (शुल्क सहित)	4,751.10	2,018.91	2,732.19
68	3601.07.106.05 - ग्रामीण पीएचसी और उप केंद्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में परिवर्तित करना (ग्रामीण के लिए) (प्रभारित)	2,986.49	618.09	2,368.40
69	3601.07.107.00 - नए शहरों के विकास के लिए अनुदान (प्रभारित)	4,000.00	0.00	4,000.00
70	7601.09.101.05 - पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता की योजना	1,28,000.00	1,09,554.30	18,445.70
अनुदान संख्या 44 - पशुपालन और डेयरी विभाग				
71	2403.00.101.39 - पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1,050.71	464.63	586.08
अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
72	2408.01.103.23 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन योजना	1,529.80	590.34	939.46
अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
73	2210.06.001.11 - आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के लिए लचीला पूल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन	1,777.61	572.47	1,205.14
74	3601.06.101.20 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	4,263.61	935.37	3,328.24
75	3601.06.102.36 - आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल	990.76	300.60	690.16
76	3601.06.102.37 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)	1,736.04	1,026.95	709.09
77	3601.06.789.15 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	946.20	155.02	791.18

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
78	4210.03.105.12 - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)	3,250.00	1,342.41	1,907.59
अनुदान संख्या 48 - भारी उद्योग मंत्रालय				
79	2852.06.102.37 - ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	5,171.97	3,921.10	1,250.87
80	2852.80.190.37 - ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	605.00	10.37	594.63
अनुदान संख्या 49 - गृह मंत्रालय				
81	3454.01.001.04 - गणना	1,153.27	108.57	1,044.70
अनुदान संख्या 51 - पुलिस				
82	2055.00.101.14 - अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली का कार्यान्वयन	590.60	66.59	524.01
83	2055.00.101.16 - फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना	700.00	176.94	523.06
84	3601.06.101.11 - पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	1,934.64	1,178.41	756.23
85	3601.08.111.06 - निर्भया फंड से वित्तपोषित योजनाएं	932.15	102.35	829.80
अनुदान संख्या 55 - लद्दाख				
86	4575.04.001.02 - सचिव वित्त, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	2,289.84	1,392.45	897.39
अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय				
87	3601.06.101.22 - स्वच्छ भारत मिशन	3,658.53	1,949.04	1,709.49
88	3601.06.101.24 - शहरी कायाकल्प मिशन-500 बस्तियाँ (अमृत)	7,459.40	5,317.37	2,142.03
89	3601.06.101.31 - प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी	17,231.62	15,052.55	2,179.07
अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
90	2700.80.190.03 - नदियों को आपस में जोड़ना	3,500.01	1,390.73	2,109.28
91	3435.04.101.08 - राष्ट्रीय गंगा योजना	4,000.00	2,396.10	1,603.90
92	3601.06.101.92 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएँ	2,860.23	1,133.11	1,727.12
अनुदान संख्या 64 - श्रम और रोजगार मंत्रालय				
93	2230.01.111.06 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	1,917.63	1,077.38	840.25
अनुदान संख्या 70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय				

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
94	2225.04.277.04 - अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	958.80	85.02	873.78
अनुदान संख्या 71 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय				
95	2810.00.101.05 - सौर ऊर्जा	5,216.31	4,352.89	863.42
96	2810.00.797.02 - सॉलर ग्रीन फंड	7,507.46	6,116.30	1,391.16
अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
97	2802.02.104.01 - इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का हिस्सा	1,800.00	1,043.38	756.62
98	4802.01.190.05 - तेल विपणन कंपनियों को पूंजी सहायता	30,000.00	0.00	30,000.00
99	4802.03.101.01 - भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	5,508.00	0.00	5,508.00
अनुदान संख्या 79 - विद्युत मंत्रालय				
100	2801.01.800.01 - पाकल दुल परियोजना-जेकेएसपीडीसीएल	1,448.00	604.22	843.78
101	2801.05.789.03 - सुधार लिंकड वितरण योजना	2,042.41	1,272.04	770.37
अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
102	5054.01.337.03 - राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य	7,462.30	564.91	6,897.39
103	5054.01.796.03 - भारतमाला परियोजना - जनजातीय उपयोजना - सड़क विंग/राज्य पीडब्ल्यूडी/एनएचआईडीसीएल/बीआरओ के तहत कार्य - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित	6,870.90	1,258.07	5,612.83
104	5054.01.796.05 - भारतमाला परियोजना - जनजातीय उपयोजना - रोड विंग/राज्य पीडब्ल्यूडी/एनएचआईडीसीएल/बीआरओ के तहत काम करता है	13,129.10	12,625.82	503.28
105	5054.80.797.01 - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण	19,891.25	8,725.13	11,166.12
अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग				
106	2505.02.789.02 - जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता	14,353.01	12,712.49	1,640.52

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
107	3601.06.101.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	23,734.50	9,507.52	14,226.98
108	3601.06.101.30 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	15,341.98	12,653.13	2,688.85
109	3601.06.789.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	12,056.58	2,367.61	9,688.97
110	3601.06.796.25 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	8,277.72	6,081.72	2,196.00
111	3601.06.797.05 - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतरण	17,241.98	12,600.00	4,641.98
अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग				
112	3425.60.200.68 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	1,022.40	356.73	665.67
113	3425.60.200.74 - राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन	2,000.00	0.00	2,000.00
अनुदान संख्या 90 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
114	3425.60.200.29 - जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	1,190.00	498.09	691.91
अनुदान संख्या 92 - कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय				
115	2230.03.102.16 - कौशल भारत कार्यक्रम	1,520.70	983.20	537.50
अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय				
116	3601.06.789.34 - अनुसूचित जातियों के विकास के लिए व्यापक योजना	8,984.44	6,889.29	2,095.15
अनुदान संख्या 96 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
117	2553.00.101.01 - अनुदान सहायता	3,958.50	1,200.57	2,757.93
अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय				
118	3452.01.101.14 - स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	1,101.50	349.87	751.63
अनुदान संख्या 100 - जनजातीय कार्य मंत्रालय				
119	2225.02.796.25 - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	5,543.00	2,447.06	3,095.94
120	3601.06.796.85 - अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना) (प्रभारित)	3,684.79	2,898.62	786.17
अनुदान संख्या 101 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय				
121	3601.06.101.82 - मिशन शक्ति	2,152.90	1,153.75	999.15
कुल		98,80,251.10	80,16,398.82	18,63,852.28

अनुलग्नक-4.6ख

(पैराग्राफ 4.2.2.3 देखें)

लघु/उप शीर्ष स्तर पर ₹100 करोड़ या उससे अधिक की अन्य महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				
1	2401.00.111.32 - महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र	697.20	397.12	300.08
2	2401.00.130.04 - कल्याण योजना के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को दालों का वितरण	800.00	446.30	353.70
3	2401.00.131.01 - कृष्णोन्नति योजना	311.80	48.05	263.75
4	2401.00.789.46 - कृष्णोन्नति योजना	220.47	77.47	143.00
5	2416.00.796.03 - संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)	1,112.27	747.10	365.17
6	2435.01.101.17 - कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन	609.32	393.80	215.52
7	2435.01.789.06 - किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन	156.60	26.92	129.68
8	2435.60.789.01 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	200.00	0.00	200.00
9	3601.06.101.35 - राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	273.43	0.00	273.43
10	3602.06.789.69 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	200.00	3.31	196.69
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा				
11	4861.03.212.04 - अपशिष्ट उपचार उन्नत ईंधन पुनर्प्रसंस्करण परियोजनाएं (बीएआरसी)	305.00	120.39	184.61
अनुदान संख्या 7 - औषध विभाग				
12	2852.05.206.02 - राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	437.00	198.50	238.50
अनुदान संख्या 8 - नागरिक उड्डयन मंत्रालय				
13	3053.80.190.04 - एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग (एसपीवी)	1,144.49	650.00	494.49
14	3053.80.800.22 - क्षेत्रीय संपर्क योजना	1,014.06	618.00	396.06
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
15	2071.01.102.01 - साधारण पेंशन	1,172.63	680.07	492.56
16	3275.00.103.02 - अनुसंधान एवं विकास के लिए मुआवजा	400.00	28.48	371.52
17	3275.00.800.09 - एमटीएनएल बांड पर ब्याज का भुगतान	383.57	0.00	383.57
18	3275.00.800.15 - टेलीमेटिक्स विकास केंद्र	425.70	0.00	425.70

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
19	4859.01.190.13 - आईटीआई रिवाइवल (इक्विटी निवेश)	160.00	0.00	160.00
20	5275.00.101.03 - वायरलेस योजना और समन्वय	200.00	0.00	200.00
21	5275.00.101.04 - निगरानी सेवाएँ	470.42	17.69	452.73
22	5275.00.789.02 - भारत नेट	415.00	0.00	415.00
23	5275.00.800.14 - डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट परियोजना	220.00	50.00	170.00
अनुदान संख्या 18 - संस्कृति मंत्रालय				
24	4202.04.105.04 - पुस्तकालय एवं अभिलेखागार - राष्ट्रीय अभिलेखागार	210.00	11.34	198.66
अनुदान संख्या 23 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय				
25	2552.00.316.01 - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डेविने)	450.00	6.06	443.94
26	2552.00.346.01 - विशेष विकास पैकेज स्वायत्त प्रादेशिक परिषद	140.00	13.53	126.47
27	2552.00.796.39 - राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम	330.00	32.93	297.07
28	4552.00.054.16 - उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस-सड़कें)	663.98	200.19	463.79
29	4552.00.058.01 - पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (सड़क अवसंरचना के अलावा)	406.11	169.04	237.07
30	4552.00.059.01 - गैर-समाप्तियोग्य केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर - राज्य)	466.01	107.31	358.70
31	4552.00.789.02 - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डेविने)	160.00	0.00	160.00
32	4552.00.796.03 - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डेविने)	440.00	4.50	435.50
33	4552.00.796.05 - गैर-समाप्ति योग्य केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर-राज्य)	179.98	55.22	124.76
अनुदान संख्या 24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
34	3403.00.101.10 - महासागर सेवा मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)	433.05	279.57	153.48
35	3403.00.101.11 - डीप ओशन मिशन	400.00	174.37	225.63
36	5403.00.101.11 - डीप ओशन मिशन	200.01	29.81	170.20
37	5455.00.101.06 - वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएँ (अक्रॉस)	389.29	82.85	306.44
अनुदान संख्या 25 - स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
38	2202.02.004.04 - स्वायत्त निकायों को अनुदान	516.50	342.97	173.53
39	3601.06.789.72 - पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)	670.00	224.10	445.90
40	3601.06.796.75 - पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री)	314.00	140.02	173.98
41	3602.06.101.57 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	1,114.89	802.07	312.82
42	3602.06.789.49 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	197.65	94.23	103.42
अनुदान संख्या 26 - उच्च शिक्षा विभाग				
43	2202.80.004.11 - मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल	363.00	254.18	108.82
44	2202.80.789.19 - छात्र वित्तीय सहायता	215.60	100.49	115.11
45	2202.80.800.46 - चैंपियन सेवा क्षेत्र	200.00	50.00	150.00
46	3601.06.789.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	234.06	30.86	203.20
47	3601.06.796.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	126.96	13.39	113.57
अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
48	2852.07.789.21 - भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम	249.00	0.00	249.00
49	2852.07.796.21 - भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम	201.00	0.00	201.00
अनुदान संख्या 28 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
50	2406.04.102.01 - राष्ट्रीय प्राधिकरण	463.25	209.26	253.99
अनुदान संख्या 29 - विदेश मंत्रालय				
51	4059.60.051.17 - विदेशी मामले	350.00	161.50	188.50
52	7605.00.097.01 - भूटान को सहायता के तहत भूटान में चल रही जलविद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	518.34	311.99	206.35
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग				
53	3475.00.800.10 - अनुदान सहायता-सामान्य	200.48	73.02	127.46
अनुदान संख्या 32 - वित्तीय सेवा विभाग				
54	6885.01.190.20 - सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)	100.00	0.00	100.00
55	7465.00.101.09 - कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस)	100.00	0.00	100.00

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 36 - प्रत्यक्ष कर				
56	4059.01.051.20 - आयकर विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण एवं भवन निर्माण	406.29	242.18	164.11
अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर				
57	2037.00.114.03 - फोकस उत्पाद योजना और बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना के तहत स्क्रिप्स जारी करना	301.70	19.31	282.39
58	2037.00.114.06 - स्टेटस होल्डर्स इंसेंटिव स्कीम के तहत स्क्रिप्स जारी करना	132.68	14.23	118.45
59	4047.00.037.03 - निवारक और अन्य कार्य	150.00	0.45	149.55
60	4059.01.051.22 - सीमा शुल्क और सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	924.99	525.31	399.68
61	4216.01.108.04 - सीमा शुल्क और सीजीएसटी आयुक्तालय के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	399.97	246.59	153.38
अनुदान संख्या 39 - ब्याज भुगतान				
62	2049.60.111.05 - 6.25% डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष सुरक्षा 2031	250.00	125.00	125.00
विनियोग संख्या 40 - ऋण की अदायगी				
63	6001.00.130.01 - नकद भुगतान योजना	187.00	27.01	159.99
विनियोग संख्या 42 - राज्यों को अंतरण				
64	3601.07.106.04 - भवनविहीन उपकेंद्र, पीएचसी, सीएचसी (ग्रामीण के लिए)	1,416.76	956.68	460.08
65	3601.07.108.00 - साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान	250.00	0.00	250.00
66	7601.09.103.01 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (राज्य)	100.00	0.00	100.00
अनुदान संख्या 43 - मत्स्यपालन विभाग				
67	2405.00.103.21 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	343.79	112.09	231.70
68	3601.06.101.75 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	973.05	710.40	262.65
69	3601.06.789.64 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	301.03	174.64	126.39
अनुदान संख्या 44 - पशुपालन एवं डेयरी विभाग				
70	2403.00.789.18 - पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	280.00	120.95	159.05
71	2404.00.102.24 - दिल्ली दुग्ध योजना	349.10	195.69	153.41

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
72	3601.08.111.25 - पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	443.00	277.03	165.97
अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
73	2408.01.103.22 - पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना	341.70	14.53	327.17
अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
74	2210.06.101.63 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)	557.49	150.47	407.02
75	2210.06.800.60 - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)	341.02	175.36	165.66
76	3601.06.101.94 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)	487.61	253.81	233.80
77	3601.06.789.75 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)	784.32	304.67	479.65
78	3601.06.796.15 - स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	490.20	81.39	408.81
79	3601.06.796.79 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम)	392.17	157.82	234.35
80	4210.04.200.35 - कोविड-19 प्रतिक्रिया तंत्र 2021 के तहत वैश्विक कोष अनुदान	470.00	0.00	470.00
81	4210.80.800.05 - आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	411.00	0.00	411.00
अनुदान संख्या 48 - भारी उद्योग मंत्रालय				
82	2852.06.101.38 - पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास	250.00	83.34	166.66
अनुदान संख्या 49 - गृह मंत्रालय				
83	3601.08.111.04 - आपदा तैयारी	109.00	6.39	102.61
अनुदान संख्या 51 - पुलिस				
84	2055.00.101.15 - आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)	221.00	98.91	122.09
85	2055.00.101.17 - जेलों का आधुनिकीकरण	250.00	86.95	163.05
86	3601.06.101.12 - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	548.49	177.15	371.34
87	4055.00.201.01 - कार्यालय भवन	506.00	219.49	286.51
88	4055.00.201.02 - आवासीय भवन	300.00	90.52	209.48
89	4055.00.212.08 - दिल्ली पुलिस भवन निर्माण कार्यक्रम	180.00	16.00	164.00
90	4055.00.213.01 - कार्यालय भवन	185.00	65.20	119.80

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
91	4055.00.213.02 - आवासीय भवन	200.00	79.94	120.06
92	4055.00.216.09 - अनुसंधान	1,000.00	659.00	341.00
अनुदान संख्या 55 - लद्दाख				
93	2575.04.001.02 - सचिव वित्त- यूटी लद्दाख	215.99	94.91	121.08
अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय				
94	2217.05.191.16 - शहरी कायाकल्प मिशन 500 बस्तियाँ (एएमआरयूटी)	237.00	104.28	132.72
95	3602.06.101.17 - स्वच्छ भारत मिशन	630.00	324.77	305.23
96	3602.06.101.19 - शहरी कायाकल्प मिशन- 500 बस्तियाँ (अमृत)	307.00	172.59	134.41
अनुदान संख्या 61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
97	2221.80.102.05 - प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	540.01	345.38	194.63
अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
98	2701.80.004.08 - जल विज्ञान परियोजना	428.80	303.86	124.94
99	3601.06.101.93 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	365.00	170.03	194.97
100	4702.00.800.06 - भूजल प्रबंधन और विनियमन	235.78	110.18	125.60
अनुदान संख्या 64 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय				
101	2230.01.789.20 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	492.84	222.16	270.68
102	2230.01.796.20 - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	257.05	113.00	144.05
अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय				
103	2851.00.106.11 - खादी ग्रामोद्योग एवं कॉयर उद्योग का विकास	272.25	93.83	178.42
अनुदान संख्या 69 - खान मंत्रालय				
104	2853.02.102.05 - राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि गतिविधियाँ	400.00	296.27	103.73
अनुदान संख्या 70 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय				
105	2225.04.102.05 - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	316.52	56.93	259.59
106	2225.04.277.03 - अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	346.20	95.41	250.79
107	2235.02.200.39 - पीएम-विकास	260.15	0.00	260.15
अनुदान संख्या 71 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय				
108	2810.00.101.06 - जैव ऊर्जा कार्यक्रम	331.85	60.75	271.10
109	2810.00.101.07 - पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम	955.00	713.41	241.59
110	2810.00.101.09 - हाइड्रोजन मिशन	297.00	0.11	296.89

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
111	2810.00.789.07 - सौर ऊर्जा	629.00	232.96	396.04
112	2810.00.796.05 - सौर ऊर्जा	644.00	244.22	399.78
अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
113	2802.02.102.01 - प्रधानमंत्री जीवन-वन योजना	227.26	75.75	151.51
114	2852.06.102.29 - भारत में पीएनजी के लिए व्यापारी जहाजों का ध्वजांकन	290.44	87.75	202.69
अनुदान संख्या 77 - योजना मंत्रालय				
115	3475.00.800.98 - बजट अनुमान 2014-15 से देयताओं सहित चालू कार्यक्रम और योजनाएं [एसओपीएस, ईपीपी (आईसी), आरएंडएस, पीएफएआर, यूएनडीपी-एचबीडीआई, यूएनडीपी-एससीडीपी]	437.00	2.55	434.45
अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
116	5054.01.337.06 - केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेश सरकारें	360.05	84.78	275.27
अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग				
117	2505.02.101.09 - क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता	400.00	12.00	388.00
118	3054.04.338.09 - विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेशों में व्यय	200.00	49.72	150.28
119	3054.80.797.03 - केंद्रीय सड़क निधि में अंतरण	258.02	90.00	168.02
अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग				
120	3425.60.200.70 - नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	371.70	83.68	288.02
121	3425.60.200.71 - अनुसंधान और विकास	483.75	26.14	457.61
अनुदान संख्या 90 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
122	3425.60.200.37 - औद्योगिक और उद्यमिता विकास	290.50	0.00	290.50
अनुदान संख्या 92 - कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय				
123	2230.03.102.21 - ईएपी- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)	249.87	148.41	101.46
124	2230.03.789.09 - कौशल भारत कार्यक्रम	348.99	209.56	139.43
अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय				
125	2225.01.789.29 - प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	133.00	16.71	116.29

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
126	2235.02.104.30 - अटल वायो अभ्युदय योजना (एवीवाईआई)	649.14	189.28	459.86
127	2235.02.105.03 - नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)	260.00	158.39	101.61
अनुदान संख्या 95 - अंतरिक्ष विभाग				
128	5402.00.101.80 - इसरो केंद्रों पर सामान्य सिविल कार्य	379.30	215.63	163.67
अनुदान संख्या 96 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
129	3454.02.204.19 - क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास और संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण)	549.56	411.13	138.43
अनुदान संख्या 98 - वस्त्र मंत्रालय				
130	2852.08.202.62 - वस्त्र अवसंरचना और मेगा क्लस्टर	201.54	45.91	155.63
131	2852.08.202.63 - अनुसंधान एवं विकास तथा संस्थागत विकास	531.02	191.07	339.95
132	2852.08.202.65 - संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	900.00	577.75	322.25
133	2852.08.202.70 - पीएम मित्रा	200.00	0.13	199.87
अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय				
134	3452.01.101.19 - तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)	250.00	125.90	124.10
135	3452.01.102.13 - चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	196.22	2.81	193.41
136	3452.80.104.01 - प्रत्यक्ष व्यय	234.00	120.02	113.98
अनुदान संख्या 101 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय				
137	2235.02.102.51 - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवाएं- पोषण अभियान- किशोरियों के लिए योजना)	490.00	137.57	352.43
138	3601.06.789.86 - मिशन शक्ति	254.42	102.03	152.39
	कुल	54,873.70	21,866.22	33,007.48

अनुलग्नक 4.6ग

(पैराग्राफ 4.2.2.3 देखें)

लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर निरंतर बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष विवरण	बचत की राशि		
		2023-24	2022-23	2021-22
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				
1	2401.00.789.40 - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	1,411.92	2,851.76	1,509.92
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा				
2	4861.03.212.04 - अपशिष्ट उपचार उन्नत ईंधन पुनर्प्रसंस्करण परियोजनाएं (बीएआरसी)	184.61	100.26	251.98
अनुदान संख्या 8 - नागरिक उड्डयन मंत्रालय				
3	3053.80.190.04 - एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग (एसपीवी)	494.49	2,059.91	890.99
अनुदान संख्या 11 - उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग				
4	2885.03.102.01 - राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)	1,964.64	1,391.32	1,140.90
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
5	2071.01.104.01 - साधारण पेंशन	1,014.38	1,227.73	2,307.29
6	3275.00.800.93 - 4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी के लिए अनुदान	2,218.00	3,550.00	3,674.00
7	5275.00.190.03 - बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजी निवेश	4,462.72	18,333.57	20,410.00
अनुदान संख्या 25 - स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
8	3601.06.101.67 - समग्र शिक्षा- प्रारंभिक शिक्षा	584.33	614.47	836.44
अनुदान संख्या 26 - उच्च शिक्षा विभाग				
9	3601.06.101.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	693.41	875.58	1,560.80
10	3601.06.789.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	203.20	243.79	464.26
11	3601.06.796.33 - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	113.57	169.91	252.90
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग				
12	4046.00.208.01 - सिक्के	1,180.05	410.70	1,294.76
13	5465.01.190.51 - एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी निवेश	1,000.00	1,000.00	300.00
अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर				

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष विवरण	बचत की राशि		
		2023-24	2022-23	2021-22
14	2037.00.111.01 - भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना के तहत स्क्रिप्स जारी करना	875.60	2,040.67	6,547.73
15	2037.00.113.01 - टारगेट प्लस योजना के तहत स्क्रिप्स जारी करना	788.87	903.36	782.64
16	2037.00.114.03 - फोकस उत्पाद योजना और बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना के तहत स्क्रिप्स जारी करना	282.39	337.36	516.20
17	2037.00.114.06 - स्टेटस होल्डर्स इंसेंटिव स्कीम के तहत स्क्रिप्स जारी करना	118.45	165.80	373.87
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान				
18	2048.00.200.13 - सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर प्रीमियम का भुगतान	550.20	2,187.93	2,243.81
19	2049.01.101 - बाजार ऋण पर ब्याज	28,454.38	3,939.49	10,494.51
20	2049.01.115 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	605.62	976.15	2,000.00
21	2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिलों पर छूट	1,000.00	1,000.00	2,000.00
विनियोग संख्या 40 - ऋण की अदायगी				
22	6001.00.105.02 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	4,496.90	1,959.36	4,285.73
23	6001.00.114 - भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	3,00,687.00	4,42,404.00	10,00,000.00
24	6001.00.122 - 1-4-99 से लघु बचत के शुद्ध संग्रह के विरुद्ध जारी विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियाँ	4,189.85	3,829.71	4,594.83
25	6001.00.127 - नकद प्रबंधन बिल	1,00,000.00	1,00,000.00	2,50,000.00
26	6001.00.130.01 - नकद भुगतान योजना	159.99	250.10	360.64
अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण				
27	2245.80.103.02 - गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्य को सहायता	9,879.50	8,742.11	4,719.97
28	3601.07.103.01 - शहरी निकाय अनुदान (राज्य)	2,998.96	5,128.75	5,966.67
29	3601.07.106.03 - शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (शहरी के लिए)	2,732.19	3,651.29	674.70
30	7601.09.101.05 - पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता की योजना	18,445.70	18,804.65	814.22
31	7601.09.103.01 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (राज्य)	100.00	100.00	100.00

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष विवरण	बचत की राशि		
		2023-24	2022-23	2021-22
अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
32	2408.01.103.22 - पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना	327.17	217.34	131.43
अनुदान संख्या 49 - गृह मंत्रालय				
33	3454.01.001.04 - गणना	1,044.70	2,835.92	2,900.11
34	3601.08.111.04 - आपदा तैयारी	102.61	176.17	123.92
अनुदान संख्या 51 - पुलिस				
35	3601.06.101.12 - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	371.34	435.38	365.36
36	3601.08.111.06 - निर्भया फंड से वित्तपोषित योजनाएं	829.80	239.12	295.94
37	4055.00.201.02 - आवासीय भवन	209.48	188.16	171.32
अनुदान संख्या 55 - लद्दाख				
38	4575.04.001.02 - सचिव वित्त, यूटी लद्दाख	897.39	1,288.64	1,599.38
अनुदान संख्या 61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
39	2221.80.102.05 - प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	194.63	124.09	119.32
अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
40	3601.06.101.92 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएँ	1,727.12	2,005.94	1,091.46
41	3601.06.101.93 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	194.97	862.93	100.00
42	4702.00.800.06 - भूजल प्रबंधन विनियमन	125.60	167.13	105.95
अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
43	5054.01.337.06 - केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित विधानमंडल रहित संघ शासित प्रदेश सरकारें	275.27	246.82	258.06
अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग				
44	2505.02.101.09 - क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता	388.00	387.29	399.38
अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग				
45	3425.60.200.70 - नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	288.02	207.59	177.57
अनुदान संख्या 90 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
46	3425.60.200.37 - औद्योगिक और उद्यमिता विकास	290.50	122.54	243.57

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष विवरण	बचत की राशि		
		2023-24	2022-23	2021-22
अनुदान संख्या 93 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय				
47	3601.06.789.34 - अनुसूचित जातियों के विकास के लिए व्यापक योजना	2,095.15	3,161.24	1,356.06
अनुदान संख्या 96 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
48	2553.00.101.01 - अनुदान सहायता	2,757.93	1,398.04	613.06
49	3454.02.204.19 - क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास और संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण)	138.43	179.20	312.03
अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय				
50	3452.01.101.14 - स्वदेश दर्शन- थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	751.63	705.49	150.63
51	3452.80.104.01 - प्रत्यक्ष व्यय	113.98	341.87	603.30

अनुलग्नक-4.7
(पैराग्राफ 4.2.2.4 देखें)
असमर्पित बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	कुल बचत	सम्पूर्ण समर्पण	अप्रयुक्त या अस्वीकृत राशि
1	1- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	13,155.29	4,908.60	8,246.69
2	2 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	72.67	11.07	61.60
3	3 - परमाणु ऊर्जा	1,620.09	773.39	846.70
4	4 - आयुष मंत्रालय	731.23	722.88	8.35
5	8 - नागरिक उड्डयन मंत्रालय	1,041.16	1,034.80	6.36
6	10 - वाणिज्य विभाग	26.66	13.83	12.83
7	11 - उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	1,849.28	1,845.77	3.51
8	12 - डाक विभाग	3,704.73	883.19	2,821.54
9	13 - दूरसंचार विभाग	21,037.97	13,488.47	7,549.50
10	15 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2,613.56	393.27	2,220.29
11	16 - सहकारिता मंत्रालय	462.04	459.53	2.51
12	18 - संस्कृति मंत्रालय	288.63	241.66	46.97
13	19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)	871.69	185.02	686.67
14	20 - रक्षा सेवाएँ (राजस्व)	8,080.65	5,063.13	3,017.52
15	21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8,373.61	5,421.45	2,952.16
16	22 - रक्षा पेंशन	2.88	0.88	2.00
17	24 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	914.98	631.35	283.63
18	25 - स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	5,148.41	4,995.82	152.59
19	26 - उच्च शिक्षा विभाग	1,303.39	615.21	688.18
20	27 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	3,742.15	3,366.73	375.42
21	28 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	418.24	153.46	264.78
22	29 - विदेश मंत्रालय	988.87	66.68	922.19
23	31 - व्यय विभाग	88.12	86.03	2.09
24	32 - वित्तीय सेवा विभाग	124.32	119.13	5.19
25	35 - राजस्व विभाग	165.09	91.00	74.09
26	36 - प्रत्यक्ष कर	587.58	519.00	68.58
27	37 - अप्रत्यक्ष कर	3,855.49	3,680.94	174.55
28	38 - भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	62.15	24.48	37.67
29	39 - ब्याज भुगतान	11,319.95	10,721.75	598.20
30	40 - ऋण की अदायगी	14,85,959.83	14,85,884.05	75.78

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	कुल बचत	सम्पूर्ण समर्पण	अप्रयुक्त या अस्वीकृत राशि
31	41 - पेंशन	256.21	0.00	256.21
32	43 - मत्स्यपालन विभाग	915.51	892.19	23.32
33	44 - पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1,349.71	1,307.75	41.96
34	46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	9,122.15	8,992.37	129.78
35	47 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	122.55	112.11	10.44
36	49 - गृह मंत्रालय	1,033.26	822.19	211.07
37	50 - कैबिनेट	754.15	548.19	205.96
38	51 - पुलिस	4,061.87	1,765.76	2,296.11
39	52 - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	172.82	167.21	5.61
40	53 - चंडीगढ़	138.26	130.79	7.47
41	54 - दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	16.68	14.93	1.75
42	56 - लक्षद्वीप	49.83	31.74	18.09
43	60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	8,395.52	8,108.31	287.21
44	61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	385.81	293.69	92.12
45	62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	647.11	130.63	516.48
46	64 - श्रम और रोजगार मंत्रालय	1,682.13	1,611.37	70.76
47	65 - कानून और न्याय	196.89	143.30	53.59
48	69 - खान मंत्रालय	13.98	10.41	3.57
49	74 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	175.52	124.84	50.68
50	76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	32,956.62	32,954.70	1.92
51	78 - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	131.79	102.76	29.03
52	81 - लोकसभा	110.37	109.15	1.22
53	86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	559.23	93.84	465.39
54	87 - ग्रामीण विकास विभाग	8,692.95	8,686.30	6.65
55	88 - भूमि संसाधन विभाग	140.24	61.76	78.48
56	89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	3,819.17	3,050.07	769.10
57	90 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1,146.07	1,131.10	14.97
58	91 - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	50.21	33.60	16.61
59	93 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	3,677.19	3,676.04	1.15
60	95 - अंतरिक्ष विभाग	2,403.48	2,152.91	250.57
61	98 - वस्त्र मंत्रालय	1,330.19	1,306.03	24.16

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं विवरण	कुल बचत	सम्पूर्ण समर्पण	अप्रयुक्त या अस्वीकृत राशि
62	99 - पर्यटन मंत्रालय	1,589.86	1,514.70	75.16
63	100 - जनजातीय कार्य मंत्रालय	4,916.71	4,910.71	6.00
64	101 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	436.37	431.66	4.71
कुल		16,70,061.12	16,31,825.68	38,235.44

अनुलग्नक-4.8 क
(पैराग्राफ 4.2.2.5 देखें)
बचत का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

श्रेणियाँ	उप श्रेणियाँ	बचत
राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/केन्द्रीय एजेंसियों/आईए आदि द्वारा प्रस्तावों/दावों/मांगों की कम/अप्राप्ति।	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	940.00
	कम दावे	4,232.99
	कम मांग	1,626.42
	कम धन की आवश्यकता	25,277.38
	कम उपयोग	2,757.93
	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति	55,519.26
	कुल	90,353.98
परिचालन संबंधी मुद्दे (कार्यान्वयन में बाधाएं/ रुकावटें/ कमी का प्रतिनिधित्व)	निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करना	30,074.70
	कार्य की धीमी/कम प्रगति	19,158.70
	परिचालन संबंधी मुद्दे/कार्यान्वयन में बाधाएं आदि	1,09,445.33
	कुल	1,58,678.73
व्यय का नियमितीकरण	संशोधित अनुमान चरण में प्रावधानों में कमी	18,437.94
	कुल	18,437.94
धन के अंतरण/गैर-अंतरण संबंधित	आरक्षित निधि में कम अंतरण	13,171.28
	नए शीर्षों में निधियों का अंतरण	10,889.25
	धन अंतरण से संबंधित विविध मामले	9,717.44
	कुल	33,777.97
ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान विनियोग में अवास्तविक बजट अनुमान	राज्यों आदि द्वारा कम निवेश (उच्च अनुमान)	10,62,236.48
	अधिशेष नकदी आदि की उपलब्धता के कारण कम उपयोग।	4,02,292.62
	जारीकरण/मोचन/सदस्यता आदि की कम मात्रा (उच्च अनुमान)	93,464.17
	कुल	15,57,993.27
कुल योग		18,59,241.89

अनुलग्नक-4.8 ख
(पैराग्राफ 4.2.2.5 देखें)

लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर बचत के कारणों का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष का विवरण	बचत की राशि			विगत तीन वर्षों के दौरान बचत के सामान्य कारण
		2023-24	2022-23	2021-22	
अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण					
1	2245.80.103.02 - गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्य को सहायता	9,879.50	8,742.11	4,719.97	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कम धनराशि की आवश्यकता तथा प्रावधान में कमी।
2	3601.07.103.01 - शहरी निकाय अनुदान (राज्य)	2,998.96	5,128.75	5,966.67	अनुदान जारी करने के लिए नोडल मंत्रालय से कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण।
3	3601.07.106.03 - शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (शहरी के लिए)	2,732.19	3,651.29	674.70	संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न करने के कारण (2022-23 और 2023-24)।
4	7601.09.101.05 - पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता की योजना	18,445.70	18,804.65	814.22	योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।

अनुलग्नक-4.9

(पैराग्राफ 4.3.1 देखें)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग					
1	4401.00.107.22 - पौधा संरक्षण संगरोध एवं संग्रहण निदेशालय	9.00	11.00	6.89	13.11
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा					
2	2801.03.104.01 - संचालन और रखरखाव	26.66	33.51	0.00	60.17
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग					
3	5275.00.800.10 - दूरसंचार कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम	351.34	96.85	191.46	256.73
अनुदान संख्या 15 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग					
4	3602.06.101.84 - एनएफएस के तहत खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता	219.00	49.50	115.35	153.15
अनुदान संख्या 19 - रक्षा मंत्रालय (सिविल)					
5	2052.00.090.56 - सीमा सड़क संगठन	4,162.75	119.25	3,973.75	308.25
6	2052.00.092.02 - रक्षा लेखा विभाग	2,238.73	26.28	2,155.79	109.22
7	4070.00.001.31 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	131.09	17.91	128.00	21.00
अनुदान संख्या 20 - रक्षा सेवाएँ (राजस्व)					
8	2076.00.110 - स्टोर	23,958.34	1,956.29	23,655.25	2,259.38
9	2076.00.111 - कार्य	11,561.00	399.51	11,448.57	511.94
10	2076.00.112 - राष्ट्रीय राइफल्स	9,473.00	553.58	9,429.23	597.35
11	2077.00.111 - कार्य	2,086.44	118.85	2,057.07	148.22
12	2077.00.112 - संयुक्त कर्मचारी	4,221.70	100.00	3,371.14	950.56
13	2080.00.004 - अनुसंधान/अनुसंधान विकास	814.00	234.90	776.06	272.84
14	2080.00.110 - स्टोर	3,233.79	32.08	3,098.35	167.52
अनुदान संख्या 27 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
15	5475.00.052.07 - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	188.13	10.63	142.19	56.57
अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग					

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत
16	3475.00.115.01 - अवसंरचना के विकास के लिए सहायता व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण	500.00	113.90	410.00	203.90
अनुदान संख्या 49 - गृह मंत्रालय					
17	4250.00.101.08 - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल	238.37	59.29	237.76	59.90
अनुदान संख्या 50 - कैबिनेट					
18	2013.00.108.04 - विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन	449.84	254.88	370.33	334.39
19	4070.00.001.15 - विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन	287.27	221.84	132.15	376.96
अनुदान संख्या 51 - पुलिस					
20	2055.00.102.01 - स्थापना	31,158.44	117.58	30,557.14	718.88
अनुदान संख्या 65 - विधि और न्याय					
21	2015.00.800.01 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर व्यय	25.00	36.20	22.12	39.08
अनुदान संख्या 74 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
22	2070.00.003.18 - सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	81.50	22.37	67.52	36.35
23	4059.01.051.14 - लोकपाल के लिए भूमि अधिग्रहण एवं भवन निर्माण (प्रभारित)	69.42	21.01	45.81	44.62
24	4059.80.051.05 - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी	36.79	12.20	17.06	31.93
अनुदान संख्या 78 - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय					
25	3051.03.101.01 - प्रबंधन	86.52	15.00	83.82	17.70
अनुदान संख्या 79 - विद्युत मंत्रालय					
26	2801.80.102.01 - वैधानिक प्राधिकरण	304.38	29.99	271.38	62.99
27	2801.80.800.39 - अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले से संबंधित भुगतान (चार्ज किया गया)	0.00	10.00	0.00	10.00
अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग					
28	3602.06.101.28 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	222.90	469.51	203.22	489.19
कुल		96,135.40	5,143.91	92,967.41	8,311.90

अनुलग्नक-4.10क

(पैराग्राफ 4.4.1 देखें)

लघु/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोग जो उपयोग न किए जाने के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹10 करोड़ या उससे अधिक का पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग			
1	2401.00.130.03 - एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन	29.53	29.54
2	2416.00.797.01 - कृषि अवसंरचना और विकास निधि में अंतरण	3,400.00	4,248.07
3	3601.06.789.76 - कृष्णोन्नति योजना	25.92	113.33
अनुदान संख्या 3 - परमाणु ऊर्जा			
4	2852.09.202.01 - ईंधन निर्माण सुविधाएं	42.43	63.66
5	3401.00.004.22 - बार्क के अनुसंधान केंद्र	14.65	76.73
6	5401.00.401.07 - मेगा विज्ञान परियोजनाएं	25.42	62.09
अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग			
7	3201.02.101.10 - ग्रामीण डाक सेवक	19.93	177.34
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग			
8	3275.00.789.01 - सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा	464.80	879.80
9	5275.00.101.05 - भारत नेट	500.00	1,420.35
अनुदान संख्या 18 - संस्कृति मंत्रालय			
10	2205.00.102.12 - शताब्दी एवं वर्षगांठ समारोह	25.03	27.46
अनुदान संख्या 20 - रक्षा सेवाएँ (राजस्व)			
11	2077.00.101 - नौसेना का वेतन और भत्ते	18.52	138.68
अनुदान संख्या 21 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
12	4076.01.050 - भूमि	75.86	90.73
अनुदान संख्या 26 - उच्च शिक्षा विभाग			
13	2251.00.090.17 - उच्च शिक्षा विभाग	16.47	42.08
अनुदान संख्या 29 - विदेश मंत्रालय			
14	4070.00.001.31 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	10.70	17.74
विनियोग संख्या 39 - ब्याज भुगतान			
15	2049.03.109.09 - ईएसआईसी की विशेष जमाराशि (प्रभारित)	45.55	49.70
अनुदान संख्या 51 - पुलिस			
16	3602.08.104.01 - निर्भया फंड से वित्तपोषित योजनाएं	114.44	242.74
17	4055.00.214.10 - सीमा अवसंरचना और प्रबंधन कार्य	21.58	78.21

अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय			
18	3601.06.101.59 - पीएम-ईबस सेवा	19.00	19.00
अनुदान संख्या 88 - भूमि संसाधन विभाग			
19	2501.05.797.01 - कृषि अवसंरचना और विकास निधि में अंतरण	154.09	203.98
अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग			
20	3425.60.200.02 - वैज्ञानिक संस्थानों/पेशेवर निकायों/स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सहायता	58.30	70.69
कुल		5,082.22	8,051.92

अनुलग्नक-4.10ख

(पैराग्राफ 4.4.1 देखें)

लघु/उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप अंतिम अधिक व्यय

(₹10 करोड़ या उससे अधिक का पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अधिक व्यय
अनुदान संख्या 12 - डाक विभाग				
1	3201.01.101.03 - डाक विभाग	1615.00	608.31	73.02
2	3201.02.101.01 - मौजूदा डाकघर	10,716.08	1,101.89	1,012.57
3	3201.07.101.01 - पेंशन और सेवानिवृत्ति भत्ते	6,331.13	419.6	210.39
4	3201.07.107.01 - पारिवारिक पेंशन	2,706.48	289.75	62.81
5	3201.07.110.01 - लेखापरीक्षा स्टाफ के अलावा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान	1,016.82	132.74	99.71
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
6	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	13,160.37	1,948.55	436.75
अनुदान संख्या 20 - रक्षा सेवाएँ (राजस्व)				
7	2076.00.103 - सहायक बलों का वेतन एवं भत्ते और विविध व्यय	3,957.80	704.95	29.15
अनुदान संख्या 29 - विदेश मंत्रालय				
8	3605.00.101.09 - बांग्लादेश को सहायता	200.00	70.00	27.63
9	3605.00.101.12 - श्रीलंका-अन्य सहायता कार्यक्रम	150.00	90.00	59.37
10	3605.00.101.15 - अन्य विकासशील देशों को सहायता	150.00	55.00	17.85
11	3605.00.101.40 - मॉरीशस को सहायता	460.79	130.79	28.87
12	4216.01.700.18 - विदेशी मामले	308.00	207.00	20.74
कुल		40,772.47	5,758.58	2,078.86

अनुलग्नक-4.11

(पैराग्राफ 4.5.2 देखें)

बजट रेखा के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान (ओ+एस)	पुनर्विनियोग	व्यय
अनुदान संख्या 1 - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				
1	2416.00.797.02 - कृषि अवसंरचना और विकास निधि में अतिरिक्त अंतरण	0.00	1,000.00	1,000.00
2	2435.60.797.02 - कृषि अवसंरचना और विकास निधि में अतिरिक्त अंतरण	0.00	500.00	500.00
अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग				
3	2415.80.120.01 - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को अनुदान सहायता	0.00	4.00	4.00
4	2415.80.120.01 - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को अनुदान सहायता	0.00	286.00	281.65
अनुदान संख्या 4 - आयुष मंत्रालय				
5	2210.05.200.13 - पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	0.00	41.63	41.63
6	2210.05.200.28 - पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट	0.00	22.58	22.58
अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग				
7	5275.00.003.01 - संचार वित्त के लिए प्रशिक्षण संस्थान	0.00	25.00	25.00
8	5275.00.190.04 - बीएसएनएल को सैटेलाइट गेटवे सहायता की स्थापना	0.00	1.05	1.05
अनुदान संख्या 15 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग				
9	2408.02.800.03 - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण	0.00	3.57	2.68
अनुदान संख्या 39 - ब्याज भुगतान				
10	2049.01.134.01 - 7.10% भारत सरकार एसजीआरबी 2028	0.00	568.00	568.00
11	2049.01.134.02 - 7.29% भारत सरकार एसजीआरबी 2033	0.00	583.20	583.20
12	2049.60.111.07 - 7.33% डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष सुरक्षा, 2033 (पूर्ण होने की तिथि 28 मार्च)	0.00	505.31	505.31

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान (ओ+एस)	पुनर्विनियोग	व्यय
13	2049.60.111.08 - 7.33% डाक जीवन बीमा भारत सरकार विशेष सुरक्षा, 2033 (पूर्ण होने की तिथि 31 मार्च)	0.00	109.95	109.95
अनुदान संख्या 40 - ऋण की अदायगी				
14	6001.00.125 - विशेष केंद्रीय/राज्य सरकार प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशि के पुनर्निवेश के विरुद्ध एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	59,976.73	59,976.73
अनुदान संख्या 44 - पशुपालन एवं डेयरी विभाग				
15	2403.00.101.41 - पशु स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र	0.00	21.46	18.65
अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
16	2210.05.105.36 - पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान	0.00	416.30	416.30
17	2210.05.105.43 - क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	0.00	611.00	611.00
18	2210.05.105.44 - लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर	0.00	71.10	71.10
19	2210.05.105.45 - क्षेत्रीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान (आरआईपीएनएस), आइजोल	0.00	101.90	101.90
अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय				
20	3601.06.789.18 - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	0.00	112.72	109.67
21	3601.06.796.28 - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	0.00	21.54	20.96
22	3602.06.789.13 - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	0.00	1.15	1.15
अनुदान संख्या 62 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग				
23	2701.80.001.04 - उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान	0.00	23.51	23.43
24	2711.01.800.31 - नदी बेसिन प्रबंधन	0.00	45.40	27.55
25	2711.01.800.33 - ब्रह्मपुत्र बोर्ड	0.00	55.50	52.09
अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय				
26	2851.00.789.72 - पीएम विश्वकर्मा योजना	0.00	96.24	96.24

क्रम सं.	लघु/उप-शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान (ओ+एस)	पुनर्विनियोग	व्यय
27	2851.00.796.72 - पीएम विश्वकर्मा योजना	0.00	47.58	47.58
अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
28	2802.80.798.01 - वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन	0.00	60.00	60.00
अनुदान संख्या 86 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय				
29	5054.01.190.02 - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	0.00	1.00	1.00
अनुदान संख्या 92 - कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय				
30	2230.03.797.02 - माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (मस्क) में अतिरिक्त अंतरण	0.00	600.00	600.00
गैट नं.98 - वस्त्र मंत्रालय				
31	2852.08.202.64 - पूर्वोत्तर में वस्त्र उद्योग का विकास	0.00	1.36	1.36
अनुदान संख्या 99 - पर्यटन मंत्रालय				
32	3601.06.101.78 - महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल	0.00	0.00	5.27
अनुदान संख्या 100 - जनजातीय कार्य मंत्रालय				
33	3601.06.796.85 - अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)	0.00	355.17	355.17
34	3601.08.796.05 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान	0.00	265.00	265.00
कुल		0.00	66,534.95	66,507.20

अनुलग्नक-4.12

(पैराग्राफ 4.6.1 देखें)

मार्च 2024 और/या 2023-24 की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का विवरण	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत	विगत तिमाही के दौरान किया गया व्यय	विगत तिमाही के दौरान व्यय का प्रतिशत	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारण
1	76-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	41,007.72	6,789.85	16.56	14,349.58	34.99	सुसज्जित नहीं
2	50-कैबिनेट	1,258.68	171.30	13.61	460.17	36.56	उत्तर दिया गया (सितंबर 2024) कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में अनुपूरक प्राप्त होने के कारण भीड़ थी।
3	66-भारत निर्वाचन आयोग	340.00	151.48	44.55	221.08	65.02	उत्तर दिया गया (सितंबर 2024) कि आयोग में व्यय की प्रकृति समय और अवधि के संदर्भ में काफी भिन्न और अनिश्चित है।
4	88-भूमि संसाधन विभाग	2,419.23	418.81	17.31	695.70	28.76	उत्तर दिया गया (नवंबर 2024) कि ऐसा राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद रिलीज के लिए प्राप्त होने में देरी के कारण हुआ।
5	94-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1,225.15	299.60	24.45	392.32	32.02	सुसज्जित नहीं

क्रम सं.	अनुदान का विवरण	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत	विगत तिमाही के दौरान किया गया व्यय	विगत तिमाही के दौरान व्यय का प्रतिशत	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारण
6	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,04,683.00	24,322.59	23.23	36,946.01	35.29	वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार 31.03.2024 को लोक लेखा में ₹4500 करोड़ अंतरित करने की शीघ्रता थी।
7	100-जनजातीय कार्य मंत्रालय	12,461.88	2,624.89	21.06	3,856.59	30.94	मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यों/संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए पोर्टल हर साल अगस्त/सितंबर के दौरान खुलता है। प्रस्ताव प्राप्त करने से लेकर अंतिम रूप देने तक की पूरी प्रक्रिया आम तौर पर दिसंबर में पूरी हो जाती है और फिर फंड जारी करना शुरू हो जाता है। और मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाएं मांग आधारित हैं और राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने में देरी के कारण निर्धारित सीमा से अधिक व्यय हुआ।
8	32-वित्तीय सेवा विभाग	12,681.88	9,361.27	73.82	10,775.49	84.97	विभाग ने जवाब दिया (नवंबर 2024) कि पहली अनुपूरक मांग (दिसंबर 2023) में ₹10,322.22 करोड़ और दूसरी अनुपूरक मांग (दिसंबर 2023) में ₹985 करोड़ प्राप्त हुए।

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रम सं.	अनुदान का विवरण	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत	विगत तिमाही के दौरान किया गया व्यय	विगत तिमाही के दौरान व्यय का प्रतिशत	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारण
							विभिन्न योजनाओं के लिए दूसरी अनुपूरक मांग (फरवरी 2024) में ₹1.5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। विभाग ने मार्च या अंतिम तिमाही के दौरान व्यय में तेजी से बचने के लिए भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को भी स्वीकार किया है।
9	15- खाद्य एवं लोक प्रशासन विभाग सार्वजनिक वितरण	2,30,513.94	45,380.06	19.69	93,198.05	40.43	सुसज्जित नहीं

अनुलग्नक-4.13
(पैराग्राफ 4.7 देखें)

31.03.2024 तक विभाग/मंत्रालयवार बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या और नाम	वित्तीय वर्ष		कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र		पिछले तीन वर्षों की बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थिति (2020-21 से 2022-23)	
		से	को	सं.	राशि	सं.	राशि
1	60-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1985-1986	2022-2023	1,808	16,039.29	883	12,892.33
2	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1987-1988	2022-2023	5,196	15,999.48	1,724	12,714.01
3	25-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1982-1983	2022-2023	1,788	11,918.70	332	11,403.11
4	26-उच्च शिक्षा विभाग	1977-1978	2022-2023	5,715	10,645.18	3,295	10,225.54
5	68-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-2007	2022-2023	1,128	9,783.35	675	9,061.19
6	48-भारी उद्योग मंत्रालय	2003-2004	2022-2023	104	1,600.51	75	1,492.53
7	77-योजना मंत्रालय	मार्च 2013 तक	2021-2022	9,231	2,038.16	4,248	1,430.19
8	93- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2007-2008	2022-2023	2,871	1,337.49	1,652	996.38
9	07-औषध विभाग	2008-2009	2021-2022	173	736.56	163	704.22
10	04- आयुष मंत्रालय	1994-2007	2021-2022	1,271	579.94	265	129.81
11	23-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2014-2015	2021-2022	204	549.88	97	323.13
12	78-पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	2017-2018	2022-2023	34	303.20	33	262.52
13	98-वस्त्र मंत्रालय	2016-2017	2022-2023	6,552	302.85	2,903	261.59
14	86-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2017-2018	2022-2023	32	278.20	7	39.20
15	99-पर्यटन मंत्रालय	2012-2013	2022-2023	78	133.47	49	74.40

2025 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रम सं.	अनुदान की संख्या और नाम	वित्तीय वर्ष		कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र		पिछले तीन वर्षों की बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थिति (2020-21 से 2022-23)	
		से	को	सं.	राशि	सं.	राशि
16	101-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2007-2008	2022-2023	831	158.71	12	5.36
17	10-वाणिज्य विभाग	2006-2007	2022-2023	42	116.28	32	68.74
18	05-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	2018-2019	2022-2023	77	99.82	74	84.80
19	64-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1979-1980	2021-2022	833	98.19	75	29.69
20	35-राजस्व विभाग	2002-2003	2022-2023	11	38.71	1	0.08
21	11- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	2019-2020	2019-2020	1	5.55	0	0.00
22	33-सार्वजनिक उद्यम विभाग	2014-15	2022-2023	6	0.57	1	0.29
कुल				37,986	72,764.09	16,596	62,199.11

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/pt/delhi/hi/page-pt-delhi-union-reports>

